राजस्थान विधान सभा

४४ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक—२८ जुलाई, सन् १९५४ ई०

बिधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ४ बज कर ५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री राम किशोर व्यास (गृह मन्त्री)— I think there is no quorum.

श्री अध्यक्ष—More then 16 members are present.

(विराम)

प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ११७७

तालाब बांकेसागर ग्राम (सरवाड़)का विस्तार कराने में व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) तालाब बांकेसागर (सरवाड़ ग्राम) को एक्सटेन्ड कराने में सन् ५३-५४ में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि सरवाड़ ग्राम के सूरजकुंड नामकी तलाई को हर वक्त भरा रखने और इस तालाब से पानी देने के लिये यह एक्सटेन्शन किया गया है ?

(३) यदि हाँ, तो यह बतलाने की कृपा करें कि सन् ५३-५४ में सूरजकुन्ड को कब कब भरा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)— (१) सन् ५३-५४ में बांके सागर (सरवाड़ ग्राम) के एक्सटेन्ड कराने में १७०३२) रुपये खर्च हुए।

Page No.2

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(२) हाँ, पर इस वर्ष एक्शन न लिया गया, कारण कि बांके सागर में केवल सिंचाई योग्य ही पानी था, अधिक पानी न था।

(३) पानी न होने के कारण न भरा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तालाब में फसल के मुकाबले में पहले पानी देने का अब तक प्रोसेस चला आ रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—समझ में नहीं आया, क्या सवाल है आपका ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि फसल को पानी देने के मुकाबले में इस सूरजकुण्ड में पहले से पानी भरने का प्रोसेस चला आ रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जरा और साफ करें तो।

श्री अध्यक्ष—फसल के मुकाबले में इसे पानी देना ज्यादा इम्पोर्टेन्ट समझा जाता रहा है, ऐसा सिलसिला चला आ रहा है क्या ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं चला आ रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सूरजकुण्ड तालाब को पानी देने के सम्बन्ध में माननीय भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने तीन चार हुक्म दिये और उन हुक्मों में यह लिखा गया है कि पानी पर्याप्त है और इसलिए सूरजकुण्ड को पानी दिया जावे, पर फिर भी नीचे के अधिकारियों द्वारा इन हुक्मों की कोई तामील नहीं की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मन्त्री महोदय को इस बात की क्या जानकारी हो सकती है कि पानी पर्याप्त है या नहीं। किसी ने आकर कहा होगा और कोई दरख्वास्त दी होगी तो उसी के आधार पर उन्होंने कोई आदेश दिये होंगे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री ने यह आदेश दिया था कि इसकी फौरन तामील की जाय और सिंचाई अधिकारियों ने इसकी कोई तामील नहीं की ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि सिंचाई विभाग की ओर से कलेक्टर और एस. डी. ओ. को यह आदेश दिया गया था और इसके आधार पर इसका एक्सटेन्शन किया गया कि इस सूरजकुण्ड में पानी की भराई हो। पानी भी पर्याप्त है। यही एग्रीमेन्ट करके कि इसको पानी दे दिया जावे यह एक्सटेन्शन किया गया था ?

Page No.3

श्री अध्यक्ष– Next. This is giving information, rather than seeking information.

श्री चाँदमल मेहता—मैं एक प्रश्न और कर लूं। क्या मन्त्री महोदय इस बात की जांच करने को तैयार हैं कि तालाब में पानी पर्याप्त होते हुए भी लापरवाही के कारण इसमें पानी नहीं दिया गया?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी अब तक की जानकारी में तो यही है कि पानी केवल फसल के लायक था, अधिक नहीं था इसलिये उसे पानी नहीं दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता—मैं आपकी जानकारी में यह बतला दूं कि पानी काफी मौजूद है और क्या आप इसकी जांच करने को तैयार हैं कि यहां गलत जवाब दिया गया है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आप सजा देने को तैयार हैं या नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब तक तो हमारी जानकारी में ऐसी बात है नहीं और अब अगर ऐसी जानकारी बताई जावेगी कि जिससे ये जवाब गलत होंगे तो इस पर जरूर विचार किया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—अभी मैं आपको फाइल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७८

सरवाड ग्राम के तालाब खारिया, गोविन्द सागर, भगूता तथा दूजोडल्या नहर की मिट्टी निकालने सम्बन्धी

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सरवाड ग्राम के तालाब खारिया, गोविन्द सागर, भगूता और दुजोडल्या में जो नहर नदी का पानी ले जाने के लिये है उसकी मिट्टी कितने वर्षों से नहीं निकलवाई गई है?

(२) क्या यह सही है कि ५३-५४ के वर्ष में नहर की मिट्टी नहीं निकालने की वजह से ये चारों तालाब काफी वर्षा होते हुई भी खाली रह गये?

(३) उपरोक्त तालाबों से ५३-५४ के वर्ष में प्रत्येक से कितने कितने बीघा जमीन की सिंचाई की गई और सरकार को सिंचाई की कितनी आमदनी हुई?

श्री टीकाराम पालीवाल—(१) कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(२) नहर की खराबी की वजह से ये चारों तालाब खाली नहीं रहे बल्कि नदी इस वर्ष बहुत कम आई जिससे बन्ध में पानी न आ सका।

(३) खारिया, गोविन्द सागर से लगभग ६०० बीघा तथा भगोता और जड़ जोड़ली से लगभग ७०० बीघा जमीन की सिंचाई हुई और सिंचाई की आय लगभग ४५०) तथा ३५०) क्रमशः हुई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि नदी में पानी कम नहीं आया बल्कि पानी इतना ज्यादा आया की सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था की वजह से तालाब में पानी आकर भी वापिस निकल गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में प्रेसीडेन्ट, नगर कॉंग्रेस कमेटी, सरवाड़ ने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि इस तरह की सरकारी कर्मचारियों की अव्यवस्था की वजह से सारा पानी व्यर्थ गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई जांच करने को तैयार है कि सरकारी कर्मचारियों की अव्यवस्था की वजह से सारा पानी व्यर्थ गया; नदी में पानी तो बहुत आया पर उनकी अव्यवस्था की वजह से सब बेकार चला गया। क्या जांच करने को आप तैयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर तो यही प्रतीत होता है, पर अगर और अधिक जानकारी दी गई तो जांच की जावेगी।

प्रश्न संख्या ११७६

डॉ० वी० रतन का पद तथा उसकी योग्यताएं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Health Minister be pleased to answer :—

(a) What are the posts held by Dr. V. Ratan ?

(b) What are his qualifications ?

(c) Which of his qualifications are registerable under the Dentists Act, 1948 ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) Is the Government aware that in no State in India are people with qualifications less than a graduate employed as Lecturers in Colleges ?

(e) What are the reasons for employing a non-graduate in Dentistry as Lecturer in our Medical College ?

(उत्तर देने के लिये श्री चन्दनमल वैद, उपमन्त्री, के खड़े होने पर)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What has happened to the Hon'ble Health Minister ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमन्त्री)—(श्री स्वास्थ्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)

(क) लेक्चरार डैन्टिस्ट्री सवाई मानसिंह कालेज एवं डेन्टल सर्जन, सवाई मानसिंह अस्पताल ।

(ख) एल. डी. एस. सी. (करांची) के अलावा उनके पास बर्लिन युनिवर्सिटी के डिप्लोमा डेन्टल रेडियोलोजी व डेन्टिस्ट्री में हैं ।

(ग) केवल एल. डी. एस. सी. (करांची)

(घ) जी नहीं, दूसरे प्रान्तों में कई जगह लाइसेन्सियेट भी लेकचरार हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता । केवल डॉ० रतन ही सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा डैन्टल सर्जन के पद के लिये निर्वाचित किये गये थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात पर भी कभी गौर किया है कि लाइसेन्सियेट ग्रेजुएट पढ़ा सकता है अथवा उनको तैयार कर सकता है ?

श्री चन्दनमल वैद—(श्री रामकरण जोशी के आने पर) जरा फिर से बतलाइये साहब ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात पर भी कभी गौर किया है कि लाइसेन्सियेट ग्रेजुएट को किस प्रकार पढ़ा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकता है ?

श्री रामकरण जोशी—उस क्वालिफिकेशन के डॉक्टर लोग एलाउड हैं पढ़ाने के लिए । हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी कौन्सिल है डैन्टल, उसने ऐसा कह दिया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इन्डियन मेडीकल कोन्सिल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है ?

श्री अध्यक्ष—मेडीकल कौन्सिल नहीं, डैन्टल कौन्सिल ।

Page No.6

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is a specific Dental Council.

श्री रामकरण जोशी—इन्डियन डेन्टल एक्ट के अनुसार वे क्वालिफाइड हैं उन्हें पढ़ाने के लिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्डियन डेन्टल एक्ट में केवल रजिस्ट्रेशन के लिए वे क्वालिफाइड हैं या उसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन हैं?

श्री रामकरण जोशी—एल. डी. एस. सी. (करांची) की डिग्री से पढ़ाने के लिए वह क्वालिफाइड हैं कॉलेजेज़ में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एल. डी. एस. सी. केवल फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन गिनी जाती है और इसके अलवा नहीं।

श्री रामकरण जोशी—यह कहना सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इन्डियन डेन्टल एक्ट ने इस सिलसिले में जो राय जाहिर की है वह निश्चित एस. डी. एस. सी. की क्वालिफिकेशन नहीं गिनी जाती है, ऐसा है।

श्री रामकरण जोशी—इन्डियन एक्ट के मुताबिक ऐसा कहना सही नहीं है, गलत है।

श्री जसवन्तसिंह—इसकी यह क्वालिफिकेशन लाइसेन्सिसेट है या डिग्री होती है।

श्री रामकरण जोशी—करांची की जो क्वालिफिकेशन है वह डिग्री ही कहलाती है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या इसी क्वालिफिकेशन के तहत दूसरे लेक्चरार हिन्दुस्तान में और जगह पाये जाते हैं?

श्री रामकरण जोशी—सब जगह पाये जाते होंगे। इसी के आगे फोरेन की क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं?

श्री जसवन्तसिंह—वह क्या क्वालिफिकेशन पास करके वापिस आते हैं?

श्री रामकरण जोशी—यहां से ज्यादा और फोरेन में जो क्वालिफिकेशन होती है वह पास करके आते हैं ताकि पब्लिक की और ज्यादा सेवा कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इन्डियन डेन्टल एक्ट की धारा ४८ में केवल एल.डी.एस.सी. को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए गिना गया है।

Page No.7

श्री अध्यक्ष—This is a question of interpretation of the Statute.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has made a statement. Otherwise......

श्री अध्यक्ष—The Act is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Otherwise I would not have referred to this. Since a reference has been made to Section 48......

श्री रामकरण जोशी—No Section, but Indian Dental Act of '48.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is only for first registration.

दूसरा प्रश्न है, क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि और अन्य राज्यों में लाइसेन्शियट लोग लेक्चरार हैं ?

श्री अध्यक्ष—कहा कि होंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी कहा है कि "है" ।

श्री अध्यक्ष—That is not within the competence of this House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि लाइसेन्शियेट को ग्रेजुएट्स को तैयार करने का काम देने पर फिर से विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—I do not allow such supplementaries. The reply has already been given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No reply has been given.

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार इस क्वालिफिकेशन को काफी क्वालिफिकेशन समझती है ?

श्री अध्यक्ष—क्वालिफिकेशन-नो क्वालिफिकेशन का कोई सवाल नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know whether the Government is prepared to consider anew whether it should entrust the task of preparing graduates in the hands of licentiates, and is so, to what purpose ?

श्री रामकरण जोशी—जिन लेक्चरार को पढ़ाने का काम सौंपा है उनका काम सेटिस्फेक्ट्री चल रहा है, पढ़ने वालों को कोई शिकायत नहीं है। आपको क्यों शिकायत है ?

श्री जसवन्तसिंह—सेटिस्फेक्ट्री काम के क्या मायने हैं, सेटिस्फेक्ट्री काम तो मेडीकल मिनिस्टर साहब भी चला रहे हैं।

श्री रामकरण जोशी—'सेटिस्फेक्ट्री' का मतलब 'संतोषजनक' है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११८०

डा० वी रतन, सीनियर डेन्टल सर्जन द्वारा "Z. D. S. (Vien)" का प्रयोग आपत्तिजनक

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Health be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that Dr. V. Ratan, Senior Dental Surgeon, S. M. S. Hospital, uses Z. D. S. (Vien) with his name as qualification ?

(b) Is the Government aware that Z. D. S. (Vien) is no qualification ?

(c) Is the Government aware that Prof. Dr. F. Drisk, Director of the University of Vienna, has strongly condemned the use of Z. D. S. (Vien) as a degree or a qualification ?

(d) What steps the Government propose to take to prevent such efforts at cheating the public ?

श्री रामकरण जोशी—(क) अब वह इस्तेमाल नहीं करते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस समय के लिए उन्होंने इस्माल किया था उस समय के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—वह उसे इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में एक स्टेटमेंट वहाँ से आया कि Z. D. S. की डिग्री नहीं पाई जाती है, लेकिन हिन्दुस्तान के लिए इन्डियन डेन्टल एक्ट में Z. D. S. एक डिग्री है और उसमें लिखा है; लेकिन फिर भी उस क्वालिफिकेशन को वह इस्तेमाल

[श्री श्रीदास गोयल]

नहीं कर रहे हैं अपने नाम के आगे। वह वहाँ से तय होने के बाद में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि एम.बी.बी.एस. को पढ़ाने के लिए वह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री रामकरण जोशी—ऐसी बात सरकार के ध्यान कोई नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लेटर पेड पर वह डिग्री उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई मौजूद है ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास उनके लेटर पेड पर लिखी हुई कोई डिग्री नहीं आई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पब्लिक को इस तरह से कोई मुगालता नहीं दिया जाय, इस सिलसिले में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकरण जोशी—उनके पास डिप्लोमा है और वह अगर उसमें लिखा हुआ है तो कोई मुगालता नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—Z. D. S. का टाइटल उन्होंने सीधा ड्रॉ (draw) किया है या गवर्नमेंट के आदेश से ?

श्री रामकरण जोशी—गवर्नमेंट ने उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा था, तो उन्होंने उस जगह पुछवाया है और वहां पर उसका फैसला होने तक के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल बन्द कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गवर्नमेंट को चाहिए था कि वह मालूम करे कि क्वालिफिकेशन क्यों लगाई है, किस आधार पर लगाई है ?

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब दिया है।

प्रश्न संख्या ११८१

राजस्थान के रेगिस्तान में फोरेस्ट बेल्ट बनाने सम्बन्धी केन्द्रीय तथा राजस्थान सरकार का व्यय

श्री शिवदान सिंह—क्या वन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.10

[श्री शिवदानसिंह]

(क) राजस्थान के रेगिस्तान में जो फोरेस्ट बेल्ट बनाई जा रही है उस योजना में केन्द्रीय और राजस्थान सरकार किस हिसाब से प्रतिशत व्यय लगाती है ?

(ख) आज दिन तक राजस्थान का उपर्युक्त काम में कितना खर्च हुआ और कितना मील लम्बा-चौडा बन तैयार हुआ ?

(ग) अगर इस स्कीम से इच्छित कामयाबी नहीं हुई तो क्या इस योजना पर पुनः सोचने का सरकार विचार कर रही है ?

(घ) क्या इस योजना में पूरी कामयाबी न होने का कारण बीज बोये जाने का तरीका ठीक नहीं है या बोये हुये वन की रक्षा की अव्यवस्थान या पर्याप्त जल-सिंचन नहीं मिलना है ?

(ङ) अगर अन्तिम कारण सही हैं तो क्या सरकार इस बेल्ट को उचित भागों में विभक्त करके उसे जोतने के लिए स्थानीय लोगों को वाजिब शर्त पर देने को तैयार है ?

(च) अगर इसका उतर 'हां' में है, तो क्या सरकार उपरोक्त कृषकों की मदद के लिये ट्यूब वेल भी खुदवा देगी ?

(छ) क्या ट्यूब वेल बन जाने से वहां की अन्न, जल, जंगल, बीहड़पन आदि की समस्यायें हल हो जावेंगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) यह योजना केन्द्रीय सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार को केवल जमीन दी है।

(ख) जमीन एक्वायर करने के सिलसिले में लगभग २५०० रु० खर्च हुआ और अभी तक ५६४७६ एकड़ भूमि एक्वायर की गई है।

(ग) वन लगाने का काम अभी शुरू हुआ है।

(घ) से (छ) तक के प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

श्री शिवदानसिंह—मुझे प्रश्न (घ) का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य असल में जानना यह चाहते हैं कि यह जो बेल्ट बन रही है वह केन्द्रीय सरकार की ओर से बन रही है और उसमें जो बेल्ट में सोइङ्ग (बुवाई)

[श्री अमृतलाल यादव]

हुई है वह केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने किया है । यह तो एक बेल्ट शुरू हो रही है और बाकी को शुरू होने वाली है । उसकी सफलता और असफलता बाद में मालूम होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(घ) का उत्तर नहीं आया है । What is the reason ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कामयाब नहीं हुए हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठता है क्या ?

श्री खेतसिंह—यह फोरेस्ट बेल्ट किस जगह बनाये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—बाडमेर जिले में हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पिछले साल इस प्रकार का एक्सपेरिमेन्ट नाकामयाब हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—नाकामयाब इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कुछ कमियें अवश्य रहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने यह छानबीन करने की कोशिश की है कि जितनी कमी रही उसका कारण क्या था । बोने के तरीके में गलती रही, अथवा रक्षा की कमी रही अथवा सिचाई की कमी रही; किस चीज की कमी रही ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, सरकार ने कोशिश की । जो कमियें रहीं उनको इस साल दूर-करने की कोशिश की गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या कमियां रहीं, मैंने यह पूछा था ।

श्री अमृतलाल यादव—पहली कमी तो जमीन को अख्त्यार करने की रही, दूसरी इसको टाइप करने की रही, तीसरी बात यह है कि जो-जो घेरे बनाने चाहिये उसकी रही । इसके अलावा यह प्रयोग कुछ देर से शुरू हुआ था क्योंकि इकोता देर से मिला था; इसलिये कुछ कमिरें रह गई ।

श्री शिवदानसिंह—यह काम राजस्थान सरकार के ऑफिसरों की निगरानी में हुआ या भारत सरकार के ऑफिसरों की निगरानी में ?

श्री अमृतलाल यादव—इसमें निगरानी-गैर-निगरानी का सवाल नहीं होता । जब

Page No.12

[श्री अमृतलाल यादव]

नया काम शुरू किया जाता है तो कमियां रह जाती हैं । कमियें निकालने की कोशिश की जानी चाहिये ।

श्री खेतसिंह—कितने मन बीज इस वक्त बोया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य खुद वहां मौजूद थे और उनको मालूम है कि १५५ मन बोया गया ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या बाडमेर के पास बेल्ट लगाने से राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली की तरफ से बढ़ने से रोका जा सकेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—आपने क्या फरमाया, मैं सुन नहीं सका ?

श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने अभी फरमाया था कि राजस्थान के डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिये बाडमेर के पास बेल्ट लगाया जा रहा है । क्या एक ही जगह बेल्ट लगाने से डेज़र्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—डेज़र्ट रोकने के लिये हर दिशा में कदम उठाया जाना चाहिये । इस दिशा में यह पहला ही कदम उठाया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या ११८२

राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में राजस्थान सरकार के विरुद्ध सिविल सूट्स

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान की विभिन्न अदालतों में राजस्थान सरकार के खिलाफ कितने सिविल सूट्स इस वक्त चल रहे हैं ?

(ख) इन सिविल सूट्स में कितने ऐसे मामले हैं जो सिक्योरिटी वापिस लौटाने के है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मंत्री)—(क) इस समय राजस्थान सरकार के खिलाफ ३३४ सिबल सूट्स विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं जिनमें ३१ दावों की जेर तजवीज अपीलें शामिल हैं ।

(ख) सिक्योरिटी वापिस लौटाने के निमित्त दायर किये दावों की सूचना पूर्ण रूप से एकत्रित नहीं हो सकी है, जो एकत्रित की जा रही है ।

प्रश्न संख्या ११८३

धौलपुर नगर के समीप चोपड़ा नामक कुन्ड को वर्षा ऋतु में जल से भरना

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;—

(क) क्या धोलपुर सिटी के पास चोपडा नामक कुण्ड को पानी से भरने का प्रबन्ध हर वर्ष वर्षा ऋतु में निर्माण विभाग द्वारा होता था जिससे यहां पर लगने वाले मेला शरद में आनेवाली मवेशी और यात्रियों को पानी मिल जाता था ?

(ख) क्या मेला शरद द्वारा सरकार की एक लाख से अधिक की आमदनी होती है ?

(ग) अब यह कुन्ड क्यों नहीं भराया जाता है और इसकी मरम्मत का क्या प्रबन्ध है ?

(घ) क्या निर्माण विभाग वाटर वर्क्स द्वारा उसको भरने का अब प्रबन्ध कराया जायगा ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) यह कुण्ड प्रतिवर्ष वर्षा के पानी से भरता है। वर्षा का पानी आने के बाद में जो छोटी मोटी रूकावटें होती है वे पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा हटा दी जाती है।

(ख) मेले का आयोजन कस्टम विभाग द्वारा होता है; अस्तु इसकी सूचना वहां से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में कहा गया है, इस कुण्ड का भरना न भरना वर्षा पर निर्भर है।

(घ) धोलपुर में वाटर वर्क्स स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के अंतर्गत है इसलिये निर्माण विभाग इस विषय में कोई कार्य-वाही साधारणतः करने में असमर्थ है।

(ङ) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या ११८४ और ११८५

श्री अध्यक्ष—श्री घासीराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ११८६

गंगानगर जिले में शरणार्थियों से माली रकम की वसूली

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पुनर्वास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गंगानगर जिले में शरणार्थियों से कितनी माली रकम फालतू वसूल की जा रही है ?

(ख) इस रकम की वसूली कब तक बन्द कर दी जायगी ?

(ग) यह पुरूषार्थी जो पाकिस्तान में अपनी घरू भूमि छोड आये हैं उनसे यह रकम क्यों वसूल की जा रही है ?

(घ) ऐसे शरणार्थी जो अपनी जमीन पाकिस्तान में छोड़कर आये हैं और उनको यहां अधिक माली रकम देनी पड़ती है क्या सरकार उनको पाकिस्तान वाली भूमि के एवज में कोई रकम देगी ?

(ङ) यह अधिक रकम लगाने का क्या आधार है ? क्या गंगानगर जिले में सरकार यह रकम पुख्ता रकबा काश्त (मेच्योर्ड एरिया) पर लगा रही है ? यदि नहीं लगा रही, तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी हां, रकम या जमीन, जैसी व्यवस्था होगी, दी जायगी।

(ङ) वैसे इस प्रश्न का सम्बन्ध भारत सरकार से है। यह केवल गंगानगर जिले की ही बात नहीं है लेकिन देश के और भागों में भी ऐसी ही बात है। सब जगह लागू है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन वहाँ किस आधार पर लागू है ? रकम लगाने का आधार क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने किस आधार पर लगाया है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो भारत सरकार से पूछा जाना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्थान सरकार रकम यों ही वसूल कर रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—कानून के माफिक वसूल की जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो रकम वसूल की जाती है वह किस आधार पर की जाती है?

श्री अमृतलाल यादव—जहां तक आधर का ताल्लुक है वह आप भारत सरकार से पूछें, रकम भारत सरकार के आदेश से वसूल की जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन बार-बार यही जानना चाहता हूँ कि क्या जो रकम वसूल की जा रही है क्या वह बगैर उसूल के वसूल की जा रही है।

श्री अमृतलाल यादव—जहां तक मेरी जानकारी है मैं बतला देता हूँ। जो खालसा जमीन है उस पर जो लेन्ड रेवेन्यु लिया जाता है उसके बराबर उतनी रकम रेन्ट के तौर पर गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया लेती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि गंगानगर जिले में रेन्ट से ज्यादा रकम वसूल की जा रही है?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यदि वसूल की जा रही है तो क्या जांच कराने को सरकार तैयार है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या ११८७

धौलपुर अस्तबल का जीर्णोद्धार

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या धोलपुर अस्तबल, जो लाखों रूपये की इमारत है और हर वर्ष गिरती हुई चली जा रही है, उसकी मरम्मत होती है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ख) क्या उसको किराये पर देने या मन्डी आदि बनाने का सरकार का विचार है?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—निर्माण विभाग द्वारा नहीं। इसका कारण यह है कि महाराजा धोलपुर के निजी सँपत्ति का निश्चय हाल ही में हुआ है।

(ख) इस इमारत को बेचने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जसवन्तसिंह—इमारत गिर जायगी, उसके बाद विचार पूरा होगा कि इमारत का का क्या करना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इमारत गिरने के लिये नियम नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—गिरने का नियम तो नहीं है, लेकिन मरम्मत नहीं की जाती तो क्या गिरने के बाद मरम्मत करेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—महाराजा की प्राइवेट प्रोपर्टी का निर्णय अभी हुआ है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह इमारत प्राइवेट प्रोपर्टी में आई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—राजस्थान सरकार के हिस्से में आई है लेकिन इसका निर्णय अप्रेल माह में हुआ है, इसलिये पहले मरम्मत नहीं कराई जा सकी।

प्रश्न संख्या ११८८

गंगानगर नहर की बन्दी

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर नहर में साल में कितने दिन बन्दी होती है ?

(ख) साल १९५३-५४ में आर. बी. अपर की टेल और ए. माइनर की टेल पर कितने दिन पानी चला ? जितने दिन पानी चला उसमें से फुल सप्लाई कितने दिन की ?

(ग) आर. बी अपर पर पानी की कमी होने का क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये तैयार है ? यदि तैयार है, तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—(क) नहरों की मरम्मत के लिये गंगानगर नहर को १० दिन के लिये बन्द किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदी में अत्याधिक बाढ़ आने के कारण फीरोजपुर हैड पर पंजाब के इंजिनियर्स वर्षा ऋतु में पानी को कम कर देते हैं या बन्द भी कर देते हैं।

(ख) आर. बी. अपर टेल नहीं है। ए. माइनर टेल पर साल में ३२८ दिन पानी चला जिसमें २४७ दिन पूरा चला।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ग) आर. बी. अपर में २७६ दिन पानी चला जिसमें २४८ दिन पूरा सप्लाई चला। आर. बी. अपर में पानी की कहीं कमी नहीं रही।

(घ) ऊपर जो उत्तर दिया है उसके बाद इसके उत्तर की जरूरत नहीं रहती।

श्री गुरूदयालसिंह सिन्धु—मैं (क) का उत्तर चाहता हूँ कि नहरों में कितने दिन की बन्दी रही ?

श्री टीकाराम पालीवाल—१० दिन आमतौर से बन्द रहती है और कभी-कभी असाधारण हालत में इन्जिनियर्स ज्यादा दिन भी बन्द कर देते हैं।

श्री गुरूदयालसिंह सिन्धु—साल भर में १० दिन ही बन्द रहती है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है सरकार के पास ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने 'साधारणतया बताया' कहा है। असाधारण हालतों में जैसे कि बाढ़ आ जाने की हालतों में और इसी तरह की दूसरी हालतों में ज्यादा दिन तक बन्दी रह सकती हैं।

श्री गुरूदयालसिंह सिन्धु—क्या यह सही है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नहर १५५ दिन साल में बन्द रहती हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या सरकारी रिपोर्ट जो है वह गलत है ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise.

प्रश्न संख्या ११८६

शहरों तथा देहातों की स्कूलों तथा कॉलेजों के भवनों पर पिछले पांच वर्ष में व्यय

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में स्कूलों और कॉलेजों की इमारतों पर पिछले पांच साल में कितना रूपया खर्च किया है; उसमें शहरों में कितना और देहातों में कितना ?

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

(ख) गंगानगर जिले के देहातों में कितना और शहरों में कितना खर्च किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—(क) गत पांच वर्षों में निर्माण विभाग द्वारा दो स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें बनीं। उन पर २१,०८,३५६) रूपया व्यय हुआ, इसमें से शहरों में १०,९६,६३६) और देहातों में १०,११,७२०) रूपया।

(ख) गंगानगर जिले में स्कूलों और कालेजों की इमारतों पर ८४,२७३) रूपया खर्च किया गया। गंगानगर स्वयं भी शहर की गणना में नहीं आता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—देहातों में भी क्या स्कूलों की इमारतें बनाई गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि गंगानगर की गिनती शहरों मे नहीं आती, देहाती इलाके में शामिल है। वहां सभी देहाती इलाका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गंगानगर म्युनिसिपल लिमिट्स के बाहर कितना रूपया स्कूलों और कॉलेजों की बिल्डिंगों पर खर्च किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्न में सिर्फ देहातों और गंगानगर का सवाल था और यह एक अलग प्रश्न है; इसके लिये अलग क्वेश्चन पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ११६०

बीकानेर के शासकीय औषधालयों में मरीजों को स्पंज बाथ (sponge bath) दिलाना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Medical Department be pleased to answer:

(a) Is the Government aware that patients in the Government Hospital in Bikaner even when they remain in bed in the ward for months are not given any sponge bath ?

(b) Is the Government aware that the Hospital authorities when questioned about it say that there is no such provision for their Hospital in the Budget.

Page No.19

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Will the Government take steps to remove this grave anamoly and defect?

(श्री रामकरण जोशी व श्री टीकाराम पालीवाल दोनों एक साथ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये खड़े हुए)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या दो मिनिस्टर्स इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं एक साथ ?

(हँसी)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--(अ) जी नहीं। जो रोगी चल-फिर नहीं सकते उन्हें स्पांज बाथ कराया जाता है।

(ब) जी नहीं, हर एक वार्ड को इस कार्य के लिये काफी तादाद में साबुन दिया जाता है।

(स) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस विषय की शिकायत स्थानीय पी.एम.ओ.के पास बीकानेर के नगर निवासियों द्वारा की गई और इसका उत्तर दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी–पी.एम.ओ. ने ता० १६-७-५४ को नर्सों को फिर से आगाह किया। नर्सिंग स्टाफ को हिदायत की कि रोगियों को तौलिया स्नान के लिये अवश्य दिया जाना चाहिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उनको स्पंज बाथ कौन देता है, अगर दिया जाता है तो ?

श्री रामकरण जोशी--नर्सिंग स्टाफ में से दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह डेट क्या है, कौनसी तारीख से फिर आदेश दिया है ?

श्री रामकरण जोशी–नर्सिंग स्टाफ को मेटर्न का आदेश पहले से है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--फिर से जो ऑर्डर हुआ, वह कौनसी तारीख को हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—बीकानेर के पी.एम.ओ.ने १६-७-५४ को फिर से ऑर्डर दिया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इस ऑर्डर के बाद कितने स्पंज बाथ कराये गये ?

Page No.20

श्री रामकरण जोशी—यह तो रेकॉर्ड देखने से मालूम हो सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--रेकॉर्ड देखने से तो बहुत सी जानकारी हो सकती है, परन्तु मिनिस्टर साहब से इतल्ला चाही जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६१

किशनगढ़ शहर में शरणार्थियों के लिये दुकानें बनवाने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री चाँदमल मेहता—क्या पुनःसंस्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या किशनगढ़ शहर में शरणार्थियों के लिये दुकानें बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जी हां।

(ख) यथा संभव, शीघ्र ही।

श्री चाँदमल मेहता—कितने अर्से से यह योजना विचाराधीन है?

श्री अमृतलाल यादव—कुछ अर्से से है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले दो सालों से बजट में जो रकम इस काम के लिये स्वीकार की जाती है वह लेप्स होती है?

श्री अमृतलाल यादव--पिछले साल की रकम के लेप्स होने का सवाल नहीं पैदा होता। यह तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से मिलने वाली रकम है जो कि जमीन एक्वायर होते ही रकम दे दी जायगी।

श्री चाँदमल मेहता—कितने वर्षों से यह जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही है?

श्री अमृतलाल यादव--आपसी समझौते से कोशिश की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता--कितने वर्षों से कोशिश की जा रही है और वह कोशिश कब तक सफल हो जायगी?

Page No.21

श्री अमृतलाल यादव—वर्षों का कोई सवाल नहीं है, पिछले साल से कोशिश हो रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सन् १९५३-५४ के बजट में इस काम के लिये रखी हुई ५०००० रु की रकम लेप्स हो गई और सन् १९५१-५२ के बजट में इस काम के लिये रखी हुई ५०००० की रकम लेप्स हो गई ?

श्री अमृतलाल यादव—लेप्स होने का सवाल नहीं। जब रकम मिल जाय तभी दुकानें बन सकती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या दो साल से इस जमीन को लेने में सरकार सफल नहीं हो सकी ?

श्री अमृतलाल यादव—दो साल से नहीं, मैंने कहा एक साल।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या दोनों वर्षों में जो रकम इस काम के लिये बजट में रखी गई वह अन-युटिलाइज़्ड (unutilised) रह गई ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत सी रकम अन-युटिलाइज़्ड रह जाती है, मौके की जमीन से इसका ताल्लुक है, लेप्स होने का सवाल नहीं।

श्री देवपाल त्यागी—सरकार और जमीन मालिक के बीच अगर यह समझौता नहीं हो पाया, तो क्या दुकानें नहीं बनेंगी ?

श्री अमृतलाल यादव—वे दुकानें तो अजमेर और किशनगढ़ के बीच जंगल में भी बनाई जा सकती हैं; पर दुकानें वहीं बननी चाहिये कि आदमी को आमदनी हो और धंधा मिले। इसलिये यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है।

श्री चाँदमल मेहता—इस अहम प्रश्न में इतनी देर क्यों की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—अहम प्रश्न में देर हुआ ही करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do we take it an authoritative statement of Government policy कि अहम प्रश्नों में देरी हुआ करती है।

In the parleamentary convention it is permissible to seek authoritative interpretation of Government policy.

श्री जयनारायण व्यास—You can take it an authoritative statement. We do not do things thoughtlessly. We do these after due thought and, if some delay takes place, we cannot help.

Page No.22

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do we take it; I am calling for a specific answer. Do I take it an authoritative statement of Government policy that in all important questions there is delay.

श्री जयनारायण व्यास—Whatever I have said is an authoritative statement.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—Do we take it, Sir, that in deciding important matters, the Government takes even years to consider ?

श्री अध्यक्ष—Do not take things seriously. Next, Shri Sajjan singh.

प्रश्न संख्या ११६२

बूंदी में वाटर वर्क्स के अभाव में वहाँ की जनता के लिये पेय जल की कमी

श्री सज्जनसिंह—क्या पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या उन्हें मालूम है कि बूंदी में वाटर वर्क्स के अभाव में वहां की जनता को पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है ?

(ब) क्या इस वर्ष की योजना में बूंदी शहर का वाटर वर्क्स भी सम्मिलित किया गया है ?

(स) यदि हां, तो वह कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(द) यदि नहीं, तो बूंदी को किस कारण से इस अत्यावश्यक साधन से वंचित रखा गया है और कब तक यह प्रबंध हो जाने की आशा की जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अ) राजस्थान सरकार को इस विषय में पूरी जानकारी है।

(ब) इस संक्षिप्त योजना को पूरा करने के लिये इस साल बजट में ५,००,३६०) रुपये रखे गये हैं।

(स) संक्षिप्त योजना शीघ्र ही कार्यान्वित हो जाती पर बूंदी म्युनिसिपेलिटी ने भी विस्तृत योजना बनाने का निश्चय किया है; अतः इस कार्य में दो वर्ष लग जायेंगे।

(द) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—क्या सरकार ने विस्तृत योजना शुरू कर ली है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—म्युनिसिपल बोर्ड का प्रश्न है। सरकार लोन्स आदि देकर उसे फाइनेन्स करने पर विचार कर सकती है।

Page No.23

एक माननीय सदस्य—क्या विस्तृत योजना जो उन्होंने बना कर भेज दी वह माननीय मन्त्री के समक्ष आ चुकी है?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, मेरे समक्ष नहीं आई है।

श्री जसवन्तसिंह—फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि दो वर्ष के अन्दर वह कार्यान्वित हो जायगी?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६३

जयपुर की हाई कोर्ट के भवन निर्माण के हेतु सरकार द्वारा रकम की स्वीकृति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Law be pleased to answer :—

(a) Has the Government sanctioned any amount for the construction of a building for the High Court at Jaipur ? if so, how much ?

(b) Is the Government thinking of shifting the seat of the Rajasthan High Court from Jodhpur to Jaipur ?

(c) Will the Government make an unequivocal declaration on this question to set at rest various doubts arising in the minds of the people of Jodhpur regarding the shifting of the High Court ?

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मन्त्री)—

(अ) उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच के लिये एक भवन निर्माण करने के हेतु ५ लाख रुपये की रकम की मंजूरी दे दी गई है।

(ब) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(स) (ब) के उत्तर पर विचार करने के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि अजमेर स्टेट मर्ज होने के लिये इस शर्त पर तैयार है कि हाई कोर्ट्स को अजमेर में रक्खे जांय?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि हाई कोर्ट्स को जोधपुर से शिफ्ट करने के लिये ही यहां पर ५ लाख की बिल्डिंग बनाई जा रही है?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं पहले जवाब दे चुका हूँ।

श्री खेतसिंह—क्या हम यह मानें कि जोधपुर से हाई कोर्ट की सीट कभी शिफ्ट नहीं की जावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो उत्तर दिया गया है वह स्पष्ट है, इसलिये इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री खेतसिंह—उत्तर गोलमाल है, इसलिये यह पूछा गया है।

श्री टीकाराम पालीवाल—उत्तर नितान्त स्पष्ट है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह निश्चित है कि जयपुर में हाई कोर्ट की एक सीट स्थायी रखी जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तक तो यही निश्चय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it committed to the recommendations of the patel Committee ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पटेल कमेटी की बहुत सी सिफारिशें थीं; किस सिलसिले में जिक्र कर रहे हैं आप ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसी सिलसिले में in this respect क्या सिफारिश की, आप रखिये तो बताऊं।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या यह सही है कि उदयपुर की बार एसोसियेशन ने भी कोई ऐसा रिज़ोल्युशन पास किया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे थोड़ा-थोड़ा ध्यान पड़ता है।

श्री खेतसिंह—अजमेर के बार कौंसिल ने भी इस प्रकार का रिज़ोल्युशन पास किया है कि हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में ही रहनी चाहिये, क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी नहीं है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलावेंगे कि जोधपुर के सदस्यों को इस प्रकार की शंका क्यों पैदा हुई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे मालूम नहीं क्यों हुई ?

श्री खेतसिंह—५ लाख की बिल्डिंग बनने की योजना हुई, इसलिये यह शंका हुई।

Page No.25

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या सरकार पटेल कमेटी की रिपोर्ट से बंधी हुई है?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार पटेल कमेटी के निर्णय को, कि राजस्थान हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में रहे और उसकी ब्रांच जयपुर में रहे, मानती है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह उचित है कि हाई कोर्ट की एक ब्रांच जयपुर में रहे?

श्री अध्यक्ष—उचित-अनुचित का कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६४

विलीनीकरण के समय बीकानेर औषधालय में रेफ्रिजरेटर्स तथा उनकी अब दशा

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister Incharge Medical Department be pleased to answer:-

(a) What was the Number of refrigerators in the Bikaner Hospital as on the day of Integration?

(b) How many of them are at present installed in the Hospital and are in working order?

(c) Where are the rest of them?

(d) If any of them are under repairs since how long have they thus been under repairs?

(e) Are any of them lying with the Mistry classed as under repairs? If so, how many and since how long?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(ए) एकीकरण के समय बिकानेर अस्पतालों में ६ रेफरीजरेटर थे, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है:

मेन्स अस्पताल	२
लेबोरेटरी	१
वीमेन्स अस्पताल	१
टी. बी. अस्पताल	१
मेडीकल स्टोर	१

(बी) ये सब इस समय उन अस्पतालों में लगे हुये हैं और दुरुस्त हैं। एक टी. बी. अस्पताल का रेफ्रीजरेटर जनरल मेडीकल स्टोर को दे दिया गया है, क्योंकि वहां पर नई मशीन लग गई है।

[श्री रामकरण जोशी]

(सी) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ड) उनमें से कोई भी मरम्मत में नही है।

(इ) कोई मशीन मरम्मत के नाम से मिस्त्री के पास नहीं पड़ी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट में कितने रेफ्रीजरेटर के ऑर्डर किये थे और खरीदे थे ?

श्री रामकरण जोशी—एकीकरण के समय का ब्योरा मैंने आपको बताया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सारे के सारे सामान की लिस्ट बना कर उस पर हस्ताक्षर किये गये थे ?

श्री रामकरण जोशी—सारा का सारा सामान उनके पास ही रख दिया गया था और अब उन्हीं के काम में आता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पुराने रजिस्टरों से उन आँकड़ों को चेक कर लिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—उत्तर दे दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रजिस्टर के आँकड़े इन फिगर्स से चेक कर लिये हैं या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—उन्हीं के आधार पर ये फिगर्स दिये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप जांच करवाएँगे कि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने कितने रेफ्रिजरेटर्स खरीदे थे ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जितने रेफ्रिजरेटर्स खरीद गये थे उनमें से अब एक तिहाई वहां मौजूद हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई बात सरकार के सामने स्पष्ट रूप से उठाई जावेगी तो जांच की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात की जांच करवाएगी कि कितने रेफ्रिजरेटर्स खरीदे गये थे भूतपूर्व बीकानेर स्टेट द्वारा ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी आवश्यकता तो महसूस नहीं होती है, लेकिन ऐसी कोई बात सरकार के सामने आवेगी तो जरूर जांच करवायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और किस रूप से यह बात सरकार के सामने आवेगी, तब सरकार इसकी जाँच करेगी? जब पुराने और मौजूदा रेजिस्टर्स के फिगर्स में इतना डिफरेन्स है तो भी सरकार उनके वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों नहीं समझती?

श्री रामकरण जोशी-पुराने और आज के फिगर्स में कोई डिफरेन्स नहीं है, यह तो आपने बतलाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ११६५

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय राजस्व मन्त्री से है, वे अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं आपका मतलब नहीं समझा।

श्री अमृतलल यादव—मेरे कहने के बाद समझ लीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—अपने-अपने खेतों में जो दरख्त होते हैं उनका सम्बन्ध फोरेस्ट से नहीं होता, उनका सम्बन्ध रेवेन्यू से होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो इन लोगों को समझाना चाहिये।

That is my problem that they do not understand and who will reply I will make them understand.

श्री जयनारायण व्यास—अधिकारी समझे हुए हैं और ठीक तरह से कार्यवाही करते हैं। अगर खेतों के वृक्ष काटे जाते हैं तो काटे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—Reply of the question will come on the scheduled turn. You want only reply?

प्रश्न संख्या ११६६

चाकसू तहसील के श्यामपुरा के बन्ध आदि बँधवाने सम्बन्धी चाकसू तहसील की ओर से सुझाव

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.28

श्री नारायण चतुर्वेदी]

(क) क्या चाक्सू तहसील के श्यामपुरा का बन्ध, खेजड़ी का बन्ध, कनोलिया, (सालम रामपुरा) की तलाई और कोथून के बन्ध बंधवाने सम्बन्धी सुझाव तहसील चाक्सू की ओर से आये हैं ?

(ख) इन बन्धों को बन्धवाने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिचाई मन्त्री)—(क) हाँ, आया है।

(ख) इसकी जाँच कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११९७

गंगानगर जिले में हरिजनों के उत्थान के हेतु शासकीय व्यय

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में हरिजनों की भलाई के लिए सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है और किस संस्था के मार्फत खर्च किया जा रहा है ?

(ख) जिस संस्था के लिए यह रुपया खर्च किया जा रहा है क्या यह संस्था हरिजनों की चुनी हुई संस्था है ?

(ग) उस संस्था ने हरिजनों की भलाई के लिए आज तक क्या-क्या काम किये हैं ?

(घ) क्या सरकार उस संस्था का चुनाव करने के लिए तैयार है ?

(ङ) क्या उस संस्था के मेम्बर सिर्फ कांग्रेसी ही हो सकते हैं या दूसरे भी ?

(च) अगर सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सन् १९५३-५४ में ४७१० रुपये खर्च किये गए। यह रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया।

(ख) (ग) (घ) (ङ) (च) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.29

श्री भंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने जिलेवाइज़ खर्च करने का कोई निर्णय कर रखा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाएगी कि क्या २ काम हरिजनों की भलाई के लिए किये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—५६ हरिजन विद्यार्थियों को २००० रुपयों की छात्रवृत्ति दी गई और ८५ विद्यार्थियों को ८५३ रुपयों की पाठ्य सामग्री आदि दी गई।

प्रश्न संख्या ११६८

किशनगढ़ स्थित मदनमोहनजी के मन्दिर का शासकीय नियन्त्रण

श्री चाँदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ स्थित मदनमोहनलालजी का मन्दिर कब से सरकार के नियन्त्रण में है ?

(ख) इस मन्दिर के सरकारी नियन्त्रण में होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस मन्दिर के हकदार कोटा वाले हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो इसको इन्हें नहीं लौटाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंडया (देव स्थान मन्त्री)—(क) किशनगढ़ स्थित मदनमोहनलालजी का मन्दिर तारीख १६-१-५३ से देव स्थान विभाग के नियन्त्रण में है।

(ख) इस मन्दिर का इन्तजाम ठीक न होने के परिणाम स्वरूप इसे सरकार के नियन्त्रण में रख दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चाँदमल मेहता—मन्दिर का इन्तजाम ठीक नहीं होने के सम्बन्ध में किसने और कब शिकायत की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सन् १६३८ में जब गोविन्दलालजी का देहान्त हो गया और उसके बाद में उसकी पत्नि और लड़के जीवनलालजी का देहान्त हुआ तो जीवनलालजी की पत्नि और

Page No.30

[श्री भोगीलाल पंड्या]

रणछोड़दास की पत्नि ने दूसरे व्यक्ति को गोद लेना चाहा तो उस समय किशनगढ़ सरकार ने उसकी मन्जूरी नहीं दी।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि यह मन्दिर कोटा वालों का है, वे इसके कानूनी हकदार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर कोटा वाले हकदार होते तो किशनगढ़ स्टेट ऐसा नहीं करती।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री की जानकारी में यह है कि किशनगढ़ स्टेट ने इस सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिसको प्रभावती और किशनावती गोद लेना चाहती थी उनको सरकार ने नहीं लेने दिया और किशनगढ़ स्टेट ने प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

श्री चाँदमल मेहता—यह फैसला कब दिया।

श्री भोगीलाल पंड्या—१९३८ में।

श्री चाँदमल मेहता—क्या और कोई हकदार सामने आया ?

श्री भोगीलाल पंडया—हकदार कई आये, मगर किशनगढ़ स्टेट ने इसे अपने नियन्त्रण में ले लिया।

श्री चाँदमल मेहता—वास्तव में जो हकदार हैं उनको मन्दिर वापिस नहीं लौटाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसके लिए कार्यवाही करने का वकीलों का काम है। वैसे किशनगढ़ स्टेट ने जो फैसला दिया वह ठीक है।

श्री चाँदमल मेहता—वकीलों का प्रश्न नहीं है। जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको मन्दिर नहीं लौटाने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उन्होंने बम्बई से किसी को गोद लेने की कोशिश की और मैं आपको बता चुका हूं कि किशनगढ़ स्टेट ने इसे स्वीकार नहीं किया और न गोद लेने की आज्ञा दी और सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—जानकारी देना चाहते हैं ?

(अनौपचारिक चर्चा)

श्री अध्यक्ष—जवाब माँगा और जवाब दे दिया है।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्रीजी ने जो कहा उसको मैं तो "गलत" कह कर चेलेन्ज करूँ, चूंकि अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में निर्णय दे चुके हैं...

श्री टीकाराम पालीवाल—जानकारी तो अभी भी दी जा सकती है।

प्रश्न संख्या १११४

वर्षा ऋतु में गुजरात से राजस्थान में ढोर चराने लाना

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—१६ तारीख को एक प्रश्न पृथक् राजस्व मन्त्री महोदय से पूछा गया था। उसका उत्तर मुझे देना था। १११४ नम्बर का प्रश्न था और वह श्री जवानसिंहजी का था।

श्री जवानसिंह—प्रश्न संख्या १११४, अगर माननीय अध्यक्ष मुझे इजाजत दें तो...

(अनुमति के पश्चात्)

क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गुजरात से वर्षा ऋतु में हजारों गायें, भेड़-बकरियाँ वगैरह राजस्थान में और खासकर सिरोही जिले में तीन माह के लिए घास चराने लाई जाती हैं और इस राज्य में इस कदर घास की कमी की समस्या को गम्भीर बनाते है ?

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त गायों व भेड़-बकरियों की रोकथाम के लिए जनता की ओर से निवेदन-पत्र प्राप्त हुए है ? अगर हाँ, तो सरकार ने इस बाबत क्या निश्चय किया है ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि गुजरात की सरकार राजस्थान से पशुओं को आने नहीं देती और इस तरह यहाँ के पशुओं को दुहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) जी हाँ, ऐसा १९५३ तक होता था।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ख) जी हाँ, १९५३ से इन पशुओं को राजस्थान में आने से रोक दिया गया है।

(ग) जी हाँ।

श्री जवानसिंह—सिरोही जिले की मवेशियों को क्या आबू रोड और दाँता पालनपुर जिलों में जाने दिया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, अब जाने दिया जायगा।

श्री जवानसिंह—कब से जाने दिया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—आप आज से ही समझ लीजिए।

(हँसी)

श्री जवानसिंह—यह आज्ञा कब से जारी की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—इस आज्ञा को जारी हुये एक महीना करीब हो गया है।

श्री जवानसिंह—बम्बई सरकार और राजस्थान सरकार के बीच यह समझौता कब हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव—तारीख तो मेरे पास नहीं है। महीना, सवा महीना हो गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अभी मन्त्रीजी ने यह फरमाया कि आज से ही यह शुरू होगा तो क्या एक महीने पहिले यह हुक्म जारी हो गया था कि आज से ही यह शुरू होगा या कैसे ?

श्री अमृतलाल यादव—आज से शुरू होगा, यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि आज से ही समझ लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसका क्या उद्घाटन दिवस निश्चित किया गया ?

(हँसी)

श्री जवानसिंह—टेक्स के लिए जो समझौता हुआ है तो यहाँ से जो मवेशी बम्बई आवेंगे उन पर कितना लगेगा और बम्बई से जो राजस्थान में आवेंगे उन पर कितना टेक्स लगेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—टेक्स का सवाल नहीं है। ग्रेजिंग फी यानि चराई लगेगी।

श्री जवानसिंह—तो क्या बिना टेक्स के ग्रेजिंग करने दिया जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव—ग्रेज़िंग फी उनसे ली जायगी।

श्री जवानसिंह—मैं यह पूछना चाहता था कि इसका आधार क्या है ? कितना राजस्थान सरकार वसूल करेगी और कितना बम्बई सरकार वसूल करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—वहाँ तो सरकार द्वारा रेट्स फिक्स्ड हैं। भैंस के लिए इतना, गाय के लिए इतना, बकरी के लिए इतना तथा दूसरे जानवरों के लिए इतना। उस हिसाब से ग्रेज़िंग फीस ली जायगी।

श्री जवानसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और बम्बई सरकार की रेट्स एक समान होंगी या भिन्न २ ?

श्री अमृतलाल यादव—यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता, टेरिफ अलग अलग हैं।

श्री जवानसिंह—राजस्थान सरकार ने समझौता क्या किया है, इस विषय पर ?

श्री अमृतलाल यादव—यह किया है कि इधर के मवेशी उधर जा सकती हैं और उधर की मवेशी इधर चरने के लिए आ सकती हैं। ग्रेजिंग फी नियमानुसार चार्ज कर सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ग्रेज़िंग फी राजस्थान के और बम्बई के एक हैं या भिन्न-भिन्न ?

श्री अमृतलाल यादव—बम्बई के बल्कि कम हैं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं आपको सूचना दे दूं कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की कार्यवाही से उन तारीखों के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्दिष्ट हैं, अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है :

श्री प्रतापसिंह	डि० नं० ११७	१६ जुलाई से ३१ जुलाई तक ।
श्री राधाकृष्ण मारू	,, ,, ११६	१७ जुलाई से पूर्ण सत्र के लिए ।
श्री अमरसिंह	,, ,, २	२० जुलाई से ३ अगस्त तक।

Page No.34

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—I have received a motion of privilege tabled by Shri Hari Krishan Vyas. I read out the motion:—

"That this House do discuss the breach of privilege by the Tehsildar of Ganganagar in arresting and sending to jail Shri Gurudayal, M. L. A., for a civil claim within forty days of the session of the Rajasthan Legislative Assembly."

I will like to know before I give my consent to this and before deciding whether it is in order or not, why this motion was put after such a long delay.

Only for this,

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि हमारी सब की जानकारी में है इस अधिवेशन के बीच यानि बजट अधिवेशन की शुरुआत होने के बाद १ सीटिंग सदन की खत्म हो गई और अप्रेल में जब दूसरी सिटिंग चालू हुई ही थी इस दरमियानी अर्से में इस सदन के एक सदस्य माननीय श्री गुरुदयालसिंह सन्धु को गिरफ्तार किया गया । उस समय की गिरफ्तारी की सूचना समाचार पत्रों में तथा और जगह दी गई । वह यह थी कि उन्होंने लोगों को लगान और आबियाना न देने के लिए भड़काया और सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी । लेकिन कोई चार दिन पहले किसी सिलसिले में प्रश्न सदन के सामने आया और उसका जो उत्तर दिया उससे यह हालात साफ हुए कि उनकी गिरफ्तारी कोई क्रिमिनल मामले के सिलसिले में नहीं हुई, बल्कि उनकी गिरफ्तारी इस वजह से की गई कि उन्होंने लेन्ड रेवेन्यु आबियाना देने से इन्कार किया । तो मेरा यह अर्ज करना है माननीय अध्यक्ष, कि लेन्ड रेवेन्यु का जो क्लेम है, आबियाना का जो क्लेम है वह सिविल क्लेम है...

श्री अध्यक्ष—I want explanation only regarding delay.

श्री हरिकृष्ण व्यास—और सिविल क्लेम के लिए गिरफ्तार किया जाय तो ४० दिन के दर्मियान सदन को सूचना होनी चाहिए । जो प्रश्न उपस्थित किया है माननीय अध्यक्ष, वह यह कि इस मोशन को पहले क्यों नहीं लाया गया। उस सिलसिले में जैसा मैंने अर्ज किया वह यह है कि अब तक की सूचना जो समाचार पत्रों द्वारा या इस सदन में सम्बन्धित मन्त्री महोदय, द्वारा दी गई, गंगानगर के आबियाना आन्दोलन के बारे में जो कुछ बयान उन्होंने दिया उन सब में यही सूचना उपलब्ध थी कि उन्हें लॉ एन्ड ऑर्डर को तहत गिरफ्तार किया गया और हम सब को भी करीब-करीब यही सूचना थी कि उन्हें लॉ एन्ड ऑर्डर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी अभी दी गई कि उनको आबियाना न देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार का स्पष्टीकरण होने के तुरन्त बाद में यह प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत कर दिया गया। जो कुछ इन्फोर्मेशन सरक्युलेट हुई थी, सिवाय जिन माननीय मन्त्री से इसका संबन्ध था उनके सिवाय किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं थी; इसलिए तमाम सदस्य गलतफहमी में रह गए थे। अगर क्रिमिनल आधार पर कार्यवाही की गई होती तो प्रिविलेज मोशन नहीं बन सकता था। सिविल के आधार पर कार्यवाही की गई, जैसी कि जानकारी अभी प्राप्त हुई है। उससे यह साफ प्रतीत होता है, इसलिए मोशन को देने में देरी हुई। यह सेशन बजट सेशन है। यह जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर हम इस चीज को लें तो इतनी डिले हुई उस डिले को कन्डोन किया जा सकता है, यह खयाल रख कर कि यह कार्य इस सेशन के दर्मियानी समय में हुआ है। इसके बावजूद भी देरी भी कोई ऐसी देरी नहीं, जिस देरी को लेकर इस मोशन को वेलिडीटी को मन्जूर न किया जाय। सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। जिस सेशन के सिलसिले में यह मोशन है वह सेशन चालू है और यह वाकया उसी सेशन के दर्मियानी वक्त का है। इन दोनों कारणों के आधार पर मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि इस मोशन को एडमिसिब्ल समझा जाय और इसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

अन्त में मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ। यह मामला इस सदन के एक माननीय सदस्य का है, अतः इसकी स्वीकृति में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने कुछ बातें ऐसी कहीं जिनसे गलतफहमी हो सकती है इसलिए उनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि सम्बन्धित मन्त्री ने, जहाँ तक सिंचाई की दरों का ताल्लुक है वह विभाग मेरे पास है, अतः वह मन्त्री मैं ही हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से उन्हें यह मालूम हुआ कि उनकी गिरफ्तारी लॉ एन्ड ऑर्डर की तहत हुई है। यह बात न तो मैंने कभी कही और न गवर्नमेंट के किसी मेम्बर द्वारा यह बात कही गई। लॉ एण्ड ऑर्डर से उनकी गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं था और न मैंने इस प्रकार कहा और न कोई दूसरे सदस्य ने इस प्रकार कहा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, एक गलतफहमी और हो गई, मेरा आपके लिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निवेदन नहीं था। माननीय रेवेन्यु मन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया जिससे इस प्रकार का निष्कर्ष निकला।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, नियम साफ है। यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कब स्वीकार किया जाय, उसके लिए यह है कि "The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

रिसेन्ट अकरेन्स के बारे में मेरा यह निवेदन है कि श्री गुरुदयालसिंह सन्धु कभी के रिहा हो गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ हाउस अटेन्ड किया; कई दिनों तक वे हाउस में बैठे रहे और माननीय एच. के. व्यास से बातचीत करते रहे। किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके अध्ययन करने में कुछ कसर रह गई थी और बाद में यह ख्याल हुआ तो सोचा, चलो यह भी एक प्रकार से गम्मत रहेगी और क्वेश्चन पुट कर दिया। इससे यह साफ है कि वे सदन का समय जाया करना चाहते हैं।

जहाँ तक लॉ एन्ड आर्डर की तहत श्री गुरुदयालसिंहजी सन्धु की गिरफ्तारी का सवाल है उन्होंने कभी लॉ एन्ड आर्डर की अवहेलना नहीं की और न उनकी गिरफ्तारी लॉ एन्ड आर्डर के तहत ही हुई है। वे रेमीडीज़ के बारे में गिरफ्तार किये गए थे। जहाँ तक लॉ एन्ड ऑर्डर के मातहत गिरफ्तारी का सवाल है उसमें तो माननीय एच. के. व्यास इन्वोल्व थे, वे इनको भी अपने साथ मिक्स अप करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसकी स्वीकृति न दी जाय और मैं इसका विरोध करता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे भी इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में दो शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है। अगर टेक्निकल ग्राउन्ड पर ऐसे सवालों को नहीं लिया जायगा तो यह जो माननीय सदस्यों का प्रिविलेज है उस पर कुठाराघात होगा। इन सवालों को लेते वक्त हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आज हम एक डेमोक्रेटिक सेट अप में चल रहे हैं और हमें इसी सेट अप को आगे भी चलाना है तो ऐसे विषय को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जहां तक इस प्रिविलेज मोशन का सवाल है हमें यह जानकारी थी कि श्री गुरुदयालसिंहजी सन्धु को लॉ, एन्ड आर्डर के मुतल्लिक गिरफ्तार किया है। लेकिन अब कुछ रोज पहले ऐसा कहा गया कि उन्हें आबियाना न देने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बात का ख्याल है कि एजीटेशन में उन्होंने हिस्सा लिया, वे आबियाना नहीं देना चाहते थे। उन्हें बीकानेर के रूल के मातहत गिरफ्तार किया गया। पाँच छः दिनों से हमें यह पता चला कि उन्होंने आबियाना नहीं दिया, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। बीकानेर में इस संबंध में जो रूल्स थे उनके बनाने में मेरा भी हाथ रहा है। मैं अपनी याददाश्ती के आधार पर कह सकता हूँ कि उन रूल्स में काफी गुन्जाइश रखी गई थी जिसमें यदि कोई लेन्ड लोर्ड या टीनेन्ट आबियाना न दे उनको अरेस्ट किया जा जा सकता है और एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यु भी उनसे वसूल किए जा सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

के एक अधिकारी ने एक्स्ट्रीम स्टेप लिया, आबियाना न देने के कारण उनको अरेस्ट किया गया। सदन के सदस्य के लिए संविधान के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई, उसको दुरुस्त किया जाय। हमारे मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि यह टेक्नीकल ग्राउन्ड पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। उनको चाहिए यह था कि वे इसको अपोज न करके इसको सहर्ष प्रिविलेज कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार करते, ताकि हमारे यहाँ स्वस्थ परम्परा कायम हो जाय। अगर हमारे इस सदन के किसी माननीय सदस्य के अधिकारों की सुरक्षा जो कि संविधान द्वारा मिली हुई है उस पर आघात होता हो तो हमें उसकी रक्षा के लिए अवश्य कदम उठाना चाहिए। मैं इस विषय में पुनः माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि उन्हें इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो एक मामूली विषय है। किसी अफसर की गलती हो गई है तो उसको निडर होकर सजा देनी चाहिए। जैसा कि हाल ही में एक प्रिविलेज मोशन जो सदन के सामने आया था जिस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने साफ शब्दों में यह कहा था कि...

श्री अध्यक्ष—Please be relevant and to the point. Do'nt go beyond the scope of this.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I am coming to the point Sir.

उन्होंने यह फरमाया था कि हम बिना किसी डर के ऐसे सवालों को लेंगे, तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसमें एक माननीय सदस्य के प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है। अतः प्रिविलेज कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक टेक्निकल ऐतराज उठाया है। रिसेन्ट अकरेन्स के संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि रिसेन्ट अकरेन्स के लिए यह नहीं कहा जा सकता और न कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत हम यह कह सकें कि कितने दिन का हो, तब हम रिसेन्ट अकरेन्स कहें। इसके लिए हमारे पास कोई मापदण्ड नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि यह वाकया इसी सेशन के दर्मियानी पीरियड में हुआ है। इसी सेशन में एक सवाल के उत्तर में यह कहा गया कि श्री गुरुदयालसिंह सन्धु को आबियाना न देने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। इस अपराध का हमें इसी सेशन में पता लगा। ऐसी हालत में टेक्निकल ग्राउन्ड पर जब कि एक मेम्बर के प्रिविलेज का सवाल है रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा। "रिसेन्ट" शब्द को इन्टरप्रेट करते वक्त किसी के अधिकारों पर रियायत नहीं की जाय, इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वे इस पर दुबारा कन्सीडर करें और इसको लिया जाना चाहिए।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—मैं सदैव तैयार रहा हूँ अगर कोई गलती हुई तो उसको कुबूल करने के लिए और अगर किसी अफसर की गलती हुई हो तो उसको प्रिविलेज

[श्री जयनारायण व्यास]

कमेटी के सामने विचारार्थ रखने के लिए। लेकिन मैं बहुत गलत ट्रेडीशन अपने इस सदन में डालूंगा, अगर दो साल के बाद में भी कोई चीज पैदा हुई और उसके लिए यह कह दिया जाय कि यह रीसेन्ट है। ऐतिहासिक दृष्टि से रीसेन्ट हो सकती है क्योंकि यह घटना अशोक के पीरियड की कम से कम नहीं है। परंजब कि वे छूट गए, पास में बैठे रहें और पास में हरिकृष्णजी भी बैठे रहें, मैं इनके (श्री हरिकृष्ण) लिए समझ भी सकता हूँ, पर जो एक वकील हैं, कायदे कानून की पोथियों को साथ रखते हैं उनको तो, उनकी इन पोथियों के रहते हुए मैं गलत परम्परा डालने देने की सिफारिश नहीं करूंगा और अगर मैं गलत ट्रेडीशन डालूं तो हमारे सदस्य फिर सतर्क नहीं रहेंगे, क्योंकि वे इस विचार में रह सकते हैं कि चलो ६ महीने और साल दो साल भी किसी घटना को हो जावेगा तो उसे रिसेन्ट कह कर प्रिविलेज मोशन के तौर पर इस सदन में कभी भी लाया जा सकता है। इससे स्वस्थ परम्परा नहीं पड़ेगी।

इसलिए परम्परा ठीक डालने की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमें अपने नियमों का बिल्कुल पालन करना चाहिए। इसके कहने से मेरा यह कदापि अर्थ नहीं है कि हम किसी भी सरकारी अफसर की रक्षा करना चाहते हैं। सरकार गलती के लिए माफी माँगने को तैयार हो जावेगी, लेकिन साथ साथ गलत परम्परा इस सदन में डालने के लिए सरकार अपनी तरफ से तैयार नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह एम. एल. ए. की गिरफ्तारी ६ अप्रेल, १९५४ को तहसीलदार ने १० दिन के लिए की। बाद में १७ अप्रेल, ५४ को कमिश्नर ने यह अवधि एक मास के लिए बढ़ाई। और १५ मई, ५४ को वे जेल से रिहा कर दिए गए। इस बीच जितना समय गुजरा है उसे देखते हुए तो यह मामला रीसेन्ट अकरेन्स का तो नहीं है, किन्तु यह देखना पड़ेगा कि हमारे गणतन्त्र की इस शैशवावस्था में हम जो परम्पराएं कायम करें वे स्वस्थ परम्पराएं हों। इसके लिए हमें, किन परिस्थितियों में यह मामला पैदा हुआ, यह ध्यान में रखना होगा। यह मामला इतना पेचीदा रहा कि सम्भवतः सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि श्री गुरुदयालसिंह सदस्य को एडजॉर्न्ड सेशन के बाद में, जिसको कि वे शायद प्रोरोग समझे हुए हों; ४० दिन के भीतर गिरफ्तार करना सदन के प्रिविलेज को तोड़ना होगा। अगर उनको मालूम होता कि यह सदस्य का विशेषाधिकार है तो वे उस गिरफ्तारी को उचित समझते या नहीं समझते, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो विलम्ब इसमें हुआ है उसको मैं कन्डोन (Condone) करते हुए इस एडजॉर्नमेंट मोशन पर अपनी कन्सेन्ट देता हूँ।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

इस सिलसिले में मैं यह भी बतला दूं कि यह मामला चाहे जैसा हो किन्तु वस्तुतः हमें अधिकारीवर्ग को यह बतलाना होगा कि इस सदन के सदस्यों के क्या क्या विशेषाधिकार हैं और जैसा

[श्री अध्यक्ष]

कि पहले एक एडजॉर्नमेंट मोशन कमेटी को रेफर किया गया था, मैं समझता हूँ कि इसी तरह से यह सांकेतात्मक प्रिविलेज मोशन होगा और जो भी मुद्दे उसके सामने आयेंगे उनके प्रकाश में सदस्यों के विशेषाधिकारों का विज्ञापन कहिए या उनका ज्ञापन कहिए, सारे लोगों को हमारे गणतन्त्र में हो सकेगा। इसलिए मैं अपनी सहमति इस प्रिविलेज मोशन के लिए देता हूँ।

(श्री हरिकृष्ण व्यास को सम्बोधित करते हुए)

Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, अपना मोशन सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं दो शब्द इसके बारे में कह दूं। जो हालत हुई उसकी जानकारी सारे सदन को अब ज्ञात हो चुकी है और मेरा खयाल है कि इस प्रश्न पर ज्यादा कोई दलील देने की भी आवश्यकता नहीं है।

मुमकिन है कि अनजाने में यह कार्यवाही हुई हो, मुमकिन है कि सरकार के अधिकारियों को एडजोर्न और प्रोरोगेशन के बारे में कुछ गलतफहमी रही हो और साथ ही यह भी मुमकिन हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष, सदन के विशेषाधिकारों के बारे में बिल्कुल दुर्लक्ष भी रहा हो, पर हकीकत यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री गुरुदयालसिंह सन्धु को जुर्माना न देने पर गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और ऐसे समय में यह किया गया कि जब कि सदन सेशन में था, एडजोर्न हुआ था और फिर से उसका सेशन होने वाला था। मेरा खयाल है इस प्रश्न को पार्टी की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

यह पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है। यह तो सदन के हर सदस्य के अधिकारों का प्रश्न है और इसलिए मैं इस मौके पर और कुछ न कहते हुए केवल यह कह कर कि मुझको जो अर्ज करना है उसे खत्म करूंगा कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि यह चाहे किसी भी ओर से हो; चाहे सरकार की ओर से हो या विरोधीपक्ष की ओर से हो, चाहे जान-बूझकर हो या अनजान में हो, अगर किसी सदस्य के अधिकार का हनन किया गया तो हम पार्टी की दृष्टि को छोड़कर, एक पक्ष के दृष्टिकोण को छोड़कर उनके अधिकारों की रक्षा की ओर दौड़ेंगे और इसी दृष्टि से मुझे आशा है कि मेरे इस प्रस्ताव को सर्व सम्मत्ति से पूरा का पूरा सदन स्वीकार करेगा।

मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रिविलेज मोशन पर एतराज करने के लिए कोई भी माननीय सदस्य खड़ा नहीं होगा और मेरा जो यह प्रस्ताव है वह सदन की पूरी सहमति पा सकेगा। इतना ही मुझे अर्ज करना है और इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मन्त्री की ओर सम्बोधित करते हुए) आप कोई ऐतराज करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—यद्यपि मैं इस बारे में एक अलग राय रखता हूं, माननीय अध्यक्ष, पर आपकी आज्ञा इसे हो गई है तो मैं यह स्वयं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गुरुदयालसिंह सन्धु की गिरफ्तारी के सम्बन्ध का मामला जो है वह प्रीविलेज कमेटी के सामने विचारार्थ सौंप दिया जावे।

श्री वेदपाल त्यागी—जिस रूप में यह प्रस्ताव आया है उसमें मैं थोड़ा एडिशन चाहता हूं। एडीशन में तहसीलदार के साथ में कमिश्नर का नाम भी एड कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—The original authority vests in the Tehsildar. He has only extended that authority, which matters little. The privileges committee will examine the matter. It is a matter of technicalities

So I put the question. Is it the leave of the House to refer this matter to the privileges committee ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

विधायिनी कार्य

राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १६५४

श्री अध्यक्ष—Now we come to the legislative business. Medical Minister.

(विपक्षी दल की ओर से करतल ध्वनि)

श्री चन्दनमल वैद (औउप मन्त्री)—Sir, I beg to present this, the Report of the Select Committee.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, is it open for the Hon'ble Member to present this report ? Only a Minister or a Member-in-charge or Chairman may present reports. Under rules there is no provision for a Deputy Minister.

श्री चन्दनमल वैद—In the absence of the Chairman of the Select Committee any Member of the Select Committee can place the report of the Select Committee before the House.

श्री अध्यक्ष—Rule 134 is quite clear. The objection was only for the sake of objection.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The original objection was only for the sake of objection. We wanted to tast the knowledge of the Hon'ble Deputy Minister.

श्री चन्दमल वैद—Sir, I present the report of the Select committee on the Rajasthan Medical (Amendment) Bill, 1954.

राजस्थान भूधारण विधेयक १९५३

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law relating to tenancies of agricultural lands and to provide for certain measures of land reforms and matters connected therewith, as reported by the Select Committee, be taken into consideration. May I say a few words ?

श्री अध्यक्ष—Do say,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस विधान सभा के बनने के बाद हम प्रत्येक अधिवेशन के अन्दर भूमि-सुधार के संबंध में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सुधार बराबर करते चले आ रहे हैं। पिछले अधिवेशन की बैठक के अन्दर हमने जागीर पुनर्ग्रहण के संबन्ध में बिल पास किया, और जो काश्तकारों के और राज्य के बीच में एक बहुत बड़ी भूमि की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर थी, उसके पुनर्ग्रहण की व्यवस्था की। यह एक बहुत बड़ा कदम हमारे द्वारा भूमि सुधार की तरफ उठाया गया और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को सूचना देते हुए इस बात का हर्ष होता है कि उस पर अमल शुरू किया और उसमें सहयोग भी काफी मात्रा के अन्दर प्राप्त हुआ है और आगे भी सहयोग प्राप्त होकर वह व्यवस्था पूर्ण रूप से जल्दी से जल्दी समाप्त की जायगी। मैं उस संबन्ध में अभी विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस विधेयक पर हम आगे विचार करने के लिए जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। सारी की सारी भूमि की समस्या के संबन्ध में इसमें जो विचार और व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अन्दर जो अलग-अलग कानून अभी तक राजस्थान के अन्दर हमने लागू किये उनको पूरे तौर पर किस तरह से लिया जाय उसके बारेमें सोच-विचार कर व्यवस्था की गई है।

राजस्थान के अन्दर, यह व्यवस्था पुरानी मध्यकालीन सामन्तशाही के तौर पर की हुई है, जहाँ पर सामन्तशाही का काफी जोर था। साथ ही साथ भूमि-व्यवस्था के बारे में काफी कल्पना हमारे देश के अन्दर अब तक रही और भूमि भी इस प्रकार की वस्तु समझी गई कि बहुत से व्यक्ति बिना मेहनत किये हुए, बिना खुद खेती किये हुए, उस भूमि से लाभ उठाने के आदी रहे हैं। लेकिन समाज की व्यवस्था के परिवर्तन के साथ इस व्यवस्था में भी परिवर्तन की आवश्यकता हमारे सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपस्थित हुई है।

हमने राजस्थान में आर. पी. टी. ओ. के जरिये जो सबटिनेन्टस खेत के ऊपर काबिज थे उनको बेदखल नहीं किया जाय इस प्रकार का एक कानून सन् १९५० में लागू किया। हमने राज-

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

स्थान में लगान कितना अधिक से अधिक लिया जा सकता है उसके बारे में कानून पास किया कि जिसमें जहां बटाई होती है, वहां १।६ हिस्से से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था उसके द्वारा की गई है ! फिर हमने आगे यह किया कि जो केश रेन्टस (Cash rents) थे वहाँ आज रेक रेन्टिंग बहुत हो रहा है, उसके अन्दर भी दुगुना और अरबन एरिया में तिगुने से ज्यादा लगान नहीं लेने की व्यवस्था की। लेकिन इन सारी चीजों के बाद पुराने राज्यों के जो यूनिटस राजस्थान में शरीक हुए हैं उनमें अलग-अलग कानून चालू थे और अब जो कानून यहाँ लाया गया है उसका आधार, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के समक्ष में उपस्थित करना चाहता हूँ।

अब मैं आपके सामने उन मुद्दों को रखता हूँ। जो जमीन पर मेहनत करने वाला काश्तकार है उसको उसकी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और वह हिस्सा उस समय मिल सकता है जब कि रेन्टस के अन्दर हम निश्चित तौर से एक फिक्सेशन कर दें कि किस प्रकार से रेन्टस लिये जायंगे और क्या लिमिटस होंगी। तो इसमें इस बात की व्यवस्था की है। दर-असल में जहाँ पर रेन्टस हैं वहां पर अधिक से अधिक सब टिनेन्टस से दुगुने से ज्यादा लगान नहीं ले सकते, ऐसी व्यवस्था कर सके हैं। इसके अलावा जहाँ लेन्ड रेवेन्यु ली जा रही है वहाँ पर डेढ़ से चार गुने तक की व्यवस्था के बारे में इसमें प्रोवीजन किया है। तो फिक्सेशन ऑफ रेन्ट है जहां एक्सपलायटेशन नहीं हो सके सब टिनेन्टस का, ऐसी भी व्यवस्था हमने इसमें की है।

उस लक्ष्य को सामने रखकर कि कहीं आज की समाज की रचना को देखते हुए एक व्यक्ति दूसरे की जो जमीन है उसको अपनी होल्डिंग नहीं बना ले, खरीद कर उसकी भी व्यवस्था की गई है, कि अगर किसी व्यक्ति के पास ३० एकड़ इरिगेटेड या ९० एकड़ अनइरिगेटेड लेन्ड है वह दूसरों की जमीन को खरीद कर अपनी होल्डिंग को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। फिर, अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि जहाँ सबटिनेन्टस को इस वक्त जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो इस टिनेन्सी बिल के लाने के बाद अगर सबटिनेन्ट को इजेक्ट किया जा सकता, उनकी रक्षा का कोई कानून नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है तो एक प्रतिगामी कदम होता और उचित भी नहीं होता समाज की रचना को देखते हुए। इसलिए सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें, अध्यक्ष महोदय, यह भी व्यवस्था की गई है कि आज जो जमीन पर काबिज है, आज जो जमीन पर खेती करता है उस आदमी का पहला हक होगा कि उसके पास १२००) रु० सालाना के जिसमें कि उसके खुद कीमेहनत शामिल नहीं है, बैल, खाद और दूसरे खर्चे हैं, वह तो डिडक्ट कर लिये जायगें और उसके अलावा १२००) रु० की आमदनी के बराबर जमीन उसके पास छोड़ दी जायगी। उतनी जमीन छोड़ देने के बाद में उस जमीन में लेन्ड होल्डर्स या खातेदार जो भी हों उसको दी जायगी; तो उस व्यवस्था के करने के पूरे उद्देश्य को रखते हुए ज्यादातर सबटिनेन्टस को जमीन भी दे रहे हैं जिनके पास कि स्वयं के पास जमीन ज्यादा है या वे लोग जिनके पास दूसरा प्रोफेशन होते हुए भी इसको एक साइड बिज़नेस के तौर पर काम में ले रहे हैं। तो पहला हक इस बात को मानकर चलना होगा कि जिसकी आजीविका एकमात्र उस जमीन पर थी और जो एक सबटिनेन्ट उसके ऊपर अपनी आजीविका का उपार्जन करता था वह बेकार होकर इधर उधर नहीं हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जाय; उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उस दृष्टि से इस व्यवस्था को हमने इसमें लागू किया है। इसकी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, इसमें गुंजाइश रखी गई है।

अभी, अध्यक्ष महोदय, अजमेर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अन्दर लेन्ड रिफॉर्म्स के ऊपर एक रिज़ोल्युशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि उस लेन्ड रिफॉर्म के रिज़ोल्युशन के आधार या बहुत सा समावेश इस टिनेन्सी बिल के अन्दर हमको देखने को मिलेगा। उसमें भी यह कहा गया था कि कम से कम भूमि की मात्रा निश्चित करनी है। एक पट्टेदार के वहाँ पर सबटिनेन्ट काम पर लगे हुए थे तो अब टिनेन्ट और सब टेनेन्ट के पास जमीन रहनी चाहिए; वह व्यवस्था हो खास तौर से लेन्ड पर्फोर्मेंस में, तो वह व्यवस्था इसमें की गई है। इन्टरमीजियेरीज़ को समाप्त करने की व्यवस्था पिछले अधिवेशन में कर चुके हैं। इस पर विचार करने के लिए जो काम किये हुए हैं इस प्रकार के लेन्ड रिफॉर्मस के, तो आपको इन सबको सामने रखकर चलना होगा जिससे कि राजस्थान के अन्दर पूरी पिक्चर को हम जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें।

मैं ऐसा समझता हूँ कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो विस्तार से इसके अन्दर हैं। उन चीजों के दौरान में ज्यादा नहीं जाना चाहूँगा और इस बात पर जो विचार किया जाय सदन के सामने तथा दूसरे संशोधन और ऐसे जो सामने आयेंगे, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से गम्भीरता के साथ सारे पहलुओं पर विचार करने को आज यह कानून यहां पेश किया गया है और जिन कानूनों का खास तौर से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस बात पर ध्यान रखा गया है कि हम भूमि की व्यवस्था को किस प्रकार की करें कि जिससे कि भूमि के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सके। भूमि स्वयं में एक आजीविका के उपार्जन का साधन है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ वह धन-संचित करने का साधन बने, वह हमारे देश और समाज की रचना और व्यवस्था को देखते हुए, मैं समझता हूँ संभव नहीं है। इन मुद्दों को हमने लक्ष्य में रखा है। उन बातों को ख्याल में रखते हुए इस व्यवस्था को इसमें किया गया है।

हमने एक और बात इसमें रखी है। जब आर. पी. टी. ओ. लागू है तो उसमें यह है कि अगर पाँच साल से लगातार काश्त करता रहा है तो उसको जमीन मिल सकती है, लेकिन उस जमीन के मिलने के बारे में हमने पाँच साल से जो खेती करते रहने की मुद्दत को यहां माना है वह काश्तकार था, लेकिन बीच में १ या डेढ़ साल के लिए दूसरे को दे देता है और उससे जमीन जुतवाता है, तो उसको जमीन मिलने के लिए भी इसमें रखा गया है। पहला हक उसका है जो स्वयं काश्तकार है। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। इसको बहस के उत्तर में और कहूँगा और मैं सदन के सामने आपके द्वारा कहूँगा। इतना कहकर मैं इजाजत लेना चाहूँगा। (कुछ निस्तब्धता के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member from Bikaner does not want to avail of the opportunity for the first time.

Page No.44

कु'० श्री जसवन्तसिंह—Not necessary. It has been put so nicely that there is not much scope left for me.

श्री अध्यक्ष—I wanted to know how many days will be required for discussing the general principles?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I may tell you about myself, Sir.

श्री अध्यक्ष—I wanted to know from the whole House so that I may fix up accordingly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You ask the Members who want to speak?

श्री अध्यक्ष—Yes, they will give an idea.

श्री मथुरादास माथुर—I think four days will be sufficient.

श्री अध्यक्ष—Many were enthusiastic regarding taking part in the general discussions on the principles.

श्री मथुरादास माथुर—Not many, so far as discussion of this is concerned in the House.

श्री अध्यक्ष—All right, go on, Mr. vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, आज जिस प्रश्न पर हम सदन में विचार कर रहे हैं वह राजस्थान के किसानों के लिये जी-जान का प्रश्न है। काश्तकारों के लिये एक कानून हम बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि आखिर कौन से उसूल के आधार पर हम वह कानून बनावें। हमारे लिये यह भी देखना आवश्यक है कि जो मसविदा पेश किया गया है, आया वह उसूल को लागू करता है या लागू नहीं करता। राजस्थान एक ऐसा इलाका है माननीय अध्यक्ष, कि जिसमें, जो सन् ५१ में सेन्सस हुआ था उसके आधार पर और राजस्थान सरकार द्वारा पिछले साल एक पुस्तिका छापी गई थी उसके आधार पर यह नतीजा निकाला गया है कि करीब-करीब ४० प्रतिशत जमीन खालसा है और ६० प्रतिशत जमीन नोन खालसा है और यह आँकड़ा पूरे राजस्थान के लिये निकाला गया है; उसमें अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के इलाके भी शामिल हैं जिनमें विश्वेदारी प्रथा प्रचलित थी। वहाँ विश्वेदारी को खालसा रूप में मानकर गणना की गई है क्योंकि अलवर, भरतपुर में खालसा में ८० या ८५ प्रतिशत मानी गई है। यदि विश्वेदारी, इस्तमरारी भोमियों के आंकड़े निकाल दिये जांय तो यह निश्चित कहा जा सकता है कि २५ प्रतिशत से कम जमीन ऐसी है जिसकी मिल्कियत सीधी सरकार के हाथ में है और ७५ फी सदी जमीन ऐसी है जो दूसरे लोगों के हाथ में है; भूस्वामियों के हाथ में है। यह कह सकते हैं कि अभी जो कानून हमने पास किया है पिछले अधिवेशन में, उसके बावजूद भी इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि राजस्थान में जमीन का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बहुत बड़ा हिस्सा आज राजस्थान सरकार की मिल्कियत में नहीं है, कुछ दूसरे लोगों की मिल्कियत में है जिन्हें हम सामन्त प्रथा कहते हैं। इस सामन्ती प्रथा का सही चित्र देने वाला यदि कोई इलाका है तो वह राजस्थान है, सबसे ज्यादा गंभीर और सब से ज्यादा विस्तृत इस प्रथा का कोई खास इलाका है तो वह राजस्थान है। Rajasthan is the classical land तो फिर ऐसे इलाके में जहां आज तक जमीन का सम्बन्ध सामन्ती प्रथा से था, ऐसे इलाके में जहां सीधी सरकार के मिल्कियत की जमीन करीब-करीब २० या २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, उस इलाके के लिये कौनसा वह उसूल होना चाहिये, कौनसा माप दंड होना चाहिये, जिसके द्वारा इस पुरानी दकियानूसी प्रथा को खत्म करें। जैसा मन्त्रीजी ने अभी कहा कि हम राजस्थान के लिये एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, मैं मौजूदा समय में जो तरक्की हुई है, उसका जिक्र न करते हुए आयरलैंड में २०० या ३०० वर्ष पहले जो जांच हुई और रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसका जिक्र करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि किसानों की हालत का पता भी थ्री एफ्स(three Fs) से चल जाता है और थ्री एफ्स से तात्पर्य यह है कि फिक्सिटी ऑफ टेन्योर, फ्री सेल और fair रेंट। तो सबसे ज्यादा अहम की चीज उन्होंने यह रखी कि काश्त करनेवाले आदमी को फिक्सिटी ऑफ टेन्योर मिले। दूसरे शब्दों में जो किराया, लगान लिया जाता है वह वाजिब मुकर्रर हुआ है या नहीं। अब यदि हम इस उसूल को मान कर चलें माननीय अध्यक्ष, तो हमारे देश में जो प्रगति हुई है उस सिलसिले में आज से कई वर्ष पहले, आज यदि ये दावा करें कि हमने निहायत तारीफ काबिल कानून प्रस्तुत किया है तो ऐसा दावा करने से पहले, यह आवश्यक होगा कि पहले विदेशी राज्य ने अपनी सहूलियत के लिये जो-जो कानून बनाये थे १९ वीं शताब्दी में उनकी दशा क्या थी और आज क्या दशा है, यह देखें। सबसे पहले इस सिलसिले में कानून बंगाल में बना १८५९ में बंगाल रेवेन्यू एक्ट। उसमें फिक्सिटि ऑफ टेन्योर का उसूल रखा गया था। जो काश्तकार काश्त कर रहा है उसे जमीन पर से हटाया नहीं जा सकेगा और कुछ अधिकार जो मिल सकते थे वे दिये ही, लेकिन इसके अलावा एक और उसूल उन्होंने रखा। जिस कानून को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, जो काश्तकार जमीन पर लगातार १२ वर्ष तक काश्त कर ले वह पर्मानेन्ट ऑक्यूपेन्ट टिनेन्ट हो सकता है। तो १८६० के लगभग यह कानून बना। उसमें भी दो बातें स्वीकार की गई थीं; एक तो यह कि जो काश्त करनेवाला है उसका काश्त की जमीन पर अधिकार रहें, राजस्थान में जिसे खातेदार कहते हैं, उसको खातेदार मान लिया जाय, दूसरा यह कि १२ साल तक लगातार काश्त किसी जमीन पर करता रहे तो उसे भी खातेदार मान लिया जाय। इसके अलावा कानून में कई संशोधनों के जरिये तरमीमें की गईं। १८८३ में मालगुजारी प्रथा शुरू हुई। मालगुजारी प्रथा भी अपने यहाँ के जागीरदारी प्रथा से मिलती जुलती प्रथा थी। मालगुजारी और जागीरदारी के अन्तर्गत बहुत बड़ा इलाका है। जब इस बात का अनुभव किया गया कि हिन्दुस्तान में एक प्रोस्पेक्टिव तरीका यह भी बनाया गया है कि १२ साल के बाद एक काश्तकार खातेदार बन सकता है तो भूस्वामी, जागीरदार, जमीनदार, या मालगुजार कुछ भी नाम उनको दिया जाता रहा हो, उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये एक तरीका यह निकाला कि १२ साल का अर्सा पूरा होने से पहले ही काश्तकारों को बेदखल करने लगे।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तब इस सिलसिले में जाँच करने के लिये कमेटी मुकर्रर की गई और सब से पहले १८८३ का कानून बना।

श्री अध्यक्ष—आप क्या यह इतिहास कह रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, इतिहास कह रहा हूँ। इसलिये कह रहा हूँ कि आज जो कानून बना रहे हैं, it is not beyond the principles which have been accepted even by the British imperialist rulers as late as 1853 तो मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय अध्यक्ष, कि १८८३ में सी.पी. टिनेन्सी एक्ट पास हुआ; उसमें एक और संशोधन कर लिया गया और वह यह था। मैं जिन चीजों का जिक्र कर रहा हूँ वे एकदम इरिलेवेन्ट हैं, ऐसा न समझा जाय; वे हमारे इस कानून के अलग-अलग हिस्सों के बारे में बहस करते समय काम आयेंगी। १८८३ में संशोधन पास किया गया। उसमें यह रखा कि टू अगेन हाफ (२॥) रेंट जो जमा करा दें उसे एबसोल्यूट ऑक्युपेन्सी टिनेन्ट का अधिकार दिया जाय।

यह इतिहास है जिसका जिक्र किया इस बात का अन्दाज लगाने के लिये कि इस कानून में जो अधिकार किसानों को दिये गये हैं उनका मुकाबिला किन से किया जाय और इस बिना पर मैं राजस्थान की परिस्थिति की ओर भी दो शब्द कह कर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि हम आज राजस्थान विधान सभा में इकट्ठे हुए हैं तो हम यह नहीं समझें कि राजस्थान में पहला काश्तकारी कानून बनाने वाले हम हैं। राजस्थान में कई स्टेट्स थीं, ज्यादातर रियासतों में इनलेंड कांग्रेसी हुकूमतें बनीं तब भी कई रियासतों में काश्तकारी कानून बने। कई रियासतों में पहले भी काश्तकारी कानून बने। जयपुर में १६४५ में जयपुर स्टेट टिनेन्सी एक्ट बना, बीकानेर में सन् १६४७ में स्टेट टेन्योर एक्ट बना और जोधपुर में सन् १६४६ में मारवाड़ टिनेन्सी कानून बना और भी कई स्टेटों में १६४५ से लेकर १६५० के बीच इस ५ वर्ष के अर्से में कहीं-कहीं टिनेन्सी के कानून बने, भूतपूर्व नई रियासतों में ऐसे कानून बने।

यदि इन कानूनों की थोड़ी जाँच करने की कोशिश करें, माननीय चेअरमेन, तो सबसे पहला उसूल यह पाया जायगा और मौजूदा राजस्थान में व भूतपूर्व राजस्थान में भी इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया था और उनको अभी सलाह देने वाले, डीडवाने से आये हुए मेरे माननीय मित्र ने जोधपुर में जो १६४६ में कानून पास किया था उसमें भी इसी सिद्धान्त को माना था कि जो काश्तकार जिस जमीन पर काश्त करता है वह खातेदारी का अधिकार पा सकेगा। चाहे कोई भूस्वामी कितने ही ऐतराज क्यों न करे, उसमें कोई मयाद का जिक्र नहीं था, उसको खातेदारी के हकूक प्राप्त थे। उसमें किसी तरह का हरजाना देने का, मुआवजा देने का सवाल नहीं था और न यह ही था कि इतना रुपया लगान का दे देगा तभी खातेदारी का अधिकार मिलेगा। फिर जिस कानून के लिये यह कहा जा रहा है कि तरक्की पसन्द कानून पेश किया गया है, इतिहास की ओर आगे एक बहुत बड़ा कदम लेने का दावा किया है और अजमेर में अभी जो भूमि-सुधार का प्रस्ताव आया उसके पहले ही यह कानून यहाँ इस सदन में पेश करके दूरदर्शिता दिखाने का जो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दावा किया जा रहा है, उस तरहकी परन्द कानून की क्लॉज़ १५(१४) की ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। धारा १५ में जो भाग १४ है उसमें कहा गया है कि बाकी सब जमीनों पर यह कानून लागू होगा परन्तु :-

"Land situated in a jagir area until the application, if any, of the jagirdar concerned for allotment of khudkasht has been finally decided in accordance with Chapter Iv of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952."

This clause shall not apply.

जो अब नया कानून प्रस्तुत हुआ है उसमें यह कहा गया है कि सारी जमीनों में खातेदारी का अधिकार मिल जायगा लेकिन शायद महाभारत का किस्सा याद करके, जिसमें कहा था कि:

'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा'

पहले तो जोर से कह दिया यह कानून सभी जमीनों पर लागू होगा, फिर जिस तरह 'नरो वा कुंजरो वा' धीरे से कहा गया उसी तरह धीरे से कह दिया कि जागीर एरिया की जमीनों पर यह कानून लागू नहीं होगा; राजस्थान सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। बड़े जोरो से कहे जा रही है कि जो काश्तकार खेती करेगा उसी को खातेदारी का अधिकार मिलेगा, लेकिन जो ८० फी सदी ७५ फी सदी जागीरी इलाका है उसमें यह अधिकार नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा, किसको मिलेगा? जिन जागीरदारों के खिलाफ यह कानून बनाना चाहिये वहाँ यह नहीं मिलेगा तो बाकी इलाकों में तो सवाल ही नहीं है। वहां तो पहले से ही वे अधिकार प्राप्त हैं। तो फिर इससे किस को क्या मिला। यह तो वही बात हुई कि एक गठरी बंधी है उसमें डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी जिसमें निकलेगी एक पत्थर की गोली। मैंने समझा शायद इस एक्ट में बाद में कुछ व्यवस्था कर दी गई होगी कि जागीर इलाके के रहने वाले जो काश्तकार हैं उनको बाद में खातेदारी के हकूक मिल जायेंगे, किन्तु सारा एक्ट छान डाला तो एक धारा निकली जिसमें लिखा है कि जागीरी इलाके के काश्तकार को तभी खातेदारी का अधिकार प्राप्त होगा जब कि वह भूस्वामियों को मुआवजा दे दे, यदि ३ वर्ष की मयाद के अन्दर वह एस. डी. ओ. के यहाँ दावा नहीं करे तो उनको बेदखल कर दिया जायगा। मुझे बतायें कि आज के दिन जिस काश्तकार को खेती करने की वजह से खातेदारी अधिकार होना चाहिये वह किस कारण से १५ (१४) के माफिक नहीं मिलता? क्या वहाँ उन्हें बगैर पैसा दिये खातेदारी का अधिकार मिलेगा? पुराने खातेदारी के हकूक मिल गये हैं उनको तो जाने दीजिये, पर इस कानून को बनाते समय क्या हमने बगैर एक भी पैसा दिये हुए खातेदारी के हकूक किसी को दिये हैं? खालसे की जमीनों में जहाँ खातेदारी है वहां पट्टे दिये हुए हैं और शायद पिछले कानूनों के माफिक खातेदारी अधिकार मिल गये हैं। १०-२० लोग ऐसे होंगे जिनको कि शायद ये हकूक नहीं मिले हैं, बाकी हजारों-लाखों लोगों के लिये जिनको कि आप कह रहे हैं कि हम अधिकार दे रहे हैं, हम तुमको तोहफा दे रहे हैं; पर ८० फी सदी लोगों को इससे आप क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि तुम भूस्वामियों को मुआवजा दोगे तो तुमको खातेदारी अधिकार मिलेंगे, और वह भी इस शर्त पर कि तुम्हारी जमीनें खुदकाश्त या और कोई दूसरे चक्कर में नहीं आ जाँय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो यह पहली कसौटी मैंने अपनाई और बताई, इस कसौटी पर तो खरे नहीं उतरे। इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि चाहे हमारी मंशा इस सम्बन्ध में कुछ भी हो, भाषणों में हम कुछ भी कहें लेकिन एक्ट की धाराएं स्पष्ट बतलाती है कि सैकड़ों और हजारो लोगों मे से किसी को भी इससे लाभ नहीं होगा ।

दूसरा सवाल यह है कि काश्तकारों को खातेदारी के हकूक मिलेंगे या नहीं ? नहीं मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा ? इसके बाद, आज इस एक्ट के पास हो जाने के बाद काश्तकारों को जमीन मिले, एक दो वर्ष के लिये लीज से मिली या ऐसे ही गैर खातेदारी मंजूर किया करें, उसका क्या होगा ? उस व्यक्ति को जो कितने ही वर्षों से उस जमीन पर काश्त करता है क्या उसको गैर खातेदार माना जावेगा? गैर खातेदारी के लिये एक नया रूल कायम किया है। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ, मगर इसके पहले जो एब्सर्डिटी है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । कानून में कुछ धाराएं ऐसी रखी गई है कि १२ साल तक जो व्यक्ति किसी जमीन पर खेती करता रहेगा उसका खातेदारी में नाम दर्ज करना होगा। मगर इस प्रकार का प्रेसक्रिप्टिव भाग इस एक्ट में नहीं रखा गया है। इस भाग को छोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन पुराने कानून रीपील करते हुए जनरल क्लॉजेज़ एक्ट के सेक्शन ६ और २४ लागू किये है लेकिन उसमें भी यह जिक्र नहीं किया गया कि पुराने एक्ट के अनुसार १२ साल के बाद जो जमीन पर काश्त करता है उसे खातेदारी हकूक मिलेंगे या नहीं। इसके अलावा यदि उसके १० वर्ष उस जमीन पर खेती करते पूरे हो चुके हैं और दो वर्ष ही शेष रहे हैं और अब वह दो वर्ष और काश्त करेगा तो क्या इस नये कानून के अनुसार उसको खातेदारी का हक होगा या नहीं या उसका क्या होगा ? क्या उनको खातेदारी हकूक मिलेंगे ? इस एक्ट में तो उसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है। एक्ट की धाराएं कहती है कि उस व्यक्ति ने, जिसने उस जमीन पर १० वर्ष काश्त की है उसकी काश्त बेकार गई। अगर वह मुआवजा देगा तो उसको खातेदारी हकूक मिलेंगे और नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूँगा कि जब कभी कोई भी कानून नये बनाये जाते हैं तो पुराने कानूनों में भी कई ऐसे कानून होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है:—

If there is some right which goes on accruing. उन्हें कन्टीन्यू रखें and they shall be enforceable under this Act जो कोई भी नया कानून बनता है तो उसमें पुराने कानूनों की महत्वता को अवश्य ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर वे मोल्ड (mould) किये जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है। यह काश्तकारों के हित का एक बिल है और यह एक कॉमन सेन्स की बात है कि काश्तकारों के हित के बिल में काश्तकारों के हित का ध्यान रखा जावे।

इसके अलावा यह भी एक असूल की बात है कि अगर कोई एस्टेट होल्डर से या टीनेन्ट से जमीन लेना चाहे तो उसके लिये इस एक्ट में कुछ असूल लागू किये गये हैं और वे इस प्रकार हैं कि कलेक्टर उस जमीन की कीमत आँकेगा। माननीय अध्यक्ष, किसी खेती करने वाले काश्तकार को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जमीन का हक देना है तो उसमें भी कलेक्टर जमीन की कीमत आँकेगा, यह बात कैसी ? वह किस आधार पर कीमत आँकेगा ? उस जमीन में कितनी पैदावार हुई या होती है क्या उसके आधार पर कीमत आँकेगा ? नहीं, वह इस आधार पर कीमत आँकेगा कि लेन्ड होल्डर ने उस जमीन की एक्वायर करने के लिये क्या प्राइस पे (pay) की है। मुझे यह सेक्शन देख कर थोड़ी सी हँसी आई कि आखिर इसकी छान-बीन करने में कलेक्टर लगाया गया कि अमुक जमीन की उसके मालिक को क्या प्राइस पे करनी पड़ी, तो फिर तो कलेक्टर के पास हिस्ट्री के पन्ने लिखने का काम ही बाकी रह जावेगा। जब लोगों से यह पूछा जावेगा कि उन्होंने क्या प्राइस पे की तो कोई यह कहेगा कि उन्होंने बिलकुल कीमत नहीं चुकाई है, कोई कहेगा कि उन्होंने सर की कीमत चुकाई है, तो कोई कहेगा कि उन्होंने प्यार या सेवा करके जमीन हासिल की है। इससे कैसे अन्दाजा लगाया जा सकेगा कि लेन्ड होल्डर ने उस जमीन की क्या कीमत पे की और जमीन प्राप्त की। लेकिन कलेक्टर को इस प्राइस पे का आन्दाजा लगाना होगा। यह एक बड़े ताज्जुब की बात है। यदि कल राजस्थान सरकार की ओर से कोई कानून बनावे और उस कानून में एक यह भी धारा दर्ज करे कि किसी मन्त्री महोदय के सामने अर्जी देने के लिये आवे तो पहले समय लेने की आवश्यकता होगी। वह समय कितना होगा और कब होगा इसको कलेक्टर मुकर्रर करेगा और उसको आदेश दे कि फलां जाँच करे कि चपरासी से लगा कर पी. ए. तक कितनी tips और रिश्वत देनी पड़ती है। वह इसका कैसे पता लगाएगा, इसका पता लगना मुश्किल है। मैं, माननीय मन्त्रीजी, जिन्होंने इस तरह का टेनेन्सी एक्ट बनाया है अर्ज करूंगा कि आपने उसी तरह का यह एक्ट बनाया है। लेन्ड होल्डर्स, खातेदारी हकूक देते समय कितना प्रीमियम देते हैं उस समय the premium charged by the Land holders in the locality for granting khatedari rights इसका कैसे पता लग सकता है ? बम्बई में अगर आप जावेंगे तो कहेंगे कि लोग कितनी पगड़ी लेते हैं, इसकी छान-बीन करके पता लगावें और नाल कितनी; तो आपको कोई पता नहीं लगेगा। अगर आप, काँग्रेस की महान समिति ने अपने एग्रेरियन रिफोर्म्स में जो बातें मन्जूर की है उनको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसकी दिशा कहीं पर जा रही है। अगर मैं कहूँगा तो मेरे माननीय मित्र बुरा मानेंगे और उन्हें बुरा भी लगेगा और वे शायद यह समझें कि लगातार ....।

श्री मथुरादास माथुर—कहिये, कहते क्यों नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू के उन शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो उन्होंने लेन्ड रिफोर्म के बारे में १९३८ की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें कहे और उसमें यह दर्ज है कि लेन्ड रेवेन्यू या रेन्ट की प्रथा है उसको खत्म करके उसकी एवज में एग्रीकल्चर आमदनी पर एक्ट लाया जाना चाहिए। उनके ये शब्द हैं :—

"The system of land revenue or rent on land should be abolished and it must be replaced by the progressively increasing tax on the agricultural income."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ये शब्द पण्डित जवाहरलालजी नेहरू के हैं। कॉंग्रेस की महान् सब कमेटी ने इस सम्बन्ध में और जगह जिक्र किया है कि जमीन के मालिक कौन हैं और जमीन किसको मिलनी चाहिए? इसके लिए भी उन्होंने उसूल बनाये हैं और वे इस प्रकार हैं :—

"That the land shall be held by the man who tills it and takes it as a means of employment."

उसमें एक शर्त यह रखी है कि जमीन उस आदमी की है जो मेहनत करे और बोए और दूसरा यह कि वह उसके आजीविका का सहारा हो। इस शर्त के अनुसार कोई भी जमीन पर आ सकता है। कॉंग्रेस की इस कमेटी का यह कहना है कि कोई शर्त की आवश्यकता नहीं; बगैर किसी अड़चन, बगैर किसी भेदभाव के जमीन दी जावे। मैं उन्हीं के शब्दों का अनुवाद करके कह रहा हूँ। इसके बाद डा० जे. सी. कुमारप्पा, चेयरमेन एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ा जावे तो उसमें भी स्पष्ट दर्ज है कि जमीन के सिलसिले में प्रीमीयम लेकर जमीन देना दरअसल कोई देना नहीं है। परन्तु राजस्थान में किसानों से बहुत बड़ा "Premium" लिया जायगा जो आज हम अपने एक्ट में देखते हैं। Premium नहीं लेना, यह बात कॉंग्रेस की महान् समिति की रिपोर्ट कहती है और इधर कॉंग्रेस की दुहाई देने वाले और कॉंग्रेस का झण्डा ऊँचा उठा कर कहते हैं, वे न सिर्फ मुआवजा लेंगे; लेकिन नजराना जो लेते रहे हैं उसका भी एवरेज कर मुआवजा देंगे, पगड़ी जो जबरदस्ती ली जाती है उसका एवरेज आप लगावेंगे।

यह कीमत माननीय चेयरमेन, ऐसी कीमत होगी जिसका फायदा किसान को नहीं मिलेगा, शायद राजस्थान गवर्नमेन्ट के प्रेस को जरूर मिल जाय। वह काले काले पन्ने छाप कर पेश करेगा और उनसे किसानों को तो कोई राहत नहीं पहुँच पायगी। जो दरअसल कानून के उसूल होने चाहिए, काश्तकारों को जमीन मिलनी चाहिए, खेती करने वालों को जमीन मिलनी चाहिए, मेहनत करने वालों को जमीन मिलनी चाहिए, खेती ही को आजीविका समझने वाले को जमीन मिलनी चाहिए, उस सिद्धान्त के आधार पर यह कानून कच्चा है, कोरा है, थोथा है; इसमें न सिर्फ कीमत देने की परिभाषाओं को दर्ज किया गया है, किन्तु जो लेन्ड होल्डर्स हैं, उनको जमीन दी जाय, केवल टोटल लगाने की धारायें रखी गई हैं। तो यह प्रगति को रोकने वाला कानून है। सन् १९४९ से सारी दुनिया दावा करती है और राजस्थान सरकार भी दावा करती है कि हम आगे बढ़े हैं। यह कौनसा तरीका राजस्थान के अन्दर आगे बढ़ने का अख्तियार किया गया है, यह कौनसा कायदा जारी किया गया है जिससे लगातार आगे बढ़ने के नतीजे में पीछे हटते जाते हैं? सरकार के आज तक के किये गये एलान हैं। टिनेन्सी बिल बनाया, हम कहते हैं कि बिना मुआवजा के जमीन मिलेगी। पर उस एक्ट के बनने के रात तक और उसके बाद भी आज तक वहीं लागू है, किसी को शंका हो तो इस चेलेन्ज को कबूल कर ले। जयपुर के अन्दर हमने पास किया। राजस्थान बनने की तारीख से पांच साल में इस प्रकार के एलान किये, मुफ्त में जमीन देते हैं, जागीर इलाकों में पाबन्दी लगा दी है और जो भी सुविधा है वह यह है कि बाजार से कीमत करा लें और बाजार की कीमत पर जमीन खरीद लें। यह तो वह बात हुई माननीय चेयरमेन, कि यह कहा

Page No.51

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जाय बेकार आदमी से कि बाजार में कपड़ा उपलब्ध है, बाजार में दाना उपलब्ध है, शक्कर उपलब्ध और इन इन कीमतों में उपलब्ध है और उनको लेने का अधिकार है; लेकिन अगर उसकी माली हालत के जरिये से वह उसको स्वीकार नहीं है तो फिर कैसे ली जाय ? तो इस प्रकार से इस बिल के जरिये से जो कानून बनने वाला है ये अधिकार केवल कागजी अधिकार दिये जा रहे हैं और वे कोई अमल में न लाये जा सकें। माननीय मन्त्री अजमेर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में कहा करते हैं, मैं कहूंगा कि यदि वे उनके आइडियल गुरु पं० गोविन्दवल्लभ पन्त जो अजमेर ही नहीं जयपुर में भी पधारे थे और अखबारों के जरिये से मुझे सूचना मिली है कि उनको कॉंग्रेस के कार्यकर्त्ताओं से भी वार्तालाप किया तो वे उन्हीं से यह जानने की कोशिश कर लेते कि जो दस गुना लगान देने का कायदा उन्होंने आज से कई वर्षों पहले उनके यहां पास हो चुका है, उसकी कितनी ताकत है और उसके तहत कितने अधिकार मिले हुए हैं ? क्या उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि सन् १८८३ के जमानेसे लगाकर आज तक बम्बई, सी. पी. बिहार, मद्रास आदि जगहों पर ढाई गुना से लेकर पांच गुना तक अधिकार मिले हैं ? उस सम्बन्धी वैसे कानून बने थे उनका फायदा कितने पर्सेंट लोगों ने उठाया है और यदि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट और खुद कांग्रेस के द्वारा नियुक्त उड़िया में माननीय श्री नबाकृष्ण चौधरी की अध्यक्षता में बनाई एक लेन्ड टेन्योर रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट मुलाहिजा करेंगे तो पायेंगे कि उन्होंने क्या नतीजा निकाला। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि इस प्रकार के टेक्स लागू करने से हम किसानों पर बोझा लादते हैं और उन अधिकारों का फायदा वे नहीं उठा सकते। शायद दस पर्सेन्ट उठा सकें, लेकिन बड़ी तादाद में किसान उसका फायदा नहीं उठाते हैं।

यह जो बिल हमारे सामने आया है वह सिलेक्ट कमेटी द्वारा छानबीन हो कर आया है। उसके लिए मैं कहूँगा कि जो अन्तरिम सरकारों ने कानून बनाए थे, जो अधकचरी सरकारों ने कानून बनाये थे और अब जो इस पक्की कठोर बनी हुई राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है उससे वह आगे नहीं बढ़ी है, दकियानूसी कानून बनाया है, जो अधिकार दिये गये थे उनको वापिस छीनने की कोशिश की है।

उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का सवाल आता है। यह बात निश्चित है कि इस बारे में खातेदारों के अधिकारों को सुरक्षित किया है और इस माने में कहना पड़ेगा कि खातेदारों के हकूकों का वर्णन करने में राजस्थान सरकार ने और बिल को तैयार करने वालों ने मुस्तैदी दिखाई है। इसके बाद गैर खातेदार और सब टिनेन्ट्स के अधिकारों का ताल्लुक आता है। उसके बारे में ढिलमिलपना है, गोलमालपना है। इस बिल को एक प्रकार का ढाँचा बनाया गया है। कुछ कहना है वह छिप २ कर कहना है, कुबूल करना है लेकिन चुपके-चुपके करना है। यह कहा गया है कि अगर गैर खातेदार इजेक्ट करने हैं तो "he can be ejected on any of the following grounds."

अगर सब टिनेन्ट को इजेक्ट करना है तो......

Page No.52

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"he can be ejected on any of the following grounds."

किन्तु पूरे बिल में पोज़िटिवली गैर खातेदार के क्या हकूक होंगे इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, पूरे एक्ट में fixity of tenure पोजिटिव फोर्मुलेशन (positive formulation) नहीं है कि आया यहाँ तक गैर खातेदार और सब टिनेन्ट्स के हक रहेंगे। अलबत्ता निगेटिव रूप में धाराएँ जरूर दर्ज की गई है और यह भी कोशिश की गई है कि कुछ बंदिशें लगाई जाँय, कुछ पाबन्दियाँ लगाई जाँ। और किसी लगान के बेदखली के बारे में जो हालत होती है वैसी हालत न होने दी जाय और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रह गई है, माननीय चेयरमेन। और वह कठिनाई यह रह गई है कि राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स लागू है और उसके जरिये काश्तकारों को जितनी बेदखली के सिलसिले में सहूलियतें मिली हैं उसमें कुछ सुराख थे। आर. पी. टी. ओ. में जो सुराख है और इस बिल में जो कि अब कानून बनेगा, जो सुराख हैं उन सुराखों की तादाद बढ़ा दी गई है। वहीं अगर कॉन्ट्रेक्ट है, रजिस्ट्रेशन हो गया हो, वहीं अगर ऐसा हो कि काश्तकार और काश्तकार से काम लेने वाला दोनों मिलजुल-कर काम करते हैं या शारीरिक मेहनत देता है तो यह कानून अमल में नहीं लाया जायगा और इस प्रकार से एक ऐसी सुराख रख दिया गया है कि जिसका इस्तेमाल एक नहीं सैकड़ों-हजारों, बल्कि यह कहूंगा कि शायद ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो इसका पूरा इस्तेमाल न करेगा। एग्रीमेन्ट लिखाये जावेंगे, गजटेड ऑफिसर से तसदीक करा ली जायगी और यह कह दिया जायगा कि इस तरह के रास्ते हैं और इसलिए बेदखल करने का अधिकार है। बेदखल करने के ऊपर रोक कब लग सकती है? यह तब ही लग सकती है. माननीय चेयरमेन, जब कि जमीन के सिलसिले में जो रास्ते हैं उनसे पैदा हुई परिस्थितियाँ साफ हों और साफ मानी जाँय। कुछ लोगों की दिलचस्पी है जमीन का किराया पैदा करने की, कुछ की दिलचस्पी है पैदावार करने की। जिनकी दिलचस्पी पैदावार करने की है उनको सहूलियतें दें और जिनकी दिलचस्पी है किराया पैदा करने की उन पर रोक लगाई जाय, पाबन्दियाँ लगाई जाँय।

लेकिन इन पर रोक और बाधायें लगाने के बजाय कहीं-कहीं तो राजस्थान में ऐसा दर्ज है कि जिससे खल और गुड़ एक भाव हो गये हैं। इससे खातेदारी के हक छोटे भूस्वामियों तक को देने आवश्यक हो गए हैं। अब दोनों के अन्दर भेद नहीं होगा। खातेदारी के अधिकार के लिए जो अवधि पहले तीन और पाँच साल की रक्खी गई थी वह अब हटाकर दोनों के लिए बराबर कर दी है। दोनों अवधियों को मिला कर पाँच कर दिया गया है। आज उससे उन लोगों के खातेदारी के अधिकार सुरक्षित कर दिये गये हैं जिनको खातेदार की तौर पर सुरक्षा के साधन मिलने आवश्यक नहीं थे। जो खुद तो खेती करते नहीं किन्तु उस जमीन को अपनी आजीविका के साधन बनाकर रखना चाहते हैं और उस जमीन से जिस पर दूसरे किसान काश्त करते हैं अपना गुजारा करना चाहते हैं। किराये के सिलसिले में, सब लेट करने के सिलसिले में ऐसे नियम बना दिए गए हैं ताकि यह परिस्थिति कई वर्षों तक चलते रहने दी जाय जो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस आशय के संशोधन इस बिल में हैं वे किसी प्रकार के काम के नहीं। इस तरह से मैंने जमीन के बीच में, सरकार के बीच में, काश्तकार के बीच में और जमीन को जो बीज देने वाला मालिक है उसके बीच में जो आपसी सम्बन्ध होंगे इस बिल द्वारा इन तीनों प्रश्नों को लिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि इस बिल में इसको कैसे लिया गया। इसका जिक्र किया है।

इससे भी जो एक खतरनाक काम है इस बिल में वह है जमीन के लगान के सिलसिले में। आज तक जितने भी कानून हमारे माननीय मित्र ने पेश किए हैं उन कानूनों को तोड़ने वाला एक क्लॉज़ है इसमें। अब तक तो मैंने पं० जवाहरलाल नेहरू, गोविन्दवल्लभ पन्त आदि की रिपोर्ट का हवाला दिया, डॉ० के. सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में बैठी हुई कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। यदि माननीय मन्त्री चाहें तो मैं उनको एक बहुत नजदीक का हवाला दे सकता हूँ। राजस्थान के अन्दर भूतपूर्व जयपुर रियासत में जयपुर राज्य प्रजा-मण्डल नाम की एक संस्था थी। उस संस्था ने माननीय श्री टीकाराम पालीवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई। मैं उस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला आपकी जानकारी के लिए दे दूँ। जो उसूल उन्होंने उस कमेटी में निर्धारित किये उनको सैकड़ों सभाओं में हजारों प्रस्तावों के रूप में हमारे उधर बैठने वाले सज्जनों ने प्रयोग किया। वह यह है कि जागीरी इलाके में जो लगान लागू है वही लगान खालसा के इलाके में होगा। अब उसकी बजाय नये लगान लागू किए जा रहे हैं। टिनेन्ट और सब टिनेन्ट पर यह लागू किया जाता होता तो शायद मुमकिन है इसके बारे में जस्टिफिकेशन होता, लेकिन धारा ६७ ए की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें यह लिखा है :

"In areas where land revenue has been assessed in cash by settlement upon the estate-holders and rent is payable in cash by tenants......"

इसमें यह निष्कर्ष निकलता है या जहाँ तक रेन्ट का ताल्लुक है, जहाँ सेटलमेन्ट हो चुका है, वहाँ लगान के बारे में क्या होगा ?

The Proviincial or State Governments, keeping in view the amount of land revenue and agricultural conditions under the foregoing section, shall prescribe... what ? . . . "Shall not be less than $1^1/_2$ times and shall not exceed four times the amount assessed as land revenue."

तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक इलाका है जिसमें कुछ हिस्सा खालसा का है, जिसमें लगान मुकर्रर हो चुका है और उसी के नजदीक अगर जागीरी इलाका आ जाय तो उस इलाके के लिए अगर लगान तय करने का प्रश्न आता है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लिमिट मुकर्रर कर रही है एक आने से लगाकर चार आने तक। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो उसूल आपने पहले तय किया था कि खालसे के अनुसार ही जागीरी इलाके में लगान तय किया जायगा, तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्या आपने उस उसूल को रद्द कर दिया ? आपके द्वारा अपने हाथ से लागू किए हुए सिद्धान्त को आप ही इसमें लागू नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पास इसके सिवाय कुछ चारा नहीं कि आप आस-पास के इलाके में जितनी लेन्ड रेवेन्यू वसूल की जाती उससे किसी भी हालत में बढ़कर रेन्ट नहीं लगा सकते। आपने इसी नारे के अधीन किसानों को इकट्ठा किया था जोश के दिनों में। तो आज आप सदन में बैठकर, कम से कम उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने तो कई बार किसानों से यह कहा कि आओ तुम इस सिद्धान्त को मानते हो कि नहीं कि हम एकसा लगान कायम करेंगे और जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको दूर करेंगे, लागबाग जो वसूल होती है वह बन्द हो जायगी। आपने पूछा था किसानों से कि आप क्या चाहते हो ? हमने भी यही कहा और आपके मित्रों ने यही बातें कही थीं कि खालसा की भूमि में जो लगान है उतना ही लगान जागीर की भूमि से लिया जायगा। आप लोग जोश के दिनों में किसानों को यह भी कहा करते थे कि आपसे उतना ही लगान लिया जायगा जितना कि हल जातने के बाद जितनी जमीन बिना हल के रह जाती है। इस प्रकार की बातें आपने किसानों से लाखों बार कही, सम्मेलनों में इस प्रकार के प्रस्ताव पास किए किन्तु आज आप उसी उसूल से परे हट रहे हैं। आज आपके सामने कौनसी ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे आप उस उसूल से परे जा रहे हैं। आज किसानों की प्रगति का कौनसा जलजला शुरू हो गया जिससे लगान बढ़ाने का सरकार ने इरादा कर लिया। और तो और, आज जो यह कह रहे हैं, यह आमने सामने कर रहे हैं, ऐसी चीजों की अगर निष्पक्ष जाँच की जाय तो कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। बार-बार यह सफाई दी जाती है कि इसकी छानबीन हो रही है। आज सब जगह यह कहा जाता है कि छठे बाटे से कहीं भी ज्यादा लगान नहीं लिया जायगा, लेकिन आज राजस्थान के अन्दर ऐसे इलाके हैं जहाँ जमीन का लगान =) ८०, १०) रुपये, १२) रुपये और १३) रुपये और अभी-अभी तो १७।।) रुपये के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। आज राजस्थान सरकार का स्टेन्डर्ड ऑफ लगान १७।।) रुपये तक पहुँच गया है। जिस राजस्थान के किसानों को आप कहा करते थे कि आपके यहाँ जो आसपास में लगान लागू है उससे किसी हद में ज्यादा लगान वसूल नहीं किया जायगा; आज आप उनसे १७।।) रुपये तक लगान वसूल करने जा रहे हैं। आज राजस्थान के किसानों को राहत देने के बजाय यह कहा जायगा कि इतने दिन तो तुमसे भूस्वामी लगान लिया करते थे अब हम तुमसे लगान वसूल कर रहे हैं, अब तुम लोगों से लगान वसूल करने का ठेका हमने ले लिया है, हमने होलसेल एजेन्सी ले ली है जिससे कुछ-कुछ तो उनको हम दे दिया करेंगे और कुछ कुछ उसमें से हम रख लेंगे। इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि आपकी अब होलसेल एजेन्सी में दिलचस्पी हो गई है, आपको किसानों के हित में दिलचस्पी नहीं, आप तो अब उनसे यह कहेंगे कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा दो; क्योंकि हमने होलसेल एजेन्सी का ठेका ले लिया है, अगर हमारे पास नहीं बचेगा तो हम उनको क्या देंगे ? यह दृष्टिकोण आज राजस्थान सरकार का बन गया है, जो बिलकुल साफ है। किसानों के नाम से आपको यह कानून पास नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लिमिट बढ़ाना है, आपको पहले से ज्यादा अधिकार लेने हैं। इसी वजह से आप लगान बढ़ाने का भी अधिकार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेना चाहते है। पुराने सिद्धान्त जिनको आप मानते थे उनको आप तोड़ रहे हैं, जो प्रस्ताव आपने पास किए थे उनको आप रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप पं० जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लेते हैं, गोविन्दवल्लभ पन्त का नाम ले लेते हैं। आज आप उन सब उसूलों से दूर हटकर नया इतिहास और नये युग का निर्माण करने जा रहे हैं। यह नक्शा है उस टिनेन्सी बिल का जो कि आज हमारे सामने आया है।

इसी सिलसिले में अगर छानबीन की जाय तो यह पता चलेगा कि पुरानी बातें, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, १८८३ और १८६० की बातें जाने दीजिए और बेडनफाई की किताबों को रहने दीजिए। राजस्थान के आसपास के राज्य पेप्सू की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ कुछ समय पहले एक मन्त्री मंडल था। जिसको मेरे माननीय मित्र दकियानूसी मन्त्री मंडल कहा करते है। उस दकियानूसी मन्त्री मंडल ने एक कायदा बनाया। उस कायदे के अन्दर यह दर्ज किया गया कि सालाना लगान जितना है उतने रुपये के पीछे एक आने के हिसाब से मुआवजा देने पर खातेदारी के हक मिल जायेंगे।

अगर मेरे माननीय मित्र को विश्वास न हो तो उस कानून पर और गौर कर लें और फिर वे कांग्रेस महासभा के अधिवेशन में पास किये गए प्रस्ताव को देखें। इस पर राष्ट्रपति ने भी कहा कि यह तो अन्याय हो गया। इसमें संशोधन हुआ और इसके बाद भी अभी दो तीन महीने से ज्यादा हुए वह मामला अटका हुआ है। जमीन की कीमत नहीं दिलवाई, लगान की कीमत का कोई सवाल नहीं; लगान का कुछ मल्टीप्लाई दिलवाया। अगर इस हमारे पड़ोसी पेप्सू राज्य का यह हाल है कि जहाँ ज्ञानसिंह रारेवाला की हुकूमत थी और उस दकियानूसी हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया कि रुपये में लगान के एक रुपया के पीछे एक आने का मुआवजा देने के पीछे जमीन ले लो। राजस्थान में जहाँ कि कॉंग्रेस की प्रगतिशील हुकूमत है, जिसके लोग तरक्की पसन्द कहलाते हैं, लोकशाही की तरक्की करने वाले हैं, किसानों की उन्नति करने वाले हैं वे मेरे माननीय मित्र मोहनलालजी कानून बनाएँ और यह कहें कि बाजार में जितनी जमीन की कीमत है वह देकर पट्टा ले लो और इसके साथ थोड़ा नजराना और दे दो। तो ऐसी स्थिति में वे किस मुँह से कहते हैं कि इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों में कोई फर्क है? किस मुँह से आप यह कहते हैं कि इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है व्यावहारिक कारण है, कागजी नहीं कानूनी है, किसान के हक छीनने वाला नहीं उनके हक दिलाने वाला है, यह वोटरों को जबर्दस्ती बेजा दबाव डालकर चुनाव जीतने का षड्यन्त्र नहीं, यह आरोप गम्भीर है और सही नहीं है? तो फिर यह दुहाई न दी जावे इस बात की कि इसका बड़ा मूल्य है, यह किसानों के बड़े हित की बात है धीरे-धीरे हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, हम किसान राज्य की तरफ मजबूती से, पर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। इसकी दुहाई न दी जावे। यह कहा जावे कि पहले हम जोश-खरोश में जरूर थे यह हमारी नासमझी थी, अब वह नासमझी हमारी समझ में आ गई है और अब हम समझदारी से काम करने लगे हैं। श्री वेंकटाचारी ने कहा था, हमारे आज के राजस्थान के मुख्यमन्त्रीजी को एक वक्त कि:—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Well, Vyasji, you have unlearnt all that you have made your people learn so far."

प्रचार और आन्दोलन के सिलसिले में जरा जिक्र करते हुए उन्होंने यह कहा था। तो मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है माननीय चेयरमेन, कि यह बात उस समय उनके समझ में आई हो या न आई हो, मैं नहीं कह सकता; पर आज वह समझ में आ रही है और धीरे धीरे उन्होंने उसको समझ-कर उस पर अमल करने की शुरूआत भी कर दी है कि :—

"They are unlearning all that they have learnt in their exuberant youthful political education."

और अगर यह बात है तो फिर इसे ही साफ-साफ कहा जावे। यह कहा जावे कि अब हम राज्य करने वाले बन गए हैं, शासन-व्यवस्था का बोझा सम्भाल लिया है हमने अब, अब हम अपनी किशोरपन की अवस्था से निकल कर कुछ प्रौढ़ बन गये हैं, अब हमने अपनी जिम्मेदारियां सम्भालने के लिए ट्रेडीश्नल तरीकों को लागू रहने देने के रास्ते को अख्तियार कर लिया है और अगर ऐसा रास्ता चुन लिया है आपने तो फिर राजस्थान के किसान को भी अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। उसे भी अपना रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। अब तक जिसके साथ वह चल रहा था वह थक गया, बैठ गया रास्ते में थककर, बैठ गया पेड़ की छाया में, पसीने से तर-बतर हो गया, पसीना सुखाने के लिए बैठ गया, अपना श्रम मिटाने के लिए एवं अपनी थकान मिटाने के लिए और कुछ सुस्ताने के लिए वह बैठ गया है पेड़ की छाया में, पानी पीने के लिए बैठ गया है। वहाँ उसने अपना डेरा डाल लिया है, अब आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं। वह हिम्मत उसकी जाती रही है। पर ऐसी स्थिति में उसके रुक जाने से वह रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जावेगा वह तो, उसे तो अपनी मन्जिल पर पहुँचना है, उसे विश्राम कहाँ है। आपको अगर यह महसूस होने लगे कि हम बदल गये हैं, पुराने जमाने में जो हमने वादे किये थे वे पुराने पड़ गए हैं और उन्हें भुलाकर कानून के आधार पर किसान को मिलने वाली सहूलियतें और उसके अधिकारों को कानून के द्वारा ही रद्द कर दें या जो अधिकार अब तक दिए हुए है उन्हें ही छीन लें तो राजस्थान का किसान तो यही कहेगा कि मैं तो आगे की सोच रहा हूँ और तुम बजाय आगे बढ़ने के पुराने दिए हुए अधिकारों को भी छीन रहे हो? तो ऐसी हालत में वह तो अपना रास्ता चुनेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस कानून के जरिए बेदखली का रास्ता खुल जावेगा, लगान बढ़ने का रास्ता खुलेगा, खातेदारी हक उसको नहीं मिलेंगे। किसी एकाध कानून के अन्तर्गत मिल गए तो मिल गए। पर दूसरों को अनेकों को, अधिकांश को नहीं मिलेंगे। जागीरी काश्तकार रोवेगा और आपको यह गिनावेगा उंगलियाँ उठा-उठाकर कि एक जमाने में आप ही बढ़-चढ़ कर बोलते थे; आज यह क्या हो गया है? जान पड़ता है कि किसानों के अधिकारों की याद आप अब भूल गए हैं। मैं इसलिए उधर बैठने वाले मेरे उन मित्रों से भी, जो अपने को किसानों का प्रतिनिधि कहते हैं, यह कहना चाहता हूँ कि वे इस पर गौर करें संजीदगी से और इसको पेश करने के पहले एक चीज हम तय कर दें कि आज तक हम जिन उसूलों को मानते आये हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। आगे नहीं बढ़ना है तो पीछे हटेंगे तो नहीं। उन्हें इसकी खामियाँ पकड़नी हैं, इसमें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खामियाँ बहुत हैं, पर आवश्यकता है ऐसे कानून की और इसको जल्दी इसलिए है कि जैसा भी हो जल्दी पेश हो इसकी खामियाँ दूर करने की मेरी राय है, पर उनको दूर करने की आवश्यकता बहुत गम्भीर है और बहुत ही ज्यादा है और उन्हीं शब्दों और नारों के अनुसार आप इन खामियों को दूर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जो नारे और जो शब्द आज तक आप बोलते रहे हैं और जो आज तक आपने किसानों से वायदे किए हैं उनको पूरा करने की ओर आप कदम बढ़ाएं और जो यहाँ का किसान है राजस्थान का किसान, उसके साथ अपने किए गए आज तक के वादों को निभावेंगे। आगे वादे करने का जब वक्त आवेगा तब देखा जावेगा, पर अब तक जितने वादे किए हैं उनको पूरा करने में आप आगे बढ़ते जावेंगे। यह प्रार्थना करते हुए, उनके कष्टों की याद दिलाते हुए, उनके पुराने जमाने की त्याग गाथाओं और पुराने जमाने के उनके कार्यों की याद दिलाते हुए मैं कहूँगा कि इसमें उनके अनुसार संशोधन करते हुए इस कानून को आप पास करें और जो पुरानी बातें आपने या आपसे पहले कर दी गई हैं उनसे तो कम से कम मत बदलो। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, अच्छा तो यह रहता कि विरोधी दल के कुछ सदस्य इस बिल पर अपने विचार प्रगट करते।

("करेंगे, करेंगे" की आवाज)

और इसके बाद में हम लोग जो कि सिलेक्ट कमेटी में थे, जिन्होंने छानबीन इसकी की थी, उनको बोलने का अवसर आता। मगर मालूम यह पड़ता है कि आज मुख्य सदस्य जो विरोधी दल के हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह बिल कैसे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जावेगा और इस पर इस सदन में अलग-अलग ढंग से टीका-टिप्पणी होगी जिसमें कि जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं मुमकिन है कि इस बिल पर वे इस तरह की टीका-टिप्पणी करें कि इस बिल में उनके हकूकों पर बहुत कुठाराघात किया गया है। अभी माननीय सदस्य जो जोधपुर से तशरीफ लाए हैं उन्होंने इस बिल को बड़ा प्रतिगामी और प्रतिक्रियाशील वाले तत्वों द्वारा बनाया हुआ बता रहे थे।

मैं आपके जरिए सदन में अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल जो सदन के सामने पेश हुआ है इसका एक बड़ा इतिहास है। सबसे पहले सदन में जो बिल पेश हुआ था उसकी धाराओं का भी आपने मुलाहिजा किया होगा। उसके बाद में वह बिल वापिस सदन से लिया गया और दूसरा बिल सदन के सामने पेश हुआ और उस बिल का भी आपने मुलाहिजा किया होगा और सिलेक्ट कमेटी के पास में होकर यह बिल जो आज सदन के सामने पेश हुआ है, उसमें और इसमें काफी अन्तर है और अगर इस बिल को ३-४ महीने इस सदन में विचार करें तो मुमकिन है कि इसमें कई धाराओं में फिर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जायगी, क्योंकि जमीन-सुधार इस देश में इस तेजी से हो

[श्री मथुरादास माथुर]

रहा है कि आज से जो ६ महीने या १२ महीने पहले जो कर चुके हैं वह आज नाकाफी बन गए हैं। इसलिए जब हम इस बिल की कुल धाराओं पर विचार करते हैं और सिलेक्ट कमेटी ने पास किया था आज से कुछ महिनों पहले तो उसमें भी यह हम लोग महसूस करने लगे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस बात को हमेशा मानते रहे हैं और मैं उन सदस्यों को जो अपने को प्रगतिशील युवक कहते हैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल को बनाते वक्त जो मौजूदा इस देश की हालत है उसके ऊपर ही निर्भर रह कर यह बिल बनाना पड़ेगा।

इस बिल के अन्दर, पुराने जितने भी टिनेन्सी के कानून थे उनका अगर इस बिल से मुकाबला किया जाय तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह बिल जो अब प्रगतिवादियों के द्वारा बनाया हुआ है और जोधपुर में जो कानून बना था और जिसका हवाला यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोगों ने जो इस बिल के बनाने वाले सदस्य थे उन्हीं लोगों ने बनाया था। मगर एक अन्तर उस वक्त था और जो कठिनाई आज हमारे सामने पेश हुई है वह उस वक्त हमारे सामने नहीं थी। उसमें किसानों को ६ अप्रेल की रात के १२ बजे जिसका कब्जा उस जमीन पर था उसको खातेदारी के हकूक दिये थे। आज ऐसा एलान करते हैं कि हम किसानों को खातेदारी के हकूक देने को तैयार हैं मगर उस वक्त से और ज्यादा एक परिवर्तन हुआ है जिस पर कि आपको गौर करना पड़ेगा कि अगर किसी को उस वक्त जो हकूक मिले थे वह काश्तकारों को मिले थे, टिनेन्टस को मिले थे और आज भी टिनेन्टस को जो खातेदारी के हकूक हवाले की जमीन पर मिल गए या जिसको कि जमीन मिल गई उसके लिए कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Show that clause please.

श्री मथुरादास माथुर—Yes. मैं आपके उस तरफ आ रहा था कि जो यह धाराएं बढ़ाई गई हैं वे इस बात को बताती हैं कि अगर किसी खातेदार का कोई शिकमी काश्तकार है और उसको खातेदारी हकूक दिये जाँय तो उसको खातेदारी हकूक हासिल करने के लिए उस खातेदार को, जिससे कि वह खातेदारी हकूक उठा रहा है या दिए जा रहे हैं कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यह हमारे ध्यान में है। जोधपुर में जो कानून बना था उसमें कम्पेन्सेशन देने के लिए जो आज मजबूरी है वह नहीं थी। वह मजबूरी हमारे सामने, जब तक कि भारत के विधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं हो जाय, तब तक रहेगी। इस विधान सभा को यह अधिकार नहीं कि भारत के विधान में परिवर्तन कर दे या ऐसा कानून बना दे कि बाद में वह गैरकानूनी करार दिया जाय। मैं जोधपुर से आने वाले सदस्य को खास तौर से बतलाना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा इरादा आज भी है कि जो मजबूरी हैं, वे कह सकते हैं कि उसको क्यों नहीं मिटा लेते, विधान में परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते......

श्री हरिकृष्ण व्यास—मजबूरी को हटा ही क्यों नहीं देते ?

श्री मथुरादास माथुर—इस मजबूरी को हटा देने के लिए ही मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल, जिस पर कि आप विचार कर रहे हैं और मुमकिन है कि जल्दी ही यह मजबूरी जो कि वह समझ रहे हैं वह हटा दी जाय, लेकिन जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१ ए में संशोधन नहीं हो जाता तब तक मुआवजा देने के लिए जब तक वह लौटाया नहीं जाता तब तक देना पड़ेगा। संविधान के मातहत बने हुए जो कानून हैं उसके अनुसार उनको देना पड़ेगा। दूसरे, हमारा जो कानून बना था और जो कानून बन रहा है, वह भारत के विधान के कारण रखा गया है।

इसके साथ साथ एक बात और इस सदन से कहूँगा कि शिकमी काश्तकार को कोई पुश्तैनी हकूक नहीं दिए गए हैं। मैं मानता हूँ और मैं तसल्ली से इस सदन को कह सकता हूँ कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें काश्तकारों को बेदखली से बचाने के लिए जो कानून बना हुआ है वह भारत के दूसरे इलाकों में दूसरे प्रान्तों में जो जो लेन्ड रिफॉर्मस में अपने आपको बहुत प्रगतिशील कहते थे, उनमें भी आज वह चीज नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्रोटेक्शन हमने टेनेन्टस को दिया है वह प्रोटेक्शन हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े प्रान्तों में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, in other States there are rights for sub-tenants, and in Bengal ejectment has been made a cognizable offence very recently.

श्री मथुरादास माथुर—मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूँ कि शिकमी काश्तकार को हकूक देने का सवाल है, उस पर हम आ रहे हैं। उसके बारे में माननीय सदस्य सब्र रखें। उस पर मैं आ रहा हूँ। शिकमी काश्तकार को क्या हकूक दे रहे हैं...(श्री हरिकृष्ण व्यास जाने लगे) जरा वह तसल्ली से सुनते जाइए।

जिस वक्त कि सिलेक्ट कमेटी में इस पर बहस हो रही थी उस वक्त माननीय उपाध्यक्षजी उस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमेन थे और मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस पर बहुत काफी लम्बी बहस हुई थी। हमारी यह इच्छा है और हम यह चाहते हैं और इस बात की तरमीमें कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से इस सदन में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शिकमी काश्तकारों को कुछ पोज़ीटिव राइटस मिलेंगे और वे पोजीटिव राइटस वे होंगे कि, इसी कानून में यह रख दिया गया है, कि किसी भी शिकमी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता है। वह खातेदारी के हकूक हासिल करना चाहता है तो कम्पेन्सेशन देकर खातेदारी के हकूक हासिल कर सकता है। मगर अगर खातेदारी के हकूक हासिल करने के लिए साधन नहीं हैं तो इसलिए कि वह जिन्दगी भर यह प्रश्न उठता है कि क्या शिकमी काश्तकार की तरह ही रहेगा तो इस बात पर काफी विचार किया गया और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साधन के लिए इस बात की तरमीम पेश होगी कि जिसको शिकमी काश्तकार के

[श्री मथुरादास माथुर]

हकूक मिलेंगे वह हकूक इम्प्रूवमेंट ओन दी लेन्ड हैं। इस तरह के हकूक भी काश्तकार को मिलेंगे कि वह काश्तकार अपनी जमीन को मोर्टगेज कर सके। इस तरह के हकूक भी काश्तकारों को मिलेंगे और उसके बाद में भी खातेदारी के हकूक हासिल करने के लिए उसके पास साधन नहीं हैं तो वह जमीन से किसी भी तरह बेदखल नहीं किया जायगा।

इस कानून को बनाते वक्त बड़े-बड़े सिद्धान्त सामने रखे गये हैं कि जमीन जोतने वाले की रहेगी, उसको जमीन से बेदखल नहीं किया जायगा। उस जमीन पर उसको हकूक दिये जा सकते हैं कि वह जमीन को इम्प्रूव कर सके ताकि हमारे देश में उन्नति की जो योजनाएं चल रही हैं, ग्रो मोर फूड (Grow more food) का जो कम्पेन चल रहा है वह खत्म न हो जाय और शिकमी काश्तकार को उस जमीन में दिलचस्पी रहे, इसलिए उनको इम्प्रूवमेंट के राइटस मिलेंगे कि वह जमीन को इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद में हमारे यहाँ योजनाएँ किसी तरह से अधूरी नहीं रह सकेंगी।

इस बात का जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि भूमि के सम्बन्ध में हम इस तरह से नहीं सोचते हैं तो उनके सोचने के लिए बताना चाहता हूँ कि हम पोजिटिव राइट्स सब टेनेन्ट्स को देने जा रहे हैं। इसी कानून में इसका एलान किया जा रहा है कि शिकमी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जायगा और वह जमीन पर काबिज रहेगा। मैंने आपसे अर्ज किया कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है लेन्ड रिफॉर्मस की प्रगति इस देश में बढ़ती जाती है। इसी आधार पर प्लानिंग कमीशन की योजना थी कि शिकमी काश्तकार को जमीन के इम्प्रूवमेंट के राइट्स दिये जायं, मोर्टगेज के राइटस दिये जायँ तो वह उस जमीन को इम्प्रूव कर सके और हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं उनमें किसी की बाधाएँ न हों, और मुझे उम्मीद है कि जो यह प्रश्न शिकमी काश्तकार का है और जिसके बारे में हम लोगों को कानून बनाने वालों को प्रतिक्रियावादी और कानून प्रतिगामी कहा गया था उन सदस्यों को मेरे इस जवाब से तसल्ली होगी। यह भी कहा गया था कि जो कम्पेन्सेशन, खातेदारी हक हासिल करने के लिये तय किया जायगा वह मार्केट वेल्यु पर तय किया जायगा। इस तरह की धाराएं इस में हैं और इस प्रश्न पर काफी लम्बी बहस सिलेक्ट कमेटी में हुई थी और मेरा ख्याल है कि हम लोग ज्यादातर इस बात से सहमत थे कि जो इस प्रकार की प्रथा, प्रणाली या तरीका है वह काफी लाभदायक नहीं हो सकता लेकिन वह रेन्ट के ऊपर १० या २० टाइम्स का जो फैसला हम सदन में कर पायेंगे उसी के अनुसार कम्पेन्सेशन तय किया जायगा, तो यह प्रश्न हल हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह का अमेन्डमेंट लाकर इस कठिनाई को हल करने को कोशिश करेंगे।

एक प्रश्न यह भी इस सदन के समक्ष पेश हुआ और यह बात समझाई गई कि आज किसानों से लगान के रूप में जो लिया जा रहा है उससे ज्यादा लगान इसके बाद लिया जायगा और यह किसानों की हिमायत करनेवाली सरकार किसानों का ज्यादा शोषण कर रही है। बहतर तो यह होता कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था वे इस जवाब को सुनते लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक लैन्ड रेवेन्यु से सम्बन्ध है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हैं। मगर यदि कोई

Page No.61

[श्री मथुरादास माथुर]

भूस्वामी या जागीरदार किसी सब टिनेन्ट को जमीन जोतने के लिये देता है तो उसके लिये पहले कोई रुकावट नहीं थी, वह जितना चाहता था, रेन्ट ले सकता था; १० टाइम्स, १५ टाइम्स ले सकता था। लेकिन अब हमने जो धारा इस कानून में रखी है इस सम्बन्ध उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा ४ गुना तक टिनेन्ट्स से वसूल कर सकता है, फोर टाइम्स रखा गया है उसका मतलब यह नहीं कि फोर टाइम्स ही लिया जायगा। अभी अलवर-भरतपुर में ३ टाइम्स सरकार ने किया है लेकिन आम तौर पर डेढ़ गुना ले सकते हैं। जब कि उस ओनर को सरकार का रेन्ट देना होगा तो इतनी बात तो मानकर चलना होगा कि उसको कुछ तो मिलना चाहिये, ताकि उसकी जमीन खराब न हो और वह जमीन को इम्प्रूव कर सके। इसके विपरीत जितना लगान उसको देना पड़ता है उतना ही वह ले, यानि १००) रु० उसको सरकार को देने पड़ते हैं और १००) रु० ही वह शिकमी काश्तकार से वसूल करे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा या उसके लिये कोई मार्जिन नहीं रहेगा। मार्जिन कितना हो सकता है यह तय करने के लिये डेढ़ से चार गुना तक रखा गया है। राजस्थान में अलग-अलग जगहों की जमीन की अलग-अलग हालत है, इसलिये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रेट से वह हासिल ले सकता है ताकि उसको कुछ मुनाफा हो जाय; इसलिये यह रखा गया है। यह कहना कि पहले से जो हालत है उससे हम पीछे हट गये हैं, यह बात सही नहीं है। जो प्रश्न जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने उठाया है उसका उत्तर देने की मैंने कोशिश की है।

इसके अलावा दो-तीन बातें और पेश करना चाहता हूँ। वे यह है कि यह कानून जिसे आप लोगों ने गौर से पढ़ा होगा तो पता लगा होगा कि इसमें दो सिद्धान्तों का पूरी तौर से ध्यान रखा गया है और वे यह हैं कि जमीन पर जोतने वाले का कब्जा हो और उनको ज्यादा से ज्यादा हक दिये जाँय। हम इस सिद्धान्त को मानकर चले हैं और उसी को मानते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो उसके अन्दर जमीन को जैसी कि अभी सदन में बहस की गई, उन लोगों के पास रखा जाय। खुद हल जोतते हैं उनके पास नहीं कि जो किराया कमाना चाहते हैं लेकिन जो हल जोतकर पैदावार करना चाहते हैं उन्हीं किसानों को कानून के जरिए जमीन दी जाय इस बात का ध्यान रखा गया है। सब लेटिंग नहीं करने के लिए काफी ध्यान रखा गया है। सब लेटिंग को करीब-करीब बन्द करने का इरादा था लेकिन कुछ मिलिट्री के लोगों के लिए, कुछ ल्युनेटिक्स के लिए, ईडियट्स के लिए, विडोज़ और माइनर्स के लिए एक्सेप्शन रखा गया है जिससे ऐसे लोग अपना निर्वाह कर सकें। फिर भी हमने यह रखा है कि एक आदमी जमीन को सब लेट कर सकता है ३ साल के लिए। फिर उसको २ साल के लिए खुद को काश्त करनी पड़ेगी और फिर सब लेट कर सकेगा। इस तरह की धारा इसमें रखी गई है। इसके विरुद्ध सिलेक्ट कमेटी में बहुत बहस की गई और कहा गया कि इससे जमीन की कीमत कम हो जाती है सब लेट नहीं करने से, इस तरह की बहस हुई। हम तो एक सिद्धान्त को मानते हैं कि जहाँ तक हो सके जो जमीन पर हल चलाता है उसी को जमीन मिलनी चाहिये। दूसरी बिरादरी के लोग जो जमीन को स्वयं खड़ते नहीं है और किराये से मुनाफा उठाते

Page No.62

[श्री मथुरादास माथुर]

है उनके पास कम से कम जमीन जाय इसी बात को ध्यान में रखा गया है। इस कानून को इस सदन में रखा गया है। उसकी जो धाराएँ हैं वे बताती हैं कि टिनेन्ट्स को हक दिया है। एक बात और जोधपुर से आये हुए मित्र ने कही कि हमने एक क्लॉज़ जो रखा है, क्लॉज़ १५ जिसकी ओर सदन का ध्यान उन्होंने दिलाया। उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हमें वह क्लॉज़ मजबूरन रखनी पड़ी। क्लॉज़ १५ की ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था उसमें बताया गया है कि...
"Lands in which khatedari rights would not accrue—

(xiv) Land situated in a jagir area until the application, if any, of the jagirdar concerned on."

इसको उन्होंने पढ़कर सुनाया था। यह बात सिलेक्ट कमेटी के सामने आई थी तब सिलेक्ट कमेटी को इसलिए रखना पड़ा कि जागीर रिजम्पशन बिल में इस प्रकार की क्लॉज़ थी। लेकिन अब जब कि इस सदन ने जागीर रिज़म्पशन बिल में से इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया है तो अब यहाँ भी यह क्लॉज़ डिलीट होगी। इसलिए माननीय हरिकृष्णजी की जो आपत्ति थी वह हट जायगी। हमने खुदने १५ वें क्लॉज़ पर बहस की थी कि यह नहीं रहना चाहिए। लेकिन उस समय हम मजबूर थे; क्योंकि जागीर रिजम्पशन बिल में यह मौजूद थी इसलिए हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हमने इसमें प्रोविज़ो रखा जो रिपोर्ट में मौजूद है, जिसे आपने पढ़ा होगा। प्रोविज़ो की वजह से इसमें न्युसेन्स क्रिएट होने की गुंजायश नहीं रह जाती। जब जागीर रिज़ेम्पशन बिल सदन में आया तो उसमें से इस धारा को डिलीट किया गया और अब इसमें से भी इसका डिलीट होना लाजमी हो जायगा। श्री हरिकृष्णजी ने काफी लम्बी बहस करके यह बताने की कोशिश की कि जब तक खुदकाश्त की समस्या हल नहीं होगी तब तक किसानों को खातेदारी हक नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से छीन लिया है। इससे तो सारा उसूल ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि यह बात हमारी जानकारी में है और मजबूरन हमको यह क्लॉज़ रखना पड़ा, जिसे अब डिलीट किया जा सकेगा तो उनकी बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। चन्द मिनिटों में मैंने कौशिश की कि जो पोइन्ट्स श्री हरिकृष्णजी ने उठाये थे उनका एक-एक का जवाब दूँ। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश उन्होंने की थी, उसको निकालने की कोशिश मैंने की है।

मुझे आशा है कि सदन के सभी साथी हमारी उन भावनाओं की कद्र करेंगे जिन भावनाओं को लेकर यह टिनेन्सी बिल बनाया गया है; हिन्दुस्तान की, राजस्थान की मौजूदा आर्थिक-सामाजिक हालतों को देखते हुए बनाया है, प्लानिंग कमीशन की गाइडेन्स से और आशीर्वाद से यह टिनेन्सी बिल बनाया गया है और अभी अजमेर के अन्दर कॉंग्रेस महासमिति का जो फैसला हुआ है भूमि-सुधार के सम्बन्ध में, उसके होने के पहले ही हमने यह ध्यान रख कर

[श्री मथुरादास माथुर]

यह टिनेन्सी बिल बनाया है, क्योंकि यहाँ के किसानों का आन्दोलन इतिहास में सब से बड़ा आन्दोलन रहा है ।

हमारी भावना यह नहीं रही है कि हम खामोख्वाह किसी भूस्वामी को या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करें । हमारी यह भावना रही है कि जमीन जोतने वाले की रहे । इन बड़े सिद्धान्तों को रख कर हमने यह कानून बनाया है और यह आपके सामने प्रस्तुत है ।

श्री ईश्वरीसिंह—आप बार-बार पेली तो शूरू सूं ही कूड बोलता आ रया हो और लोगों ने कही के अबे एक मूल भूत बात हो रही है । पर अबार सुखाड़ियाजी के रिया हा के चार गुना लगान दियां बगैर कोई ने खातीदारी अधिकार नहीं मिल ला ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने यह नहीं कहा कि ४ गुना लगान दिये बगैर खातेदारी हक नहीं मिलेंगे ।

श्री ईश्वरीसिंह—मान लो । काश्तकारां ने आ उम्मीद ही के अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़-कर चल्या गया तो अबे म्हां की हालत ठीक होवेला । बाद में सामन्तशाही भी १५-२० दिनां सूं चली गई। अबै उं सूँ भी सवाया आंक कताक आ रया है । केता तो आ हा के काश्तकार जीं जमीन पर काश्त कर रयो है वीं रो वीं जमीन पर हक है। अबे आ के रया हो के जागीरदार ने एवजानो देवे तो काश्तकार ने खातेदारी रो हक मिल सके है । जागीरदारां ने के रया हो के मुआवजो लो, खुद काश्त की जमीन लो और किसानां सूं एवजानो लो। अजमेर में अबार तीन चार दिन राजपूतां की सराहना ही सराहना का पुल बांध दिया के ए इयान की बादरी करी, बड़ो त्याग करियो । मने तो ओ त्याग इयान को दीखियो कि बादर जायां का हाथ में सूं जागीरां छीनणी ही जका छीन ली ।

जागीरदारां ने खुद काश्त की जमीन दे रया हो, ए खुद तो काश्त करे कोनी पछे यां ने क्यूं दे रया हो, न तो आं सूं काश्त होणी की है और न वां सूं दो साल बाद जमीन को लगान ही दियो जायलो । म्हां सूं भी या जमीन गुमाई जा रही है । म्हां ने सगलां बताई के, ई में काश्तकारां का हित है पण म्हां के आ समझ में नहीं आई के इमें काश्तकारां को हित के हैं । मने एक मिशाल याद आ गई के एक चारण की लड़की आंधी हो गई, चारण बेटी ने ले र माता के आयो के मारी लड़की आपकी सेवा करेगी मारी ने आँखां दीजो । चारण समझदार हो पाछो वि ने कयो के :

"धायो थारो तूठबो रूठबो तैयार ।"

वो म्हां पर तूठबो तो रेण दो । मैं तो आ ही कह रयो हूँ के सामन्तशाही में

[श्री ईश्वरसिंह]

जियान की अंधयोड़ी ही बीं सूं और ज्यादा बुरी खराबी ने मत जाओ, लेर ने ही बियां की तो रेण दो ।

५० साल सूं मने अच्छी तरह याद है के कोई काश्तकार सूं जागीरदार लड़ाई करतो तो आखीर में फैसलो यो दियो जातो के खालसो लगान लेवे है तने भी बियां ही लगान लेणो पड़ेगो । तो आज काश्तकारां की जो भी बात आ रही है, और दूसरी आं सूं कोई उम्मीद भी नहीं । जागीरां को प्रस्ताव भी पंतजी और जवाहरलालजी के सामने गयो । अब काश्तकार पढ़िया-लिखिया है, अबे इयान को फैसलो भी अठे होबा को नहीं । ठायो भलो है, काश्तकारां को ठायो मत छुड़ावो । ई कानून ने पास करो तो सोच-समझ के पास करो, नहीं तो बड़ो भारी बखेड़ो खड़ो हो जायलो । किसान अबे इयान का भी कोनी रिया के जियान की बात केवोला बियान की ही मान लेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, इस सदन के सम्मुख आज प्रगतिशील बिल पास करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । इस बिल के जरिए हम राजस्थान में बहुत जबरदस्त प्रगति लाना चाहते हैं; यहाँ के काश्तकारों में नया जीवन, नया उल्लास और हर्ष उत्पन्न करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजस्थानी विभिन्न रियासतों में प्रचलित टिनेन्सी बिल्स की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो मालूम होगा कि हरेक भूतपूर्व रियासत ने काश्तकारों पर लागू होने वाले जो कानून बनाये वे अलग-अलग तौर से हरेक समस्या पर अलग अलग विचार देते थे और उनके निर्णय अलग अलग होते थे । किसी रियासत में कानून था कि सबलेट नहीं की जाय, किसी जगह कानून था कि सबलेट की जा सकती है, किसी जगह यदि कोई खातेदार अपने परसनल लॉ से गवर्न होता था तो दूसरी जगह उसकी स्टेटस के बारे में बहुत कुछ लिमिटेड था । इसी तरह शिकमी, गैर खातेदार काश्तकारों के बारे में भी अलग-अलग जगह अलग-अलग कानून थे और इस तरह इसी कारण से अब तक हमारी अदालतों के जो इस तरह के मामलों के फैसले हुए उनमें विभिन्नताएँ हैं । अगर जोधपुर के कानून के माफिक कोई फैसला हुआ है तो वह उस कानून से विभिन्न है जो कोटा में लागू था । इससे हमारे प्रान्त में बहुत जबरदस्त बाधा थी । जरूरत हमारे यहाँ इस बात की थी कि जल्दी से जल्दी सारे राजस्थान में एक प्रकार का कानून काश्तकारों के लिए बनाया जावे और एक ही प्रकार के काश्तकारों के हकूक रखे जावें, एक प्रकार के उनके अधिकार हों और अगर वे किसी जमीन को साल भर के लिए किसी को देना चाहें तो उसके बारे में उनको अधिकार हों ।

अब तक के कानून जो हमारे यहाँ प्रचलित थे उनमें सब जगहों के कानूनों में एक बात दृष्टिगोचर होती थी कि उन कानूनों के अन्तर्गत काश्तकारों के हकूक स्पष्ट नहीं थे । उनसे मनमाने लगान लिये जाते थे और उनको देने पड़ते थे और इससे उनका शोषण बहुत जबर्दस्त होता था, जिसको रोकना बहुत जरूरी था । इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके इजेक्टमेंट के बारे में

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

अधिकार विस्तृत थे। जब चाहा वे बेदखल कर दिये जाते थे और जीमनें उनसे छीन ली जाती थीं और इसलिए सन् १९४९ में हमारी सरकार ने कानून बनाया और टीनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट के जरिये से इसको रोका गया। अभी तक वह प्रचलित है और इसी से हमारे काश्तकार बहुत तादाद में अपने हकूकों को सुरक्षित रख सके हैं। इस एक्ट के जरिये हम यह कर सकेंगे कि काश्तकारों के हकूक किस तरह से सुरक्षित रखे जावें। काश्तकार यह महसूस कर सकें कि यह उसकी ही जमीन है और उसके लड़कों के सिवाय किसी दूसरे का इस पर अधिकार नहीं है। इस जमीन को उसे अच्छी तरह से इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि आने वाली संतान यह कह सके कि हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छी जमीन बना कर दी।

अब तक हालत यह थी कि एक बाप के दस बेटे होते थे और ज्यादा जमीन नहीं होती थी तो भी उसका बंटवारा होता था और बंटवारा होते-होते एक-एक काश्तकार के पास एक या दो बीघा जमीन ही मिलती है। इसका नतीजा आखिर में यह होता है कि वह जमीन बँटते-बँटते इतनी बँट जाती कि एक समय ऐसा आता कि उस काश्तकार के पास कोई जमीन नहीं रहती। इसका रोका जाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसमें रखा है।

इसके साथ-साथ आज हम राजस्थान में देखते हैं कि जिनके पास जमीन ज्यादा है वास्तव में उन्होंने और ज्यादा जमीनें गरीब काश्तकारों से हथियाने की कोशिश की और मालदार आदमी और मालदार बनते गये। किसी के पास १०० बीघा जमीन थी तो उसने हजार-हजार बीघा गरीब किसानों से खरीदकर या भोगलावे रखा कर कब्जा कर लिया। उन्होंने उन गरीब काश्तकारों को लूटा है। जब किसी वक्त अकाल आया और अकाल में काश्तकारों के पास खाने को नहीं रहा तो गरीब किसान बहुत थोड़े से पैसों में जमीन गिरवे रख कर चले गये और आज तक भी उन बोहरों के पास वे जमीनें मौजूद हैं जिन्हें वे रहन रख कर चले गये थे।

अध्यक्ष महोदय, एक जमाना ऐसा गुजरा जिसमें मैंने देखा कि ५६ के अकाल में लोग भूखे मरते थे।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—आपका जन्म ही नहीं था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसके बाद ७७ में या ६७ में शायद अकाल पड़ा। बहुत थोड़ी रकम में जमीनें गिरवे रखी गईं। उसके बाद सन् १९३८ में अकाल पड़ा। बहुत से लोगों ने उस समय भी जमीनें गिरवे रखी। आज उन लोगों के पास १०००, २००० बीघा जमीन है। इस एक्ट के जरिये हमने वास्तव में पाबन्दी लगाई है कि जो जमीन मोर्टगेज या ट्रान्सफर की जावे, वे बगैर सरकार की इजाजत के नहीं की जा सकती। यह इसलिए रखी जानी जरूरी थी कि जो काश्तकार मुसीबत में हों तो उनका बोहरे लोग शोषण नहीं करें। इसके साथ-साथ यह भी रखा है कि अगर

[बृजसुन्दर शर्मा]

कोई काश्तकार वास्तव में जमीन को गिरवे रखना चाहता है तो २० साल तक उसका कर्जा रहेगा और उसके बाद उस जमीन के मुनाफे से जो मिलता रहेगा मूल व व्याज सब चुक जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माल मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी तरमीम आवे कि जो व्यक्ति २० वर्ष से उस जमीन पर मोर्टगेज की हैसियत से काबिज है तो इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहिये। जो रहन २० साल से ज्यादा अर्से से लागू है उसे बिना किसी मुआवजे के काश्तकार को जमीन वापिस दिला दी जानी चाहिए। अगर इस तरह की कोई तरमीम आवे तो इस तरमीम को वे अवश्य स्वीकार करेंगे।

इसके साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो रखी गई है वह यह है कि काश्तकार के उत्तराधिकार में उसका पर्सनल लॉ लागू किया गया है। आज तक हम देख रहे हैं कि यू. पी. में किस तरह के उत्तराधिकार में कोई लिमिट रखी है और वह भी १० ११ पीढ़ी तक सीमित रखी गई है। किस तरह से हमारे यहाँ राजस्थान के अन्य अन्य रियासतों में भी इसी प्रकार की प्रथा थी; हमारे बून्दी में सीमित थी और कोटा में भी सीमित थी। लेकिन इस टीनेन्सी बिल के जरिये से इसको पर्सनल लॉ के जरिये अधिकार दे दिया है। उसका मतलब यह है कि अगर वह हिन्दू है तो हिन्दू लॉ के अनुसार और अगर मुसलमान है तो मुसलमान लॉ के मुताबिक उसको उत्तराधिकार मिलेगा।

यह बात ऐसी है कि जिससे किसान यह महसूस करेगा कि इस जमीन पर उसका हक है और इस हक के कारण वह अपनी जमीन को सुधारने की कोशिश करेगा।

इसी तरह से एक बात जो इसमें रखी गई है वह यह है कि जमीन बेचने के सम्बन्ध में उनका क्षेत्र सीमित रखा गया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष, कि यह भी लगा दिया जाना चाहिये कि जिस तरह से सेल पर यह प्रतिबन्ध रखा गया है कि अमुक जमीन से कम जमीन होगी तो उसको रहन रखने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी। जिस प्रकार बेचने के मामले पर प्रतिबन्ध है उसी प्रकार रहन रखने पर भी इसी तरह का प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था कि अमुक तादाद में जिसके पास जमीन होगी उससे कम जमीन वाले को रहन रखने की इजाजत नहीं मिल सकेगी। जब सेल के साथ प्रतिबन्ध लगा है तो मोर्टगेज के साथ भी (प्रतिबन्ध) होना चाहिये।

इसके साथ उत्तराधिकार के साथ २ कहा गया है कि काश्तकार वसियत कर सकेगा और वह भी पर्सनल लॉ के माफिक। इस पर भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिये कि अगर उसके पास ज्यादा जमीन हो तो वह वसियत नहीं हो सकेगी; तो वह काश्तकार के हक में बहुत ज्यादा अच्छा होगा और अगर इस तरह की कोई तरमीम आवे तो माननीय माल मन्त्री उस पर अवश्य विचार करेंगे।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे उद्देश्य हैं कि जमीन काश्तकार की है, जमीन उसकी है जो उसको जोतता है, हमने उस सिद्धान्त को इस बिल में किस रूप में और कहाँ तक लगाया है ? उसकी पूर्ति करने के लिए इसके जरिये हम कहाँ तक सफल हो सकेंगे ? माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक इस सिद्धान्त का सवाल है हम इस बिल के जरिये उसको पूर्णरूपेण प्राप्त करने में सफल हुये हैं और इसके पास हो जाने पर काश्तकार जो खेती करता चला आ रहा है उसके अधिकार सुरक्षित हो जावेंगे और जमीन उसकी होगी जो जमीन पर काबिज है। क्या हम नहीं देखते हैं कि काश्तकार के हकूक की किस तरह से रक्षा की गई है, इजेक्टमेंट पर कितनी पाबन्दियां लगाई गई हैं और उसके अलावा क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं ? अगर इजेक्टमेंट किसी एरिया के लेन्ड रेवेन्यु के लिए होता है तो काश्तकारों को यह सहूलियत दी गई है कि एक टाइम निर्धारित कर दिया जायगा कि वह एरीयर्स की रकम जमा करा दे। खड़ी हुई फसल और पेड़ों के बारे में इस बिल में जो उसको अधिकार मिले हैं उससे वे छीने नहीं जा सकते और इजेक्टमेंट नहीं हो सकता। तो आज हमने काश्तकारों को इजेक्टमेंट से प्रोटेक्शन दिया है। इसके साथ-साथ हमने काश्तकारों को यह प्रोटेक्शन दिया है कि कोई व्यक्ति उससे ज्यादा लगान वसूल कर नहीं सकेगा मुनाफा नहीं ले सकेगा जो मेक्जिमम लिमिट मुनाफा की कर दी गई है उससे।

इसके साथ-साथ सब टिनेन्ट्स हैं, उनको खातेदारी के हकूक मिलने के जो अधिकार दिये हैं वे महत्वपूर्ण हैं। हम समझते हैं कि ऐसे अधिकार, बहुत कम ऐसी जगह होंगी, जहाँ मिले हों। उनका हक सुरक्षित रखना इसका सबसे बड़ा काम है और हम उसको इस एक्ट के जरिये दे पायेंगे। तो इसके अनुसार काश्तकारों को हमने सुविधायें दीं, उनके पेड़ों के हकूक के बारे में। अगर वे उनके खेत पर पेड़ लगाते हैं तो वह उनकी वह सम्पत्ति है। वे उनको उनकी जरूरियात के माफिक काट सकेंगे। यह पाबन्दी भी नहीं लगाते हैं जिससे उसकी जमीन की क्वालिटी में असर पड़ता हो उसके साथ-साथ अब तक जो पेड़ उसकी जमीन पर हैं उसके लिए भी अधिकार इस बात के जरिये दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनने को मिलता है कि जंगलात वाले काश्तकारों को, जब वे अपनी जमीन पर से पेड़ काट लेते हैं तो उनको तकलीफ देते हैं, वे उनको काट नहीं सकते। आज ही हाउस में एक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कि कहीं से अपनी जमीन से काश्तकारों को पेड़ काटने के बारे में चालान कर दिया गया था। उस दुख को हटाने के लिए इस बिल के जरिये पेड़ काश्तकार की सम्पत्ति मानी गई है। वह उस तकलीफ से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

इसके बाद एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि गैर खातेदार टिनेन्ट्स में कई तरह की किस्में हैं। कई लोग मुनाफे से खेती करवाते हैं, कई लोग आधोलिया नाम से खेती करवाते हैं यानि आधा बांटा वह लेगा जिसकी, यानि लेन्ड होल्डर की, जमीन होगी। तो इस एक्ट में हमने उन एक्टस को रिकोग्नाइज़ नहीं किया है। इस बिल के अन्दर हमने उन हकूकों की रक्षा नहीं की है। जहाँ आधोलिया है, उसको बीज देना पड़ेगा, साधन देने पड़ेंगे, बैलों वगैरह का जितना खर्चा होगा वह

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

देना पड़ेगा और बराबर २ खर्चा करना पड़ेगा, केवल मेहनत काश्तकार की होगी और वह तब ही अधिकार रख सकेगा वर्ना नहीं रख सकेगा। यह बड़ी समस्या थी। जमीन काश्तकार को दे देते थे और लेन्डहोल्डर्स उससे आधा बांटा ले लिया करते थे अब यह समस्या दूर हो जाने वाली है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये हमने जो पाबन्दियां सब लेटिंग पर लगाई हैं वे महत्वपूर्ण हैं। सबलेटिंग पर समय की जो पाबन्दी लगाई है वह काश्तकार के हक में काम करेगी। आज यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि जमीन ले लें और जमीन लेकर वह दूसरे व्यक्ति को दे दे और उससे मुनाफा कमाते हैं। इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक था और इसीलिए सब लेटिंग पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाई गई। यह काश्तकार के हक में लगाई गई हैं और उससे काश्तकार अब जिन्दा रह जायगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों के हकूक को सुरक्षित रखने के लिए, वास्तव में उसको महसूस कराने के लिए कि जमीन उसकी है और उसके पास रहेगी और उसके मरने के पश्चात् वह उसके वारिस को मिलेगी, , उसके हकूक को इस बिल में सुरक्षित करने के लिए कि दूसरा उसका शोषण नहीं कर सके, नाजायज तरीके से रहन वे नहीं करवा सकें और ज़रूरत के वक्त वह जमीन काम आ सके, इस तरह की भावनाऐं, ये चारों बातें हमें, इस एक्ट में मिलती हैं। यह एक्ट सब प्रकार से हमारे काश्तकारों की भलाई के लिए, उनमें नया जीवन जागृत करने के लिए, उनमें उत्साह और उमंग भरने के लिए काफी है और हम समझते हैं कि इस जमाने के पहले एक जमाना था जिसमें काश्तकार का शोषण होता था, जमीन छीन ली जाती थी, वे बेदखल कर दिये जाते थे, उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, वे सब बातें दूर होकर अब एक नया ग्राम-समाज हम इस एक्ट के जरिये से पैदा करेंगे। यह हमारे ग्राम्य जीवन का मुख्य अंग होगा और हमारे ग्रामीण भाइयों में एक नई भावना का इससे संचार होगा और ग्रामीण जीवन में इससे एक जबरदस्त क्रान्ति होगी। इसमें चाहे कोई ऐसी बात हो जिससे हमारे कोई दोस्त असहमत हों, उनकी खिलाफत हो, किन्तु हमें इस चीज को देखना है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हम कहां तक कर सकेंगे। ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए यह एक बड़ी चीज़ हमारे सामने है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूँ कि वास्तव में कई जगह इस बिल में तरमीम की आवश्यकता है। कई तरमीमें सरकार की ओर से भी लाने की सोचेंगे और हमारे और माननीय सदस्य भी अपनी-अपनी तरमीमें पेश करेंगे और उससे यह कानून हमारे सामने और अच्छे रूप में आयगा। वैसे सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की और जो तरमीमें रक्खीं वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उसके इस एक्ट की भावना में बहुत फर्क पड़ा है। हम आशा करें कि नई चेतना और जागृति के समय में हमारे माननीय सदस्य इस प्रगति की भावना की कद्र करेंगे और अपनी तरमीमें सदन में पेश करके पास करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की लेन्गवेज हमारे बिल में है उसमें कई जगह डिफेक्ट्स हैं, कानूनी डिफेक्ट्स हैं, भाषा के डिफेक्ट्स हैं और जब यह बिल सदन के सामने क्लॉज़ बाई क्लॉज़ आयगा तो उस वक्त उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

और उसमें जो इस तरह की चीज है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात् यह बिल एक्ट के रूप में पास होगा। यह बिल एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हमारे ग्रामीण जीवन में, हमारे देश में हमारे समाज में लायगा और एक जबर्दस्त सामाजिक क्रान्ति का अग्रदूत होगा। हम यह भी आशा करते हैं कि रेवेन्यू लॉज में खामियां हैं या उनमें और और बातें बाकी रह गई हैं; मसलन लेन्ड रेवेन्यू एक्ट पेश हो चुका है, उसको सदन जल्दी से जल्दी पास करके यदि हम रेवेन्यू लॉज को कम्पलीट शक्ल में जनता के सामने रखेंगे तो हम कह सकेंगे कि हम इस सदन के जरिये इस राजस्थान में एक क्रान्ति लाये हैं इसके जरीये से ग्राम्य जनता के जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे और उसको अच्छा बना सकेंगे।

श्री मोतीराम चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस टिनेन्सी बिल के बारे में कुछ अर्ज करूँगा। यह जो टिनेन्सी बिल यहाँ लिया गया है वह करीब-करीब यू. पी. के मुताबिक है। इससे अलबत्ता कुछ भूस्वामी जो लोग हैं उनको कुछ नाराजगी है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी बात नहीं है।

श्री मोतीराम चौधरी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इस बिल की नीति से कुछ भूस्वामी लोग नाराजगी जाहिर करते हैं। उन लोगों ने कभी भी इस भूमि की प्रगति में, इस भूमि माता की तरक्की पर ध्यान नहीं दिया था और अपने घर बैठे ही उन किसानों के कन्धों पर अपना गुजारा करते थे। उन लोगों को इस बिल से थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन युग बदलते हैं और युग के साथ-साथ इन्सान भी बदलते हैं और व्यक्ति के साथ-साथ कानून भी बदलते रहते हैं। इस बात को ख्याल में रखते हुए जिन लोगों को इस कानून के साथ नाराजगी है वे लोग क्षमा करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मार्फत सरकार से जो विनय करूंगा वह यह है कि यह जो टिनेन्सी बिल है इसमें एक तरह का अन्धेर-सा कर दिया गया है। भूमि जो है देश के अन्दर वह अलग-अलग किस्म की है और जो हमेशा भूमि-कानून बनाये जाते हैं वह भूमि की किस्म पर बनते हैं; भूमि की पैदावार लगान आदि वसूल किए जाते हैं। इस बिल में एक बात जो आयी है वह यह कि चाहो जमीन जो होगी वह ३० एकड़ होगी और बारानी होगी वह ६० एकड़ होगी। यह किसानों के हित की चीज नहीं है। मैं राजस्थान के हिस्से को थोड़ा बहुत जानता हूँ और ज्यादातर बीकानेर के रेतीले पहाड़ों को जानता हूँ। जिस इलाके के लिए एक काश्तकार के लिए ६० एकड़ भूमि रखी गई है काश्त के लिए, तो इस बारे में मेरा यह कहना है कि उस इलाके में एक परिवार का भरण-पोषण ६० एकड़ से नहीं होगा। वहाँ सिर्फ एक बीघे में २० सेर अनाज होता है और ऐसी वह भूमि है जिसकी एक साल काश्त करने के बाद दूसरी साल उस भूमि पर काश्त नहीं होती, कारण कि वह भूमि पैदा नहीं देती। इस तरह की जहाँ भूमि है ऐसी भूमि के अन्दर सरकार को चाहिये कि इस बिल में तरमीम कर देनी चाहिए। वहाँ स्टेंडर्ड एकड़ हो और इसी एकड़ भूमि का कानून बना

Page No.70

[श्री मोतीराम चौधरी]

देना चाहिए। इसके अन्दर भूमि चाहे जैसी भी किस्म की हो, वह आ जायगी। तो इस प्रकार के कानून बन जाने के बाद किसानों को न्याय मिलेगा और उस जमीन पर काश्त करने में भी फायदा होगा। स्टैंडर्ड एकड़ से मेरा मतलब यह है कि जो मालगुजारी ली जाती है उसमें १६ आने की कीमत समझी जाती है और स्टैंडर्ड एकड़ सोलह आने का होता है। जिस जमीन की कीमत १ रु० ४ आ० है उस इलाके में प्रत्येक को २५ एकड़ जमीन काश्त को मिलेगी और जिस इलाके में भूमि जो है वह २ आने बीघे की है उसके लिए १६ आने के हिसाब से आठ आना जमीन मिलेगी। स्टैंडर्ड एकड़ से इसमें यह होगा कि जिन किसानों के पास हल्की जमीन है और जो पैदावार कम देती है उस जमीन को रद्दोबदल कर सकते हैं। आज ऐसी भी जमीन है जहाँ एक-एक हल से १०० बीघा जमीन काश्त होती है और ऐसी जमीन भी है रेतीले टीबे में जहाँ १०० बीघा के लिए ५ हल एक साथ चला करते हैं। उनके पास १८० बीघा जमीन रहेगी। उस १८० बीघा जमीन में ६० मन अनाज होगा और इस तरह से ६० मन अनाज में एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकेगा और फिर एक साल के बाद वह जमीन दूसरी साल बदलनी पड़ेगी और उनके पास बदलने के लिए भूमि नहीं होगी और स्टैंडर्ड एकड़ हम कर लेते हैं तो भूमि बदलने की जगह मिल जायगी। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि स्टैंडर्ड एकड़ के हिसाब से उन किसानों को भूमि मिलनी चाहिए। इससे यह होगा कि जहाँ चाही जमीन है वहाँ २० से २५ एकड़ हो जायगी और जिन इलाकों के अन्दर पहाड़ है या रेत के टीबे हैं, जहाँ पैदावार कम होती है उनके पास भी खुदकाश्त के लिए काफी जमीन आ जायगी। इस तरह से बन्धन करने से जिन इलाकों में भूमि अच्छी नहीं है, वे इस प्रकार के बन्धन से घाटे में रहेंगे।

दूसरा सवाल है छठे हिस्से का जो कानून है वह कम से कम जमीन के हिसाब से लागू होना चाहिये। जिन लोगों के पास जिस तरह की जमीन है उसी हिसाब से लगान भी वसूल होना चाहिए। जिन लोगों ने बड़ी-बड़ी कीमतें देकर जमीन खरीदी है उन लोगों के लिए छठा हिस्सा लेना और उन लोगों को जो हमेशा से दूसरों पर खाते-पीते रहे, जो छठे और पाँचवे हिस्से में थे उनको भी छठा हिस्सा कर देना न्याय-युक्त बात नहीं है।

भूमि-कानून के अन्दर हमेशा दो बातों का ध्यान रखा जाता है। भूमि पर लगान भूमि की उपज के माफिक लगना चाहिए और भूमि की किस्म के मुताबिक ही टिनेन्सी बिल बनाया जाना चाहिये।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में टिनेन्सी बिल के ऊपर आम चर्चा हो रही है। यह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण बिल है। इस बिल की बाबत सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि इससे किसानों की हालत सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को जो वास्तविक अधिकार देने का प्रचार किया जा रहा है उतने अधिकार वास्तव में नहीं दिये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिल जो ड्राफ्ट किया गया है उसका आधार है यू. पी. का टिनेन्सी बिल, जहाँ पर जमींदारी सिस्टम है, उसका आधार यहाँ लिया गया है। राजस्थान में जहाँ रैयतदारी प्रथा हमेशा से रही है जहां के किसानों को हमेशा से ज्यादा अधिकार रहे हैं उसका उतना ध्यान नहीं रखा गया है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जगह जगह किसानों को टिनेन्ट माना गया है।

जमींदारी प्रथा में किसानों को टीनेन्ट से कुछ बढ़ कर अधिकार दिए हुए होते हैं। हमारे भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में खातेदारी और गैर खातेदारी का ही अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे मेवाड़ राज्य का जो भूतपूर्व कानून था उसमें काश्तकार को जो अधिकार हैं उनको कहीं भी इस कानून में दर्ज नहीं किया गया है। उस खड़मदारी के अधिकार किसान को जो मिले हुए हैं उन अधिकारों को तो इस कानून के द्वारा कुछ कम कर दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है।

उदाहरण के वास्ते मैं बता दूं कि खड़मदार काश्तकार को जमीन के इन्तकाल के पूरे अधिकार मिले हुए थे। परन्तु इस टीनेन्सी बिल में खातेदार काश्तकार के जमीन के इन्तकाल के अधिकार महफूज कर दिए गए हैं। उसको अपनी जमीन को बेचने के अनलिमिटेड पॉवर्स नहीं हैं।

कहा यह जाता है कि यदि जमीन वाले लोग और ज्यादा जमीन अपने पास न ले लें इस वास्ते किसान को जमीन बेचने के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। तो यह तो एक भविष्य की कल्पना है, पर वास्तव में तो जो किसान को इस वक्त अधिकार मिले हुए हैं उससे भी क्यों पीछे जाना चाहिए ?

किसान जो खड़मदार है और जिसका अपनी जमीन पर पूरा मालिकाना हक है उसको हर वक्त यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी जमीन को चाहे जिस प्रकार बेच और रख सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार किसान खातेदार और काश्तकार को जो लगान देना पड़ेगा तो उसके रेंट के फिक्सेशन के वास्ते जो प्रोवीजन इस बिल में रखा गया है उसमें रेन्ट के डिटर्मिनेशन करते वक्त किसान की उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होगी। इस दृष्टि से यह एक बड़ा खतरनाक बिल है। एक बार उसके ऊपर रेन्ट डिटर्मिन किया जावेगा और वह उसको अदा करना पड़ेगा। अब यह बात तो है नहीं कि

[रावत श्री शम्भुसिंह]

किसान सीधा पहुँच जावे जागीरदार के पास और कहने लगे कि इस समय मेरी पैदावार हुई नहीं है या बहुत कम हुई है इसलिए रेन्ट कम कर दिया जावे या बिल्कुल न लिया जावे और वह छूट आमतौर पर दे दी जाया करती थी तो वह छूट अब मिलने से रही। आज तो जो सरकारी कर्मचारी एक बार डिटर्मिन कर देगा वह उसको बराबर पे करनी पड़ेगी। तो, रेन्ट के डिटर्मिनेशन में किसान की कुछ आवाज अवश्य होनी चाहिए और अब यह भी देखा जा रहा है कि किसान को जो पहले देना पड़ता था वह बराबर बढ़ रहा है। जो पहले लगान देता था उसका लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार का यह रवैया देखते हुए किसान का लगान तय करते समय उसकी भी इसमें कुछ आवाज हो इस प्रकार की बात इस बिल में कहीं दिखाई नहीं देती है।

इसी प्रकार खडमदार को जो पूरा अधिकार उसकी जमीन का था उसको कर्टेल करते हुए इस बिल में सब व्यक्तियों पर जो रोक लगाई गई है वह भी किसान के उसके पूरे प्रोप्राइटरी राइट्स पर कुठाराघात करने वाला है। किसान को पूरे अधिकार मिलने चाहिए कि वह अपनी जमीन को जोतने के वास्ते किसी प्रकार का जिस प्रकार से उसको फायदा हो काम करे।

इसी प्रकार इस बिल में यह देखा गया है कि रिमूवल ऑफ ट्रीज़ का जो प्रोवीजन है वह ज्यों का त्यों इसमें रख दिया गया है। किसान देखता है कि वह आज अपने खेत में से अपनी जरूरत के लिए भी पेड़ नहीं काट सकता। पहले भी इन धाराओं से उसको काफी परेशानी थी और वही परेशानी इसमें भी कायम रख दी गई है। होना तो यह चाहिए था कि जो कुछ तकलीफें रोजमर्रा की किसान को थीं वे इस बिल में से दूर की जातीं, पर इस बिल में उन दिक्कतों को कायम रक्खा गया है। कोई किसान अपनी जरूरत के वक्त अगर किसी दरख्त को बेचना चाहेगा तो वह दरख्त को बेचकर उसका फायदा नहीं उठा सकेगा। तो इस तरह से भी किसानों की एक दिक्कत को इस कानून में और बढ़ा दिया गया है।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करता हूँ कि यह किसान के हकूकों को कम करने वाले जितने भी प्रोवीज़न्स इस कानून में हैं उन्हें अमेंडमेंटस के जरिये हटाया जाना चाहिए।

इसके अलावा भूतपूर्व मेवाड़ राज्य में एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जो कि आजकल की आपकी सहकारिता की खेती से मिलती है। आजकल जिस सहकारिता की खेती की चर्चा है वह इसी के ढङ्ग पर प्रथा थी। जिन गाँवों में लम्बे-चौड़े चक होते थे उन गाँवों के किसान एक साथ खेती करते और वे किसान शामिल होकर जाते और वह उस खेती को खुद लाटते और फिर उस लाटे को वे लोग लगान आदि देने के बाद वापिस आपस में तक़सीम कर लेते थे। तो इस तरह से जो अधिकार काश्तकार, जो मेवाड़ राज्य में पहले थे वे किसानों को अब इस कानून के जरिये से कहीं मिलते नजर नहीं आ रहे हैं।

इसी तरह से चरणोट के वास्ते जो चक महफूज होने की चीज हमारे सेटलमेंट के कानून में थी इस कानून में उसकी व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। तो खास तौर से मेरा यह निवेदन है कि

[रावत श्री शम्भूसिंह]

काश्तकार को अपनी जमीन पर पूरे प्रोप्राइटरी हक होने चाहिए और उसको उस जमीन का पूरा प्रोप्राइटर माना जाना चाहिए और जब कि जागीरदारी अबोलीशन हुआ था तो उस वक्त यह दावा किया गया था कि जागीरदार सरकार और किसानों के बीच में जो एक मीडिएटरी बनकर रह रहा है वह नहीं रहना चाहिए और किसान का सीधा सम्बन्ध सरकार से होना चाहिए। तो वह जो कुछ किया गया था किसानों के फायदे के वास्ते किया गया था और इसके अनुसार किसान को जमीन के उसके प्रोप्राइटरी हक कभी के मिल जाने चाहिए थे, वे कभी के उनको ट्रान्सफर हो जाने चाहिए थे। ऐसा होता तब वास्तव में किसान को राहत मिलती। यह जागीरी रिजम्पशन कानून सारा गवर्नमेन्ट अपने इन्टरेस्ट में तो कर ही रही है पर यदि जागीरदारों के प्रोप्राइटरी राइट किसान को ट्रान्सफर नहीं हुए तो इससे कोई राहत किसानों को नहीं होगी। ये प्रोप्राइटरी राइट्स जो जागीरदार एन्जोय करते थे वे तो बिना किसी हुज्जत के किसान को ट्रान्सफर हो ही जाने चाहिए। ऐसा होगा, तब यह माना जावेगा कि सरकार और किसान के बीच में से कोई इन्टरमीजिएट्री निकल गया है और वास्तव में किसानों को उनका हक मिला है और उसका हित हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई बात अच्छी नहीं दिखाई देती। जो लगान किसान जागीरदार को देता था वही लगान इस वक्त सरकार के आदमियों को देगा। जो राइट्स उस समय जागीरदार के समय किसान को थे वही राइट्स इस समय भी हैं तो इससे किसानों का क्या हित हुआ यह आप बताइये। इसमें तो सिर्फ अगर मुनाफा होगा तो सरकार को होगा और नुकसान तो अब भी किसान को ही है।

इस हालत में मैं यही निवेदन करूँगा कि जागीरदारों से जितने राइट्स सरकार ने अपने हाथों में लिये हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के किसान को ट्रान्सफर हो जाने चाहिए और किसानों का रेन्ट डिटर्मिन करते वक्त उनकी आवाज भी सुनी जाय। इसकी व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिए और ट्रान्सफर में अड़चनों की जो बात है वे इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी यह कहा जावेगा कि यह कानून प्रतिक्रियावादी नहीं है या वह पीछे ले जाने वाला नहीं है और यदि ये ही बातें ये ही खामियाँ इसमें अब भी रहीं तो यह कानून किसान को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाने वाला ही कहलावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन से मेरी यही प्रार्थना है कि इस कानून को किसान के वास्तविक हित साधन करने वाला बनाया जावे।

श्री घीसीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल तो बड़ा सीधा-सादा है और यह सब किसानन के हित में बनायो गयो है और सारी बातें जितनी भी उसमें रखी गई हैं वह किसान के हित में रखी गई हैं। लेकिन सदन में कुछ ऐसी एक परम्परा चली आ रही है कि चाहे कोई भी कानून हो उसे कोई वैसा, कोई वैसा कानून बना देते हैं तो उसकी विषमता क्या है यह आप जानते हैं।

आज जो हमारे राजस्थान में भूमि के विषय में कितने हिसाब-किताब ऐसे हुए थे कि किन्हीं के पास भूमि है और किन्हीं के पास नहीं है। आज बदलते हुए जमाने में सबको समान अधिकार दिया है और समानता ही सब प्रकार से उनकी भूमि और सब में रखी गई है। फिर उसमें

Page No.74

[श्री घींसीसिंह]

ऐसी कौन सी बात है कि जो किसान के हित में नहीं है, और उसमें बहुत काफी वक्ता महोदय और माननीय सदस्य यह भी बात कह चुके हैं कि जो त्रुटियाँ रही हैं उनका संशोधन भी कर सकते हैं और उन त्रुटियों को निकाल कर उसमें सही बात भी ला सकते हैं। फिर भी कोई कहता है कि साहब इसमें चौथा हिस्सा लगाया था, कोई कहता है कि छठा हिस्सा लगाया था; उसके लिए झगड़ा पड़ेगा। भूमि का हिसाब-किताब अच्छी और बुरी के होते हुए भी वह है। इसमें इस बिल की क्या गलती है? यह कसूर भूमि का है यानि कि वह अच्छी और बुरी भूमि, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं सेहराब है, ऐसी क्यों बन गई राजस्थान में। (हँसी) यह भगवान् का कोप मानें (हँसी) कि हमारे यहाँ इतनी भाषाएँ क्यों बन गई हैं।

इस बिल के ऊपर यह आरोप लगाना मेरी समझ में किसी तरह से उचित है नहीं। तो यह समान अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। जब जागीरदारों ने अपनी जागीरों को समझौते के जरिये से छोड़ दिया और सारी बातें हो गईं और समान अधिकार उन्हें देने के लिए उन्होंने यह बात स्वीकार करली और इसका त्याग किया तो आज उन किसानों के लिए जो बिल है उसको पास कराने में आज क्यों दिक्कत पेश आ रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप की तरफ (विरोधी पक्ष को लक्ष्य करके) से बड़े-बड़े वक्ता हर बिल के ऊपर हर वक्त इतने जोर से बोलते थे लेकिन न मालूम आज क्या बात है कि सब मौन हुए बैठे हैं। (हँसी)।

एक माननीय सदस्य—हम इस बात से सहमत हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं।

श्री घींसीसिंह—कभी महात्मा गाँधी, कभी किसी का नाम लेकर बड़ी दुहाई देते थे। आप जनता के हितैषी बनते थे। आज जनहित का बिल जब आया है तो मौनी बनकर बैठे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात से है कि जनता के हित में कुछ नहीं करना चाहते हैं। गरीब किसान को आशा है कि उनकी बड़ी-बड़ी जो दिक्कतें हैं वे इस बिल से दूर होंगी। उनके आप हितैषी बनते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अब आपको मौका दिया है।

श्री घींसीसिंह—जब हम त्याग कर चुके हैं तो फिर अफसोस नहीं होना चाहिए और जनहित की दुहाई देने वाले कहते हैं तो हमने बड़ी-बड़ी दीं कि यह नहीं किया तो आज वह अपनी स्पीचन में जो कुछ भी स्पीचें दीं उनके मुताल्लिक जितना भी हो सकता है उन स्पीचों के वह समझ सकते हैं। उनकी पूर्ति के लिए हर वक्त तैयार हैं और आपसे सहयोग माँगते हैं, फिर आप सहयोग तो देते नहीं हैं और ख्वामख्वाह क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं वह बेकार है। इसलिए मेहरबानी करके यह किसानन के हित में जो बिल आया है इसमें अच्छे से अच्छे सुझाव आये हैं। मगर जो कुछ भी इसमें तब्दीली कराने के लिए लाना है लाइये, सब व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा जरा बोलिए। (हँसी) बिल तो जहाँ मैं कहता हूँ कि यू०पी० और पंजाब और दूसरे जिले हैं उनका सबका मिलान करके जहाँ तक समझ में आया सबसे अच्छा बनाया है इसमें कोई सन्देह नहीं है। जय हिन्द।

श्री खेतसिंह—(बोलने के लिए खड़े होने पर विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर', 'हियर') माननीय उपाध्यक्ष, मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने विपक्ष की ओर से काफी इस बिल की आलोचना की, और उन्होंने अपने भाषण जारी रखते हुए यह बतलाने की कोशिश की है कि जो बिल बना है और जो आज हमारे सामने आया है यह वास्तव में प्रगतिशील नहीं है। इसके बाद उन्होंने काफी इधर-उधर के झगड़े डाले। इससे पता चलता था कि उन्होंने वास्तव में इस बिल को स्टडी नहीं किया था और न उन्होंने इसको सेक्शन बाई सेक्शन अच्छी तरह पढ़ा ही था। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं सहमत कतई नहीं हूँ। वास्तव में भाषण देना एक बात है और सरकार को चलना दूसरी बात है। जिस वक्त कि सरकार को चलाने का प्रश्न आता है तो सब का ख्याल रखना पड़ता है। चाहे वह कितना ही आलोचक क्यों न हो। लेकिन फिर भी हमको उनका ख्याल रखना पड़ता है। उनको भी संतुष्ट रखा जाय ताकि जनता में किसी प्रकार का कोई असन्तोष न आये और जिस शान्ति-पूर्ण वातावरण में जागीर रिज़म्पशन का कानून पास किया गया है और जिसका नतीजा आज हासिल हो रहा है इस बात का यह साफ सुबूत है कि हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की कोशिश में हैं और दिन प्रति दिन प्रगति करते ही जा रहे हैं। जैसा कि हमारे राजस्व मंत्रीजी ने अपना भाषण देते हुए यह बताया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जमीन उनके पास रहे जो वास्तव में काश्त करते हैं। जो अपने हाथ से, अपने हल से जमीन जोतते हैं उन्हीं के पास जमीन रहे और इस बात का शुरू से आखिर तक यह कानून बनाते समय काफी ध्यान रखा गया है कि जमीन सिर्फ काश्तकारों के पास रहनी चाहिये और उन काश्तकारों के पास, जो वास्तव में जमीन जोतते हैं। जोधपुर से आये हुए एक सदस्य जो अपना भाषण देकर यहाँ से चले गये हैं और जो महज अपना भाषण देना काफी समझते हैं, उस पर आलोचना सुनना शायद इसलिये पसन्द नहीं करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह इधर-उधर के टिप्पे ही लगाना था और स्वयं या तो प्रेसवालों को इम्प्रेस करना चाहते थे जिससे प्रेस वाले गये तो वे भी चले गये। लेकिन वे यदि यहां होते तो उनके एक एक आरोप का मैं संपूर्ण काट कर देता ('हियर, हियर')।

उन्होंने जो तीन बातें बताई थीं फिक्सिटी ऑफ टेन्योर, फ्री सेल और फेयर रेन्ट, इन तीनों बातों का ख्याल इस बिल में शुरू से आखिर तक रखा गया है। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि शुरू में ऑपोजिशन के लीडर का भाषण होना चाहिये था लेकिन उन्होंने इसलिये अपना भाषण नहीं दिया कि उनको कोई त्रुटि इस बिल में नहीं मालूम हुई। ('हियर, हीयर')

जिनकी चिलम भरने की आदत है......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir .....

श्री खेतसिंह—I am in possession of the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Point of order can be raised at any moment.

श्री जवानसिंह— On a point of order, Sir, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या ये शब्द "चिलम भरना" पार्लियामेन्टरी हैं ?

श्री खेतसिंह—जो रात दिन चिलम भरते हैं उनके लिये अन-पार्लियामेन्टरी नहीं है। यह कन्वेन्शन बन गया है। काफी बार यूज हो चुका है।

श्री जवानसिंह—क्या चिलम भरना कन्वेन्शन हो गया है।

श्री खेतसिंह—आजकल आप यह काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य—यह आप ही को मुबारक हो।

श्री खेतसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—जहाँ तक फिक्सिटि ऑफ टेन्योर का सवाल है हमने यह ख्याल रखा है कि किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाय। आप इजेक्टमेंट कानून पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने किसी को यह मौका नहीं दिया है कि किसी काश्तकार को इजेक्ट किया जा सके किन्तु यदि,वह काश्तकार लगातार रेन्ट नहीं देता और काश्त भी बराबर नहीं करता तो उसका खेत छुड़ाया जा सकता है। उसमें भी यह बात रखी गई है कि यदि उसने थोड़ा भी इंप्रूवमेंन्ट लैंड में किया है तो उसको इसका एवजाना मिले। इससे बढ़कर क्या किया जा सकता है? एक मित्र जो अभी गैर हाजिर हैं वे काश्तकारों की दुहाई देते हैं, लेकिन मालूम होता है कि उन्होंने इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ देखा नहीं है, इसलिये वे कह गये कि फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का ख्याल नहीं रखा गया। ऑपोजिशन के मेम्बर्स यह जानते हैं कि किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता है इस बिल के बन जाने के बाद। इसके बाद फेअर रेन्ट का सवाल आता है। हमने हर वक्त यह ध्यान रखा है कि किसी भी काश्तकार को ज्यादा लगान नहीं देना पड़े, लेकिन यह भी ध्यान रखा है कि वह मुफ्त में काश्त नहीं करने पावे। सरकार चलाने के लिये रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। सामन्त शाही के जमाने में डिमान्ड और सप्लाई का मामला चलता था। एक काश्तकार को जमीन की जरूरत होती थी तो वह जमीन के मालिक जागीरदार के पास जाता था और जिस तरह की डिमान्ड जमीन की होती उसी के अनुसार जागीरदार रेन्ट लिया करता था। वह चाहता तो एक जमीन के ५) रु० लेता और चाहता तो उसी जमीन के २५) रु० लगान के लेता। कानून बनाते समय यह ख्याल रखा जाता है कि किसी भी काश्तकार से बीघोड़ी या रेन्ट ज्यादा नहीं लिया जाय। जमीन का सेटलमेन्ट करके रेन्ट मुकर्रर किया जाता है जमीन की किस्म, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल ,आसपास का वातावरण आदि देखकर बीघोडी मुकर्रर की जाती है। इसलिये यह कहना कतई गलत है कि रेन्ट फेयरली मुकर्रर नहीं किया गया है।

इसके अलावा जहाँ तक फ्री सेल का सवाल है पहले जागीरदार जमीन को अपनी ही जमीन समझते थे और जिसे चाहते थे बेच देते थे और जब चाहते थे काश्तकार को छुड़ा कर उस पर अपना कब्जा कर लिया करते थे। हमने यहाँ पर पूरा ख्याल रखा है कि वे ऐसा न कर सकें। आज काश्तकार को यह महसूस होना शुरु हुआ है कि जमीन उसकी है और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। यह देखते हुए मुझे यकीन है कि आप काफी कन्विन्स्ड (Convinced) होंगे कि कितना प्रगतिशील कानून हमारे सामने आया है। इसके अलावा डिफरेन्ट स्टेटस में पहले काश्तकारों के लिये कोई कानून नहीं था। इन्टेरिम सरकारों ने कुछ जगहों पर कुछ कानून बनाये थे जिनकी वजह से रेवेन्यू बोर्ड को कई मुशकिलात रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में आने लगीं इसलिये

[श्री खेतसिंह]

आज ऐसा कानून बना रहे हैं जिसके द्वारा सबको राहत मिलेगी और यह सारे राजस्थान में लागू होगा इस कानून में अपील करने और कोर्ट में जाने की भी गुंजायश रखी गई है। साथ में यह भी ख्याल रखा गया है कि कोर्ट का सेन्ट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिये। असिस्टेन्ट कलेक्टर्स को ऐसे पावर्स दिये गये हैं जैसे उनको पार्ट ए. स्टेट्स में भी नहीं है। इसका मकसद यह है कि काश्तकारों को दूर नहीं जाना पड़े और वकीलों के चंगुल में नहीं आना पड़े। तहसील हैडक्वाटर्स में जाने से ही उनको राहत मील सके इसलिए सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट्स को ऐसे पॉवर्स दिए गए हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप भी वकील हैं।

श्री खेतसिंह—मैं वकील हूं, लेकिन वकील होते हुए भी कॉंग्रेस की साइड का वकील हूँ। (हियर-हियर)।

क्लासिफिकेशन ऑफ टिनेन्ट्स में केवल दो क्लासिफिकेशन रखे हैं एक तो खातेदार और दूसरा गैर खातेदार। आपको मालूम होगा कि जहाँ तक टिनेन्ट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें ऐसे-ऐसे नाम दिये गए हैं जिनको मामूली पढ़े-लिखे तो क्या वकीलों को भी चक्कर आने लगता है। हमने दो कॉजेज़ इसलिए रखी है कि किसी को गलतफहमी नहीं हो जाय इसलिए नाम भी राजस्थानी खातेदार और गैर खातेदार रखे गये हैं ताकि हर आदमी राजस्थानी आसानी से समझ जाय।

इन्हेरिटेन्स (inheritence) का जहाँ तक सवाल है उसमें मैं कुछ मत जरूर खिलाफ रखता हूँ। सिरोंज से जो मित्र आये हैं उन्होंने यह फरमाया कि हिन्दुओं का इन्हेरिटेन्स हिन्दू लॉ के अनुसार और मुसलमानों को मुस्लिम लॉ के अनुसार होगा। यदि आप दूसरे प्रदेशों के कानून देखें, तो आपको मालूम होगा कि यह महज राजस्थान में इन्हेरिटेन्स पर्सनल लॉ द्वारा रखा गया, बाकी सारी बातें टिनेन्सी लॉ में दी गई हैं और मैं उसको अच्छा समझता हूँ इसलिए कि पर्सनल लॉ रखने से हिन्दू लॉ से गाइड होने वाले आदमी को भारी दिक्कत होगी। हिन्दू लॉ में सब कोम्युनिटीज़ इतनी हैं कि उनसे उलझन पैदा होंगी और यह वकीलों के लिए अच्छा खासा काम बन जायगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इनहेरिटेन्स के मामले में यदि वही टेबल रखी जाय तो काश्तकारों को सहूलियत होगी।

श्री सन्तोषसिंह—(श्री खेतसिंह को संकेत करके) अब टाइम हो गया है, आप कल बोलें।

श्री खेतसिंह—मैं माननीय रेवेन्यु मिनिस्टरजी से यह निवेदन करूँगा कि वे इस पर वापिस गौर फरमावें कि वाकई में पर्सनल लॉज़ को रखा जावे या दूसरे टिनेन्सी बिल्स में टेबल दी गई है उसको रखा जावे।

Page No.78

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा जो रहन के मुतल्लिक सीरोंज से आए हुए सदस्य ने कहा कि रहन किसी जमीन को नहीं रखना चाहिए, मैं इससे इत्तफाक नहीं करूंगा। किसान बहुत गरीब होते हैं, अमूमन गाँवों के किसान बहुत गरीब होते हैं। उनको काश्त करने देना है तो रहन का प्रोविजन रखना चाहिये जिससे कि उनको जरूरत के वक्त पैसे मिल सकें वरना उनको वक्त-जरूरत किसी चीज पर कौन पैसे देगा और बैल वगैरह खरीदने के लिए वह पैसे कहाँ से लायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, समय हो गया है और अभी मुझे और बोलना है। अतः मैं कल फिर बोलूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, there is one thing. There is a typing mistake in the motion that I submitted. Instead of 'Tehsildar, Padampur' it has been made 'Tehsildar, Ganganager.' I hope you will permit me to make that correction. It is 'Tehsildar, Padmapur.'

श्री उपाध्यक्ष—Then you can correct it.

चूंकि समय हो चुका है इसलिए अब कार्यवाही स्थगित की जाती है; कल सुबह ८ बजे अधिवेशन होगा।

(सदन की कार्यवाही रात्रि को ८ बज कर ३ मिनिट पर दिनांक २९ जुलाई १९५४, के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२८ जुलाई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

११८४. (११२ / एम. एच. एम.) श्री घासीराम, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४३—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) अलवर जिले को सन् ५२–५३ व ५३–५४ में दवाइयों का कितना इनडेन्ट मिला और किस आधार से एवं वह जिले की डिसपेन्सरी व सब- डिस्पेन्सरी में किस प्रकार बाँटा गया ?

(ख) क्या यह सही है कि तिजारा डिस्पेन्सरी को सन् ५२–५३ व सन ५३–५४ में दवाइयों का पूरा इन्डेन्ट नहीं दिया गया ?

(ग) तिजारा डिस्पेन्सरी के लिये वैसलीन व पट्टियों का कितना कोटा था और वह कितना दिया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि जो दवाइयाँ तिजारा अस्पताल को दी गई थीं उनमें बहुत सी ऐसी थी जो नहीं मांगी गई थीं और जिनका आजकल प्रयोग नहीं होता ?

(ङ) क्या यह सही है कि पैनसिलीन का इन्डेन्ट मांगा गया, परन्तु वह नहीं दिया गया जो नित्य प्रति आवश्यकता की दवा है ?

(च) क्या यह सही है कि तिजारा अस्पताल में ता० १–२–५४ से ६–४–५४ तक पट्टियां का अभाव रहा ?

उत्तर

(क) अलवर जिले को सन् ५२/५३ में १८,८१५ रुपये की दवाइयां प्राप्त हुईं। कितना इन्डेन्ट मिला एवं किस प्रकार बांटा गया इस सम्बन्ध की तालिका सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की टेबिल पर रख दी गई है।

(ख) अलवर जिले का सन् १९५३।५४ में लगभग २१,२४२ रुपये की दवाइयां प्राप्त हुईं। इस सम्बन्ध की विस्तृत तालिका सदन की टेबल पर रख दी गई है।

(ग) यह कोटा प्रत्येक डिस्पेन्सरी व सब डिस्पेन्सरी के इन्डेन्ट को ध्यान में रखते हुए बाँटा गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) वेसलीन व पट्टियाँ के लिए कोई अलग निश्चित कोटा नहीं है। सन् ५३-५४ में ५० गज पट्टियों का कपड़ा व ८ पौंड वेसलीन स्टोर से दिया गया।

(च) केवल एक दो चीजें-ऐसी थीं जो डाक्टरों ने नहीं माँगी परन्तु वे बिना दाम लगाये ही भेजी गईं। ये स्टोर में काम नहीं आ रही थीं और डिस्पेन्सरियों में इसलिए भेजी गईं कि वहाँ काम आ जाते और स्टोर में पड़ी पड़ी खराब होने से बचे।

STATEMENT SHOWING THE SUPPLIES OF THE DISTRICT DISPENSARY DURING 1952-53.

S. No.	Name of Dispensary.	Date of indent.	Date of Supplies made Vide Issue Voucher No.	Date of acknowledge.	Cost of indents, received.	Cost of supplies made	Remarks
1.	M. O. Kotkasim.	20-5-52	302-03; D/- 13 1-53	22-1-53	854/-	825/-	
2.	M. O. Lacchmangarh.	30-6-52	8926-27; D/- 30-10-52		950/-	875/-	
3.	M. O. Ramgarh.	14-8-52	9457-58; D/- 28-11-52				
			2300; D/- 1-4-53		900/-	925/-	
			2411-12; D/- 21-4-53	14-5-53			
4.	M. O. Kherli.	4-9-52	946-47; D/- 6-2-53	23-2-53	550/-	600/-	
5.	M. O. Female Hospital,		4632-33; D/- 16-7-53				
	Rajgarh.		1382-83; D/- 27-2-53		780/-	840/-	
6.	M. O. Govindgarh.	30-5-52	900-01; D/- 5-2-53	24-2-53			
			4394-95; D/- 4-7-53	9-10-53	850/-	900/-	
7.	M. O. Aligarh.	2-6-52	9306-7; D/- 24-11-52	4-1-53			
			3503-4; D/- 23-5-53	17-7-54	536/-	565/-	
8.	M. O. Behror.	22-7-52	8771-72; D/- 22-10-52	30-11-52	900/-	875/-	
			2340-41; D/- 2-4-53				
9.	M. O. Bahadurgarh	10-3-53	2033-34; D/- 20-3-53	8-4-53	575/-	615/-	

Page No.82

S. No.	Name of Dispensary.	Date of indent.	Date of Supplies made Vide Issue Voucher No.	Date of acknowledge.	Cost of indents. received.	Cost of Supplies made.
10.	Tapukra.		486-87; D/- 21-1-53	3-2-53	875/-	900/-
11.	M. O. Tijara		1327-28; D/- 26-2-53			
			4037-38; D/- 15-6-53	4-8-53	1050/-	1050/-
12.	M. O. Tehla		918-49; D/- 6-2-53		625/-	600/-
13.	M. O. Thana Ganzi	15-9-52	9740-41; D/- 13-12-52			
			3270-7; D/- 18-5-53	8-6-53	940/-	1000/-
14.	M. O. Vijay Mandi.	4-9-52	836-37; D/- 31-1-53		450/-	500/-
15.	M. O. Partap Garh.	11-9-52	1010-11; D/- 9-2-53			
			3180-81; D/- 14-5-53		750/-	725/-
16.	M. O. Narainpur.		4077-78; D/- 12-2-53			
			3188-89; D/- 14-5-53	2-9-53	560/-	520/-
17.	M. O. Nimrana.	5-9-52	492-93; D/- 21-1-53	15-2-53	960/-	810/-
18.	M. O. Rajgarh Hospital.		1200-7; D/- 26-2-53			
			2249-50; D/- 9-4-53	13-4-53	1200/-	1150/-
19.	M. O. Mandan.		214-25; D/- 9-1-53	2-2-53	915/-	890/-

Page No.83

S. No.	Name of Dispensary.	Date of indent.	Date of Supplies made Vide Issue Voucher No.	Date of acknowledge.	Cost of indents. received.	Cost of supplies made.	Remarks.
20.	M. O. Mandawar.	30-6-52	172-73; D/- 8-1-53	28-1-53	508/-	495/-	
21.	M. O. Kathumar.	5-9-52	822-23; D/- 3-2-53	3-3-53	890/-	950/-	
22.	M. O. Khairthal.		1109-10; D/- 16-2-53	19-2-53	790/-	820/-	
23.	M. O. Harsana.						
24.	Bansur.				957/-	880/-	
25.	Kishangarh Sub-dispensary.				530/-	505/-	
						Rs. 18,815/-	

STATEMENT SHOWING THE SUPPLIES OF THE DISTRICT DISPENSARIES DURING THE YEAR 1953-54.

S. No.	Name of the Institution.	Sanctioned Budget.	Actual Cost.
1.	Bansur Dispensary.	Rs. 800/-	Rs. 900/-
2.	Behror.	800/-	1034/4/-
3.	Govindgarh Dispensary.	800/-	999/12/-
4.	Katumer Dispensary.	800/-	998/-
5.	Khairthal Dispensary.	800/-	980/-
6.	Kot-kasim Dispensary.	800/-	990/-
7.	Lachmangarh Dispensary.	800/-	1050/-
8.	Mandhan Dispensary.	800/-	989/-
9.	Nimrana Dispensary.	800/-	900/-
10.	Pertabgarh Dispensary.	800/-	600/-
11.	Rajgarh Male Dispensary.	1100/-	1200/-
12.	Rajgarh Zanana Dispensary.	800/-	900/-
13.	Ramgarh Dispensary.	800/-	990/-
14.	Tapukra Dispensary.	800/-	937/-
15.	Tijara Dispensary.	1000/-	1300/-
16.	Thanaghazi Dispensary.	900/-	980/-
17.	Kherli Dispensary.	500/-	610/-
18.	Mundawar Dispensary.	500/-	701/5/-
19.	Ajabgarh Sub-Dispensary.	500/-	520/-
20.	Bhadarpur Sub-Dispensary.	500/-	590/4/-
21.	Harsana Sub-Dispensary.	600/-	730/-
22.	Kishangarh Sub-dispensary.	500/-	670/6/-
23.	Narainpur Sub-dispensary.	500/-	569/11/-
24.	Tehla Sub-dispensary.	500/-	600/11/-
25.	Vijay Mandir Dispensary.	500/-	501/10/-
	Total Rs.	18,000/-	Rs. 21,241/15/-

११८५ (११३/एम. एच. एम.) श्री घासीराम, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४३—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि तिजारा अस्पताल की इमारत पचास साल पुरानी होने के कारण वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती ?

(ख) इस इमारत में कितने कमरे हैं ? क्या इन कमरों में मरीजों के पलंग लगाये जा सकते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि मरीज बजाय कमरों के बरामदों में ही जाड़ों की रातों व गर्मी की लू में पड़े रहते हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि डॉक्टर व दीगर स्टाफ के मकान अस्पताल से काफी दूर हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवायें एक दम नहीं मिल सकतीं ?

(ङ) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि अलवर सरकार इस बिल्डिंग को अस्पताल के लिये उपयुक्त न समझकर इस बिल्डिंग को बेचकर नया अस्पताल नई तहसील के पास सड़क पर बनवाना चाहती थी ?

(च) क्या राजस्थान सरकार इस बिल्डिंग को बेचकर आम सड़क पर नया अस्पताल बनवाने के लिये तैयार है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) इस इमारत में इन्डोर बीमारों के लिये दो कमरे हैं जिनमें छः पलंग आ सकते हैं।

(ग) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(घ) डिस्पेन्सरी से डाक्टर का मकान करीब एक फर्लांग से अधिक दूर पर नहीं है, दोनों कम्पाउन्डर भी डिस्पेन्सरी से करीब १०० गज की दूरी पर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएँ मिल सकती हैं।

(ङ) यह सरकार की जानकारी में नहीं है।

(च) अस्पताल की इमारत को उपयोगी बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।